अध्याय VII

वित्तीय स्थिरता

7.1 उन्नीस सौ नब्बे के दशक में विभिन्न देशों में बार-बार अनुभव किये गये वित्तीय संकटों के चलते वित्तीय स्थिरता नीति के अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में उभर कर आयी है। यह अब अधिकाधिक रूप से स्वीकार किया जा रहा है कि सतत आर्थिक वृद्धि के लिए वित्तीय स्थिरता महत्त्वपूर्ण है, परंतु सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था के बिना इसे हासिल नहीं किया जा सकता[1]। सुदृढ़ व्यापक आर्थिक प्रबंधन के होते हुए भी, कमजोर वित्तीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकती है, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था घरेलू और बाहरी आघातों के प्रति अधिक भेद्य (संवेदनशील) हो जाती है। यह अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है कि हालांकि निवर्हनीय आर्थिक वृद्धि के लिए मूल्य स्थिरता एक अनिवार्य शर्त है, परंतु यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह स्वयं वित्त व्यवस्था की स्थिरता पर निर्भर है। अधिकांश देशों में, वित्तीय स्थिरता को नीति के समवर्ती उद्देश्य के रूप में माना जाता है। यह देखा गया है कि मूल्य स्थिरता के विपरीत वित्तीय स्थिरता की मात्रा निर्धारित करना अर्थात नीतिगत उद्देश्यों को हासिल करने के प्रयोजन से स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण की संरचना निश्चित करना कठिन है। इसके बावजूद, कई केंद्रीय बैंकों ने वृद्धिशील रूप से वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसा कि हाल के वर्षों में इस विषय पर नियमित रूप से प्रस्तुत विभिन्न रिपोर्टों से स्पष्ट होता है (बॉक्स VII.1)।

7.2 वर्ष 2004 के लिए वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में रिज़र्व बैंक यह कहता है :

''जैसे-जैसे वित्तीय क्षेत्र में परिपक्वता आयेगी और यह अधिक जटिल होता जायेगा वैसे-वैसे अविनियमन की प्रक्रिया अवश्य जारी रहनी चाहिए। लेकिन, यह इस तरीके से हो कि सभी प्रकार की वित्तीय संस्थाएं मजबूत बनें तथा समग्र प्रणाली की वित्तीय स्थिरता सुरक्षित रहे। विनियमन हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ-साथ विनियामक परिपाटी का केंद्र आवश्यक रूप से कारगर निगरानी तथा विनियमों के कार्यान्वयन के आश्वासन की ओर अंतरित होगा। इन विनियामक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से वित्तीय संस्थाओं के भीतर कंपनी संचालन को सुदृढ़ बनाना होगा तथा आंतरिक प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता होगी, ताकि विनियामक प्रथाओं में इस अंतरण को सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही, जैसे-जैसे वित्तीय संस्थाओं का विस्तार होगा और वे अधिक जटिल बनती जायेंगी, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि ग्राहकों, विशेष रूप से सामान्य जनता को दी जानेवाली सेवा की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जाये और उसमें सुधार हो। ''

7.3 वित्तीय स्थिरता का अनुसरण भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का केन्द्रीय आधार रहा है। वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति, 1992 (अध्यक्ष : श्री एम.नरसिंहम) ने यह माना है कि तेज और निवर्हनीय आर्थिक प्रगति के लिए वित्तीय स्थिरता अनिवार्य है। भारतीय संदर्भ में वित्तीय स्थिरता की भूमिका अन्य बातों के साथ-साथ तीन प्रमुख दृष्टिकोणों से स्वीकार की गयी है।[2] वित्तीय प्रणाली की स्थिरता मूल्य स्थिरता और निरंतर वृद्धि जो कि नीति के प्रधान उद्देश्य हैं, पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती है।[3] एक स्थिर वित्तीय प्रणाली मौद्रिक नीति की दक्ष अंतरण संबंधी कार्रवाई को सुविधाजनक बनाती है। विनियमन और पर्यवेक्षण की दृष्टि से जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालीन स्थिरता, विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र में, रिज़र्व बैंक का अनिवार्य निर्णय है।

7.4 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के तत्वावधान में की गयी विभिन्न नीतिगत पहलों की समीक्षा और उनका विश्लेषण उपलब्ध कराना है। चूंकि यह अध्याय इस रिपोर्ट में पहली बार शुरू किया गया है, अतः पिछली स्थितियों और हाल की गतिविधियों को शामिल करते हुए इस अध्याय को इस प्रकार बनाया गया है कि इसमें वित्तीय स्थिरता पर संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि उपलब्ध करायी जा सके। इस अध्याय में मुख्य रूप से सर्वांगीण अस्थिरता को रोकने, उसका पता लगाने और उनके प्रबंधन में प्रयुक्त नीतियों, लिखतों, मानकों और साधनों से संबंधित रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अध्याय नौ खंडों में बाँटा गया है। खंड 2 में वित्तीय स्थिरता की परिभाषा और उसके दृष्टिकोण तथा केंद्रीय बैंक

[1] वित्तीय स्थिरता संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, स्विटजरलैंड ।

[2] भारत सरकार (1991) वित्तीय व्यवस्था संबंधी समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष : एम. नरसिंहम) ।

[3] विमल जालान (2002), 'वित्त और विकास अब किस ओर?' भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, जनवरी ।
वाई.बी. रेड्डी (2004), 'वित्तीय स्थिरता : भारतीय अनुभव' 27 जून 2004 को ज्युरिक युनिवर्सिटी, स्विटरजलैंड में दिया गया व्याख्यान - भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, अक्तूबर 2004।

की चिंताओं पर चर्चा की गयी है। खंड 3 में भारत में अपनाये गये नीतिगत दृष्टिकोण की चर्चा की गयी है, तथा इसके बाद खंड 4 में विवेक-सम्मत मानकों का विश्लेषण किया गया है। खंड 5 में बाजारों के विकास तथा खंड 6 में भुगतान प्रणाली और प्रौद्योगिकी की समीक्षा की गयी है। विनियमन और पर्यवेक्षण की संरचना खंड 7 में वर्णित है तथा संकट निवारण और प्रबंधन संबंधी उपाय खंड 8 में दिए गए हैं। भारतीय संदर्भ में व्यापक विवेकसम्मत संकेतकों की समीक्षा पर आधारित वित्तीय स्थिरता का अनुभव-जन्य मूल्यांकन खंड 9 में किया गया था। निष्कर्ष खंड 10 में दिए गए हैं।

2. वित्तीय स्थिरता : दृष्टिकोण

7.5 मौद्रिक स्थिरता से भिन्न वित्तीय स्थिरता की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है । एक स्थिर वित्तीय व्यवस्था में वित्तीय संकट निवारण की क्षमता होती है अथवा जब वित्तीय संकट आते हैं, तो वह उनके प्रभावों को नियंत्रित करने तथा उन्हें वास्तविक अर्थव्यवस्था में फैलने से रोकती है[4] । अतः असुरक्षित वित्तीय संस्थाएं और बाजार उत्पादन, उपभोग और निवेश में हस्तक्षेप करती हैं तथा इस प्रकार सर्वतोन्मुखी आर्थिक वृद्धि और विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य को असफल बनाती हैं। वित्तीय प्रणाली में दुर्बलता मुख्य रूप से कमजोर बुनियादी आधार, अपर्याप्त संस्थाओं और असमान सूचना के कारण पैदा हो सकती है। राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली में बाधाओं को रोकना इस सारी प्रक्रिया की कुंजी है। [5]

7.6 वित्तीय स्थिरता की कई परिभाषाएं नीतियों, संस्थाओं, बाजार और व्यापक आर्थिक उद्देश्यों से संबंधित देश विशेष की चिंताओं को ध्यान में रखती हैं। तथापि, मोटे तौर पर, वित्तीय स्थिरता संबंधी दो प्रमुख परिदृश्य हैं ; एक वित्तीय संकटों को रोकने या सीमित करने से संबंधित है, तो दूसरा सुदृढ़ और स्वस्थ संस्थाओं के विकास से संबंधित है। अधिकांश परिभाषाएं वित्तीय स्थिरता को वित्तीय संकट के दृष्टिकोण से देखती हैं[6]। संकट के दृष्टिकोण के हिसाब से, वित्तीय अस्थिरता बैंकिंग विफलता, तीव्र आस्ति मूल्य अस्थिरता अथवा बाजार चलनिधि के बिखर जाने तथा अंततः भुगतान और निपटान प्रणाली में व्यवधान के रूप में दिखाई देती है। इस वित्तीय स्थिरता परिदृश्य में वित्तीय संकटों के स्रोतों की पहचान करना, तथा वित्तीय प्रणाली की विभिन्न कमियों को दूर करने के लिए तदनुसार नीतियों और संस्थाओं को सुसज्जित करना शामिल है। दूसरी ओर, सुदृढ़ और स्वस्थ वित्तीय प्रणाली संबंधी परिदृश्य मानदंडों, कोडों और विवेकसम्मत मानकों के समूह पर जोर देता है जो वित्तीय संस्थाओं की सुदृढ़ता, सुरक्षा, स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करते हैं ।

7.7 वित्तीय स्थिरता के विभिन्न दृष्टिकोणों के बावजूद, कुछ दृष्टिकोणों को वृहतर स्वीकार्यता मिली है, क्योंकि वे वित्तीय स्थिरता के विविध पहलुओं की समझ के लिए व्यापक संरचना उपलब्ध कराते हैं । आमतौर पर इस पर सहमति है कि वित्तीय बाजार, संस्थाएं (अर्थात मध्यस्थक संस्थाएं), लिखतें तथा विनियामक बाधाएं वित्तीय प्रणाली के प्रमुख घटक बनते हैं। इस सामान्य दृष्टिकोण से आधार लेकर यह मान लिया जाता है कि वित्तीय स्थिरता में तीन तत्त्व सम्मिलित हैंः स्थिर संस्थाएं, स्थिर बाजार और स्थिर मूल्य[7]। वित्तीय बाजार विशेषकर, तीव्र वैश्वीकरण की स्थिति में उपयुक्त संस्थागत संरचना के अभाव में पर्याप्त रूप से कार्य नहीं कर सकते । आम तौर पर स्वीकृत दृष्टिकोण के अनुसार संस्थान के अंतर्गत 'नियमों', अनुप्रवर्तन प्रक्रिया-तंत्र तथा उन संगठनों का एक समूह आता है, जो बाजार के कार्यकलापों के आकार को निर्धारित करते हैं'[8]। भौगोलिक-राजनैतिक आयामों के दृष्टिकोण के अनुसार, वित्तीय स्थिरता में बाह्य और घरेलू परिवेश की स्थिरता शामिल है। बाह्य परिवेश की स्थिरता वैश्वीकरण के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हो गयी है। वैश्वीकरण तथा बढ़ते हुए विदेशी पूंजी प्रवाह और सूचना प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति से प्रोत्साहित अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते हुए एकीकरण के संदर्भ में बाहरी परिवेश की स्थिरता महत्त्वपूर्ण हो जाती है। नब्बे के दशक के विभिन्न संकटों का अनुभव यह दर्शाता है कि वैश्विक परिवेश में अस्थिरता किसी विशिष्ट देश में घटनेवाले यह सुविचारित मत है कि संकट के संसर्गगत प्रभाव के कारण बढ़ जाती है। इस संदर्भ में यह सुविचारित मत है कि संकट निवारण का प्राथमिक उत्तरदायित्व स्वयं उसी देश का होना चाहिए[9]।

4 साउथ अमरीकन रिजर्व बैंक (2004), 'फाइनैंसियल स्टेबिलिटी रिव्यू' मार्च

5 मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट, 1998-99, भारतीय रिजर्व बैंक

6 हल्डाने, ए. और सपार्टा, वी (2004) 'फाइनैंसियल स्टेबिलिटी एण्ड मैक्रो इकॉनामिक मॉडल्सट' फाइनेंसियल स्टेबिलिटी रिव्यू,

7 'क्रोकेट.ए (1997) हाई ए फाइनैंसियल स्टेबिलिटी ए गोल ऑफ पब्लिक पालिसी' अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, नीति पेपर-I

8 जी-20 (2004), 'ग्लोबलाइजेशन एण्ड इंस्टिट्यूशन बिल्डिंगट कंट्री केस स्टडीज़, मार्च

9 अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना पर बैंक ऑफ इंग्लैड सेमिनार, विमल जालान (2002) 5 जुलाई 2002 को लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा आयोजित सेन्ट्रल गर्वनरों की गोष्ठी।

3. सुधारों का नीतिगत रुख :

7.8 भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों ने वृद्धि को बढ़ाकर, संकटों को बचाकर वित्तीय मध्यस्थकों की दक्षता को बढ़ाकर तथा प्रणाली में उर्ज्वस्विता लाकर देशकी सेवा की है। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के प्रति दृष्टिकोण ''पंचसूत्र'' या 5 सिद्धांतों पर आधारित है : सुधारों के उपायों के प्रति ''क्रमिकता वाद'' का दृष्टिकोण अपनाना जिनमें सतर्कता और उपयुक्त और सुधारों का उपयुक्त क्रम निर्धारण करना, एक दूसरों को शक्ति प्रदान करनेवाले मानक, सभी क्षेत्रों में सुधार (सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मौद्रिक, राजकोषीय और बाह्य क्षेत्र में एक दूसरे के पूरक सुधार, जो प्रत्येक चरण में पणधारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं, वित्तीय संस्थाओं का विकास तथा बाजारों का विकास[10]। यद्यपि सभी प्रकार की वित्तीय मध्यस्थकों के लिए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के उद्देश्यों और लिखतों में मौटे तौर पर समानता है, परन्तु इन सुधारों की गति और उनका क्रम वित्तीय क्षेत्र के प्रत्येक घटक की विकास की स्थिति, को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जा रहा है।

7.9 भारत में वित्तीय प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक, सहकारी बैंक, विकास वित्त संस्थाएं तथा बीमा, पारस्पारिक निधियां और सरकारी प्रतिभूतियों के क्षेत्रों में विभिन्न अन्य संस्थाएं शामिल हैं। वित्तीय प्रणाली और भुगतान प्रणाली में वाणिज्यिक बैंकों की एक प्रधान भूमिका है। बैंकों का 'विशेष' स्थान है, क्योंकि जनता की बचत राशि जुटाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने तथा बचतकर्ताओं को प्रतिलाभ देने के लिए इनके विनियोजन के वास्ते वित्तीय मध्यस्थकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।[11] जमाराशियों के माध्यम से संग्रहित की गयी निधियों का विनियोजन बैंकों का आर्थिक गतिविधियों के वित्तपोषण में तथा भुगतान प्रणाली के लिए आधार उपलब्ध कराने में शामिल है[12]। वित्तीय प्रणाली में बैंकों की सर्वव्यापी प्रधानता तथा उनकी सर्वांगीण महत्ता को देखते हुए सुधारों के उपाय पहले वाणिज्यिक बैंकों में लागू किये गये और उसके बाद वे दूसरे वित्तीय संस्थाओं जैसे विकास वित्त संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी,सहकारी बैंकों और बीमा क्षेत्र में लागू किये गये।

7.10 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए सुधारों की कार्यसूची मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा गठित की गयी दो समितियां अर्थात वित्तीय क्षेत्र संबंधी समिति, 1992 (अध्यक्ष : एम. नरसिंहम)[13] तथा बैंकिंग क्षेत्र संबंधी समिति 1998 (अध्यक्ष : एम. नरसिंहम)[14] की रिपोर्टों से प्रेरित है। अन्य अनेक समितियों, परामर्शी समूह, कार्यकारी दलों और तकनीकी समूहों ने अपनी विभिन्न सिफारिशों और सुधारों के माध्यम से सुधारों की प्रक्रियाओं को और सुविधाजनक बनाया है (परिशिष्ट VII.2) । बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों में प्रतिस्पर्धा विवेकसम्मत मानदंड, बाजार विकास, संस्थाओं और कानूनी परिवेश तथा पर्यवेक्षी प्रक्रिया से संबंधित उपाय शामिल हैं [15]। नीतिगत परिवेश का मुख्य बल एक ऐसे समर्थक परिवेश के निर्माण पर है जो बैंकों को अपनी दक्षता, उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने की दृष्टि से बेहतर परिचालनगत नमनीयता और कार्य मूलक स्वायत्तता प्रदान करें[16]।

प्रतिस्पर्धा

7.11 आम तौर पर इस बात पर सहमति है कि वित्तीय प्रणाली बाजारी शक्तियों के अनुरूप बचत के संग्रहण तथा संसाधनों के आबंटन को सुविधाजनक बनाती है और इस प्रकार, संस्थाओं की दक्षता बढ़ती है । एक प्रतिस्पर्धा बाजार में जिसमें विदेशी सहभागियों की प्रविष्टि पर कम प्रतिबंध हैं, वित्तीय मध्यस्थक संस्थाएं वित्तीय नवोन्मेष तथा वित्तीय सेवाओं के उत्पादन की निम्नतर लागत के कारण प्रचुरता-जन्य मितव्ययिता और व्याप्ति की सम्भावना से लाभान्वित होती हैं[17] । इसके अलावा एक प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली प्रतिकूल चयन तथा नैतिक संकट की समस्याओं को सीमित करती है जो कि वित्तीय मध्यस्थक की दक्षताओं को प्रभावित करती है।

10 वाई.वी.रेड्डी 2002 : वित्तीय क्षेत्र के सुधार : एक व्यावहारिक दृष्टिकोण,
वाई.वी.रेड्डी, 2004 'भारत में वित्तीय स्थिरता'

11 रिपोर्ट, अध्याय 2, बॉक्स 2.10 : बैंकों की विशिष्ट प्रवृत्ति ।

12 राकेश मोहन, भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व और संचालन, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन अक्तूबर ।

13 एम.नरसिंहम (1992), वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति की रिपोर्ट, भारत सरकार ।

14 एम.नरसिंहम (1998) बैंकिंग क्षेत्र संबंधी समिति की रिपोर्ट, भारत सरकार

15 राकेश मोहन (2004), वित्तीय क्षेत्र के सुधार , भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन अक्तूबर 2004।

16 मुद्रा वित्त की रिपोर्ट 2001-02 , भारतीय रिजर्व बैंक ।

17 मार्शल केनाए, माइकल वॉर्न, जिजको जॉन लेमन, रूढ, डी. मुईज तथा जार्जन वेगेन्ड (2001) 'कॉम्पिटिशन एण्ड फैनेंसियल स्टॅबिलिटी एण्ड' सीपीबी, नेदरलैंड ब्यूरो फॉर इक्नॉमिक पालिसी एण्ड ॲनालेसिस सीपीबी डॉक्यूमेंट सं. 015 दिसम्बर

7.12 भारत में वित्तीय क्षेत्र में बहु संस्थागत संरचना के विकास की दिशा में सघन प्रयास किये गये हैं तथा स्वामित्व की परवाह किये बिना प्रतिस्पर्धा के माध्यम से संस्थाओं की दक्षताओं पर जोर दिया गया है। वित्तीय प्रणाली में मुख्यतया ब्याज दरों के अपविनियमन, बैंकों को कार्यमूलक स्वायत्तता प्रदान करके तथा निजी और विदेशी बैंकों की बढ़ी हुई सहभागिता की अनुमति देकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया गया है[18] । अपविनियमन की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में ऋण बाजार पर सरकारी नियंत्रण को पर्याप्त कम किया गया है। बैंकों की निधियों के सांविधिक पूर्वक्रयों को सीआरआर और एसएलआर में कमी करते हुए निम्नतर किया गया है। बचत जमा दरों तथा एनआरइ जमा दरों को छोड़कर सभी ब्याज दरों को अपविनियमित कर दिया गया है।

7.13 बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए समर्थनकारी परिवेश ने दो प्रमुख रूप लिये हैं। बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970, 1980 में संशोधन होने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अब अपने पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार में जाने की अनुमति दे दी गयी है । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयरधारिता काफी कम कर दी गयी है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयरधारिता को काफी कर दिया गया है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत के स्तर से कम नहीं की जा सकती। जिससे सरकार प्रमुखशेयरधारक बनी रहती है। बैंककारी विनियमन अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत प्रवेश पर प्रतिबंध को शिथिल कर दिया गया है [19]। निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बेंकों को लाइसेंस प्रदान किये गये हैं ताकि वित्तीय प्रणाली उनकी बेहतर प्रौद्योगिकी, विशिष्ट दक्षतओं, बेहतर जोखिम प्रबंधन परम्पराओं, खजाना परिचालनों से संबंधित बेहतर संविभागीय विशाखीकरण तथा वित्तीय बाजारों के गहन बनने से लाभान्वित हो सकता है[20]। एक ओर गहन होती हुई प्रतिस्पर्धा की जटिलता तथा दूसरी ओर विवेकसम्मत विनियमों की कठोरता को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2001 में नये बैंकों के लिए प्रवेश मानदंडों को संशोधित किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सम्बद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं को ऋण देने से रोकने के लिए निवेशक कम्पनियों और प्रौन्नतकर्ता समूह के बीच एक फासला बनाये रखा जा सके, मार्गदर्शी दिशानिर्देश जारी किये गये। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की अनुसूचित बैंकों के रूप में परिवर्तन के संबंध में भी दिशानिर्देश जारी किया गया है।

7.14 केन्द्रीय बजट 2002-03 में विदेशी बैंकों को अनुमति देने की अपनी मंशा घोषित की गयी थी। यह अनुमति इन बैंकों के आकार, रणनीति और उद्देश्यों पर निर्भर करेगी, वे चाहें तो अपने विदेशी मूल बैंक की शाखा के रूप में अथवा भारत में अपनी सहायक संस्था के रूप में परिचालन कर सकते हैं। मार्च 2004 में भारत सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को स्वःचालित मार्ग के अंतर्गत अधिकतम 74 प्रतिशत तक बढ़ाने की अधिसूचना जारी की। इस निवेश में विदेशी संस्थागत निवेशों द्वारा किये गये निवेश भी शामिल हैं। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, विदेशी बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे या तो शाखाओं के रूप में या केवल सहायक संस्थाओं के रूप में ही परिचालन करें। वे भारत में निम्नलिखित दोनों में से केवल किसी एक रूप में कार्य कर सकते हैं। अर्थात (i) शाखा / शाखाओं, (ii) पूर्णतया स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं के रूप में अथवा (iii) किसी निजी बैंकों में अधिकतम 74 प्रतिशत की सकल विदेशी निवेश के साथ सहायक संस्था के रूप में।

4. विवेकसम्मत मानदंड

7.15 एक सुदृढ़ तथा ऊर्जस्वित वित्तीय प्रणाली तथा वित्त बाजार का व्यवस्थित विकास वित्तीय स्थिरता और सतत एवं तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए पूर्व-अपेक्षाएं हैं [21]। ये भी स्वीकार किया गया है कि वित्तीय प्रणाली में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विवेकसम्मत विनियमन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता रेखांकित करती है [22]। एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धा वित्तीय बाजार में बैंक अपने सिकुड़ते हुए लाभ मार्जिनों के दबाव के कारण अधिक जोखिम भरे परिचालनों में लग सकते हैं। जोखिमों का उच्चतर स्तर बैंक के फेल होने को बढ़ावा देगा तथा वित्तीय प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करेगा। इस संदर्भ में विवेकसम्मत विनियमन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता अनेक तरीकों से उत्पन्न होती है, केवल अर्थक्षम बैंकों का ही अपने परिचालनों की अनुमति देना, बैंकों के मालिकों और प्रबंधकों द्वारा अत्यधिक जोखिम लेने को सीमित करना, बाजार अनुशासन को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखांकन, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग नियम स्थापित करना तथा सही उपाय उपलब्ध कराना और कमजोर संस्थाओं की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना[23]।

18 भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 1999-2000. भारतीय रिज़र्व बैंक

19 भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट 1998-99, भारतीय रिज़र्व बैंक ।

20 वाई.वी. रेड्डी (2004) वित्तीय स्थिरता : भारतीय अनुभव, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन जुलाई 2004.

21 भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 1999-2000. भारतीय रिज़र्व बैंक

22 बिमल जालान 1998, एक अधिक ऊर्जस्वित बैंकिंग प्रणाली के ओर ''बैंक अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में उद्घाटन भाषण (बिकॉन, 1998) बंगलूर।

23 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1998 ''टुवर्ड्स दि फ्रेमवर्क फॉर फिनैंसियल स्टॅबिलिटी, वर्ल्ड इकॉनॉमिक एण्ड फिनैंसियल सर्वे - जनवरी ।

7.16 भारतीय संदर्भ में, वित्त-क्षेत्र सुधार का एक प्रमुख तत्व पूंजी-पर्याप्तता, आय-की (पहचान) आस्ति-वर्गीकरण तथा प्रावधानन, निवेश मानक, प्रकटीकरण, निवेश और जोखिम प्रबंधन तथा आस्ति देयता प्रबंधन जिसका अभिप्राय बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाना तथा बृहतर पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और विश्वसनीयता के जरिए सुरक्षा और बेहतर (अच्छी) स्थिति / सुनिश्चित करने से संबंधित विवेकसम्मत उपायों के समूह को अपनाना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी और सुदृढ़ देशी बैंकिंग व्यवस्था के विकास के विजन के मद्देनजर वित्त क्षेत्र के सुधार के दृष्टिकोण का अनिवार्य तत्व विवेकसम्मत मानकों को और दृढ़ तथा व्यापक बनाना है। घरेलू वास्तविकताओं की विशिष्ट स्थिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप वित्तीय नवोन्मेषों, वित्तीय बाजारों क परिपक्वता और विकास तथा वित्तीय स्थिरता के लिए उभरती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एकरूपता की ओर अभिमुखीकरण किया गया[24]।

7.17 विवेकसम्मत मानकों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है तथा उसमें सुधार किया जा रहा है। इस संबंध में बैंकों को अपनी सहायक संस्थाओं के जोखिम भारित घटकों को अपने तुलनपत्र में शामिल करने तथा उनके लिए अतिरिक्त पूंजी समनुदेशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जोखिम भार में निरंतर सुधार किया जा रहा है ताकि बाजार जोखिम सहित जोखिम के अतिरिक्त स्रोतों पर विचार किया जा सके। एनपीए की पहचान में 'गत देय' की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है तथा मार्च 2004 से गैर-निष्पादक आस्तियों के वर्गीकरण के लिए 90 दिवसीय चूक (बकाया) मानक को अपनाया गया है। खुदरा घटक में जिसमें आवास और उपभोक्ता क्षेत्र भी शामिल हैं, हाल के वर्षों में हुई ऋण की उच्च वृद्धि के कारण बैंकों के बढ़ते हुए जोखिम को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2004-05 के लिए अपनी वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में उच्चतर जोखिम को सीमित रखने के उपायों की घोषणा की है। वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न घटकों में यथा लागू विवेकसम्मत मानदण्डों की एक तुलनात्मक स्थिति परिशिष्ट VII.3 में दर्शायी गयी है।

पूंजी-पर्याप्तता

7.18 बैंकों के कारोबार में सतत वृद्धि सुनिश्चित करने तथा अप्रत्याशित हानि के अवशोषण के लिए बैंकों का पूंजी आधार सुदृढ़ होना अपेक्षित है[25]।बेसिल समिति (बेसिल पूंजी समझौता I) के कारण पूंजी के प्रति जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) बैंकों की अच्छी स्थिति तथा शोधन क्षमता की माप की व्यापक रूप से स्वीकृत विधि के रूप में उभरा है। सीआरएआर व्यवस्था के लिए यह अपेक्षित है कि बैंक आस्तियों के विरूद्ध विभिन्न श्रेणियों (टियर) की पूंजी मदों तथा विभिन्न जोखिम भार के साथ गैर-तुलनपत्र मदों को रखें। बेसिल समिति मानक को अपनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 1992 में बैंक (विदेशी बैंक सहित) के लिए सीआरएआर व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया। आरम्भ में सीआरएआर अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के समकक्ष 8 प्रतिशत निर्धारित किया गया। नब्बे के दशक में वित्त क्षेत्र के गहनतर होने के साथ सख्त विवेकसम्मत मानकों की ओर ध्यान गया तथा मार्च 2000 में सीआरएआर बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया।

बैंकों को पुनर्पूंजीकरण

7.19 विवेकसम्मत विनियमन और पर्यवेक्षण के एक भाग के रूप में बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे अपने तुलनपत्र पर आनेवाले अचानक दबाव से बचने के लिए पूंजी-पर्याप्तता के मानकों को पूरा करें। तथापि गत अवधि में खराब ढंग से ऋण देने के कारण कुछ बैंकों को पूंजी-पर्याप्तता बनाये रखना कठिन हो गया है। दूसरे देशों में पुनर्पूंजीकरण की विभिन्न परमपराओं से सीख लेते हुए भारत सरकार ने 1992-93 से 2002-03 की अवधि में राष्ट्रीकृत बेंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 22,000 करोड़ रुपये का अंशदान किया ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप पूंजी-पर्याप्तता मानक को पूरा करने में उनकी सहायता की जा सके। लाभों में सुधार के फलस्वरूप, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों ने सरकार को पूंजी लौटा दी है[26]।

7.20 वर्ष 1994 में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम में संशोधन के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक बैंकों ने भारत में तथा ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद के माध्यम से विदेशों से पूंजी जुटायी। कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने टीयर-II पूंजी के अंतर्गत शामिल करने के लिए निधि स्थानन के जरिये बांड ऋण भी जुटाये हैं। हाल ही में भारत सरकार ने ''न्यूनतम साझा कार्यक्रम'' (मई 2004) में यह घोषणा की कि वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूर्ण प्रबंधन की स्वतंत्रता दी जायेगी ।

[24] वित्तीय क्षेत्र के सुधार : अद्यतन स्थिति भा.रि.बैंक बुलेटिन, अप्रैल।

[25] अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1998 ''टुवर्ड्स दि फ्रेमवर्क फॉर फिनैंसियल स्टॅबिलिटी, वर्ल्ड इकॉनॉमिक एण्ड फिनैंसियल सर्वे - जनवरी ।

[26] भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2002-03 भारतीय रिज़र्व बैंक।

वित्तीय संस्थाओं का स्वामित्व

7.21 बैंकों में स्वामित्व के मुद्दे से इसकी प्रकृति तथा संकेन्द्रण दोनों ही दृष्टियों से निपटने में विभिन्न विनियामक व्यवस्थाओं का दृष्टिकोण मोटे तौर पर सभी के लिए उसके बारे में बल और उसकी दिशा सभी की सहमति के अनुरूप है (बाक्स VII.1)। भारी सार्वजनिक निधियों का नियंत्रण करने में बैंकों में शेयरधारित के संकेन्द्रण, तथा स्वामित्व के संकेन्द्रण का जोखिम जो नैतिक जोखिम की समस्या उत्पन्न करता है, तथा मालिकों की बैंक कारोबार से सम्बन्धता के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता के लिए बैंकों के स्वामित्व की संरचना की संवदेनशीलता उठ खड़ी होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए, जमाकर्ताओं में जिनमें से अनेक अपने जीवन भर की बचत इन बैंकों में रख देते हैं, इन जोखिमों के लिए बहुत कम सहनशक्ति है। अतः नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक और मानवीय दृष्टि से विनियामक पर एक ज्यादा भारी उत्तरदायित्व आ पड़ता है [27]।

7.22 भारत में विशाखीकृत स्वामित्व को प्रौन्नत करने के उद्देश्य पर सभी प्रकार के बैंकों में जोर दिया जा रहा है। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सरकार के स्वामित्व को घटाया गया है। निजी क्षेत्र के बैंकों के विशाखीकृत स्वामित्व को प्रोन्नत करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंक के शेयरों के अभिग्रहण/अंतरण के संबंध में फरवरी 2004 में रिज़र्व बैंक ने दिशानिर्देश जारी किये जिसके अनुसार किसी एक व्यक्ति अथवा एक समूह की कुल शेयर धारिता को बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत के समक्ष या उससे अधिक को ध्यान में रखेगा। जहां यह अपेक्षा पहले से ही विद्यमान थी, इन दिशानिर्देशों से इसे पारदर्शिता प्रदान की गयी। जुलाई 2004 में, और अधिक जनता की राय जानने के लिए मसौदा रूप में दिशा निदेश निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और संचालन के संबंध में व्यापक नीति संबंधी ढांचा रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक सूचना के लिए जारी किया है। इस मसौदा रूप में दिशानिर्देश में मालिकों और निवेशकों[28] की 'ठीक और उपयुक्त' हैसियत, कम्पनी संचालन तथा पेशेवर प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जो जमा कर्ताओं के हितों का संरक्षण करने तथा वित्तीय प्रणाली की सुदीर्घकालीन स्थिरता के लिए संस्थाओं की सुरक्षा को सौंपे गए कार्यों की दृष्टि से विनियामकों

बाक्स VII.1 : बैंकों में स्वामित्व संबंधी विनियामक दिशानिर्देश - अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

कुछ छोटे विकासशील देशों को छोड़कर अधिकांश देशों में किसी बैंक में एक व्यक्ति /संस्था (प्रतिष्ठान) द्वारा अधिकतम शेयरधारिता संबंधी कोई स्पष्ट सांविधिक उच्चतम सीमा नहीं है । कनाड़ा का मामला इस अर्थ में अनूठा है कि छोटे और बड़े बैंकों के लिए मानदण्ड अलग-अलग हैं; जबकि 5 बिलियन से कम आस्तियों वाले बैंकों के लिए कोई सीमा नहीं है, बृहतर आस्ति आकारवाले बैंकों के लिए 20 प्रतिशत (मतदान) और 30 प्रतिशत(गैर-मतदान) की अधिकतम सीमा है। सुनिश्चित उच्चतम सीमा के अभाव में स्वामित्व की मात्रा विभिन्न स्तरीय आरम्भिक सीमा की संरचना के जरिए विनियमित होती है। किसी बैंक में निर्धारित आरम्भिक सीमा के परे शेयरधारिता के इच्छुक किसी व्यक्ति/संस्था को इसके लिए विनियामक अधिसूचना / अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा। कतिपय मामलों में न्यूनतम आरम्भिक सीमा बड़े पैमाने पर एक प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक होती है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम आरम्भिक सीमा के परे अर्हक आरम्भिक सीमा के एक समूह (निर्देशात्मक रूप से 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 33 प्रतिशत और 50 प्रतिशत) निर्धारित होता है। उक्त आरम्भिक सीमा के उल्लंघन से विनियामक अधिसूचना /अनुमोदन की स्थिति उत्पन्न होती है।

अधिकांश देशों के लिए आरम्भिक सीमा की माप धारिता की समग्र प्रतिशतता के संदर्भ में की जाती है। सिंगापुर, स्विटजरलैंड, न्यूजीलैंड जैसे कुछ देशों में ये सीमाएं मतदान के अधिकार के संदर्भ में हैं।

उपर्युक्त व्यवस्था किसी व्यक्ति द्वारा अकेले अथवा सहयोगियों के समूह अथवा संबंधित पक्षों के जरिए संयुक्त रूप से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लागू होती है। आरम्भिक सीमा के बाद शेयरों के अर्जन के अनुमोदन के प्रयोजन से प्राधिकारियों को व्यापक सूचना उपलब्ध कराने आवश्यक है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं : क्रय का अभिप्राय, शर्तें, यदि कोई हों, अर्जन की विधि, निधि का स्रोत आदि। इसके अतिरिक्त कंपनी निकाय के मामले में उन्हें अपने प्रवर्तकों, शेयरधारिता स्वरूप और अन्य समूह संस्था (प्रतिष्ठान) के ब्यौरे भी उपलब्ध करान अपेक्षित होगा।

विनियामक लेनदेन के क्षेत्रीय प्रभाव तथा पण अर्जित करनेवाले व्यक्ति(यों) द्वारा सटीक और उपयुक्त सिद्धांत को पूरा करने सहित कई विचारों के अधीन हर मामले में आधार पर मूल्यांकन करता है। अनुमोदक प्राधिकारी द्वारा विचार किए जानेवाले निर्देशात्मक सूची में निम्नलिखित सम्मिलित है :

- बैंक के लिए जारी वित्तीय सहायता के स्रोत के रूप में आवेदक/को वित्तीय साधनों की प्रकृति और पर्याप्तता;
- बैंक के कारोबार के विकास और भावी संचालन के लिए आवेदक अथवा आवेदन की योजना की उपयुक्तता और व्यवहार्यता;
- आवेदक अथवा आवेदकों के कारोबार का रिकार्ड और अनुभव अथवा यदि आवेदक अथवा आवेदकों में से कोई एक कंपनी निकाय है, तो सदा आचरण और निष्ठा के मानकों के अनुरूप तरीके से परिचालन की इसकी ख्याति;
- आवेदक अथवा आवेदकों को कारोबार और परिचालनों के एकीकरण का उस बैंक के उन कारोबार और परिचालनों क संचालन पर प्रभाव ; तथा
- क्षेत्र प्रतिस्पर्धिता संबंधी समग्र प्रभाव

संदर्भ :

बर्थ जे.आर. तथा लेविन आर. (2001) रेल्गूलेशन एण्ड सुपरवीजन अशडण्ड दि वर्ल्ड, ए एन्यू डाटाबेस, विश्व बैंक वर्किंग पेपर 2588, विश्व बैंक वाशिंग्टन डी.सी.

वर्ल्ड बैंक डाटाबेस, 2003

27 राकेश मोहन (2004) भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व तथा संचालन, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, अक्तूबर 2004।

28 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों के परमर्शी समूह (अध्यक्ष : ए.एस.गांगुली) की सिफारिशों पर नीतिसंबंधी विकास अध्याय II।

की प्रमुख चिंता बनती है। प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर दिशानिर्देशों का दूसरा मसौदा तैयार करके और आगे विचार-विमर्श के लिए जनता के लिए सूचनार्थ जारी किया जायेगा।

गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रबंधन

7.23 बैंक उधारकर्ताओं को इस शर्त के अधीन ऋण और अग्रिम प्रदान करते हैं कि वे भविष्य में मूलधन और ब्याज का भुगतान करेंगे। इस प्रक्रिया में बैंक गैर-निष्पादक ऋण तथा उधारकर्ताओं के चूक से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम सहित कई प्रकार के जोखिमों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।[29] इसके अतिरिक्त बढ़ते हुए विश्वव्यापीकरण तथा विशाखीकृत स्वामित्व के कारण जिसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां बैंक की क्षमता की निरंतर समीक्षा करती रहती हैं, एनपीए के स्तर का प्रबंधन महत्त्वपूर्ण हो जाता है [30]।

7.24 सरकार के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनपीए को नियंत्रित करने के लिए कई संस्थागत उपाय शुरू किए हैं। इनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं - ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लोक अदालत और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां। निपटान परामर्शी समितियां, वाणिज्यिक बैंकों के क्षेत्रीय और मुख्य कार्यालय स्तर पर गठित की गयीं। कंपनी ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) व्यवस्था को 2001 में संस्थागत रूप दिया गया ताकि बैंकों और वित्तीय सस्थाओं के पास कंपनी के बड़े ऋणों की पुनर्संरचना के लिए समयबद्ध और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सके। 2002-03 के केंद्रीय बजट में घोषणा के आधारपर सीडीआर व्यवस्था में सुधार किया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है एनपीए के संचयन को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं, फिर भी लेनदार के अधिकार के अभाव में समस्या के बने रहने की प्रवत्ति थी। इस पहलू को दूर करने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम अप्रैल 2002 में पारित किया गया। उक्त अधिनियम प्रतिभूत देनदारों को यह अधिकार देता है कि वह अपने पक्ष में प्रत्याशित प्रतिभूत हित को न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना प्रवर्तित कर सकते हैं। वित्तीय संस्थाओं को दिशानिर्देश का एक समूह जारी किया गया है ताकि एआरसी के गठन की प्रक्रिया सहज तरीके से हो सके। कई संस्थाओं ने एआरसी की स्थापना के लिए उपाय शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने तीन एआरसी को लाइसेंस दिया है जिसमें से एक ने काम करना शुरू कर दिया है[31]।

आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

7.25 भारत में गैर-निष्पादक आस्तियों के प्रति प्रावधानीकरण के लिए आस्ति-वर्गीकरण चार स्तरीय प्रणाली पर आधारित है : मानक आस्तियां, अवमानक आस्तियां, संदिग्ध आस्तियां और हानिगत आस्तियां। आस्तियों की इन सभी श्रेणियों के लिए उपयुक्त प्रावधानीकरण के मानदंड निर्धारित किये गये हैं। 2002-03 और 2003-04 के दौरान इस बात के सघन प्रयास किये गये हैं कि प्रावधानीकरण के मानदंडों को सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के अनुरूप तथा बैंकों के संविभागीय संरचना में उभरती हुई प्रवृत्ति के अनुरूप बनाया जाये। इसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय गतिविधियां थीं - मार्च 2004 से 90 दिवसीय मानदंड को अपनाया जाना। अन्य प्रमुख गतिविधियों के संबंध में, विवेकसम्मत मानदंडों को और कठोर बनाने की दिशा में एक प्रमुख उपाय के रूप में बैंकों को मई 2002 में यह सूचित किया गया कि वे मार्च 2005 से किसी आस्ति को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत करें यदि वह आस्ति वर्तमान के 18 महीनों के मानदंडों के स्थान पर 12 महीनों के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहे। बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि 18 महीनों से 12 महीनों में आवमानक आस्तियों को संदिग्ध आस्तियों के रूप में परिवर्तन की इस अवधि को घटाये जाने के कारण अतिरिक्त प्रावधानीकरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप में चार वर्षों में पूरी करें और जो मार्च 2005 को समाप्त वर्ष से शुरू की जायें, प्रत्येक वर्ष कम से कम 20 प्रतिशत का प्रावधान किया जाये। प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड को और कठोर बनाने की दिशा में एक अन्य उपाय के रूप में बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे छह महीनों से अधिक बकाया समाधान न की गयी प्रविष्टियों के संबंध में अपने अंतर-शाखा खाते में निवल ऋण की स्थिति के लिए 100 प्रतिशत का प्रावधान करें। यह अवधि वर्तमान के एक वर्ष के स्थान पर लायी गयी है जो 31 मार्च 2004 से शुरू होगी।

7.26 जून 2004 में, क्रमबद्ध उच्चतर प्रावधानीकरण को अपनाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने एक प्रमुख निर्णय लिया[32]। रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार, गैर-निष्पादक आस्तियों के जमानती अंश पर क्रमबद्ध उच्चतर

[29] (क) अध्याय III, बाक्स III.7 : भारतीय बैंकों की गैर निष्पादक ऋण के निर्धारक तथा
(ख) भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2002-03।

[30] (क) जी-20 (2004), 'विश्वव्यापीकरण और संस्था का निर्माण', भारत के मामले में अध्ययन।
(ख) मोहन, आर., (2004), 'वैश्वीकरण : द रोल ऑफ इंस्टिटयूशन बिल्डिंग इन दि फायनान्शिअल सेक्टरः द इंडियन केस', आरबीआइ बुलेटिन, फरवरी।

[31] अध्याय V: बॉक्स V.4 भारत में एआरसी के लिए विनियामक परिवेश

[32] 2004-05 की वार्षिक नीति की मध्यावधिक समीक्षा - भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रावधानीकरण की प्रथा शुरू की जो चरणबद्ध रूप से 31 मार्च 2005 से 3 वर्षों की अवधि में 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक हो गयी । तथापि 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद 3 वर्ष से अधिक की अवधि से 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत सभी अग्रिमों के संबंध में 100 प्रतिशत की प्रावधानीकरण की अपेक्षा होगी। उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों के गैर-जमानती अंश के लिए अब की तरह 100 प्रतिशत के प्रावधानीकरण की अपेक्षा जारी रहेगी।

7.27 खुली अर्थव्यवस्था के परिवेश में, अनेक बैंकों ने सीमा पार से आते हुए पूंजी प्रवाह और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालनों के कारण अपने तुलनपत्रों का उल्लेखनीय रूप से अंतर्राष्ट्रीयकरण होते हुए देखा है। देश-विदेश से जुड़ी जोखिमों से रक्षा करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे देश जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित जोखिम श्रेणियों के आधार पर निवल निधि आधारित देश जोखिम पर ग्रेडिड रूप में 0.25 से 100 प्रतिशत तक एक प्रावधानीकरण 31 मार्च 2003 से करें। उनसे यह भी अपेक्षा की गयी है कि वे अपने तुलनपत्रों में खातों पर टिप्पणियों के एक भाग के रूप में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी श्रेणीवार देश जोखिम और उनके प्रति आधारित सकल प्रावधानीकरण की मात्रा का प्रकटीकरण करें।

7.28 बदलते हुए वित्तीय परिदृश्य में एक प्रमुख विशेषता वित्तीय क्षेत्र के अपविनियमन तथा विविध प्रकार की वित्तीय नवोन्मेषी लिखतों के कारण बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं के बीच के अंतर का धूमिल होना है। अब बैंक परियोजना वित्त के माध्यम से कम्पनी क्षेत्र को दीर्घावधि वित्त प्रदान करने में अधिकाधिक रुचि दिखाने लगे हैं। बैंकों के ऋण संविभाग की संरचना में इस प्रकार के परिवर्तनों से आय की पहचान और प्रावधानीकरण मानदण्डों को इसके अनुरूप बनाने की आवश्यकता हुई है। तदनुसार, मई 2002 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे (क) ऐसी परियोजना के संबंध में जहां वित्तीय वचनबद्धता पूरी कर ली गयी है और औपचारिक रूप से उसको प्रलेखित किया जा चुका है। (ख) ऐसी परियोजना के संबंध में जो 1997 से पहले 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की मूल परियोजना की लागत के रूप में स्वीकृत की गयी थीं, जहां वित्तीय वचनबद्धता को औपचारिक रूप से प्रलेखीतकरण नहीं किया गया है तथा ऐसी परियोजना जो 100 करोड़ रुपये से कम की मूल परियोजना लागतवाली परियोजनाएं 1997 से पहले स्वीकृत की गयी थी जहां वित्तीय वचनबद्धता औपचारिक रूपसे प्रलेखित नहीं की गयी थी, के संबंध में उपार्जन के आधार पर आय को मान्यता न दें। फरवरी 2003 में बैंकों को सूचित किया गया है कि वे उपर्युक्त 3 श्रेणियों की ऐसी परियोजना के संबंध में जिनका कार्यान्वयन हो रहा है और जिन्हें 'मानक' रूप में वर्गीकृत किया गया है, उपार्जन के आधार पर आय को मान्यता दें।

7.29 प्रावधानीकरण के पर्याप्त स्तर पर रिज़र्व बैंक का जोर रहा है , वह इस तथ्य से प्रकट होता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रावधानीकरण का सुनिश्चित स्तर मार्च 2004 के अंत में उनकी कुल गैर-निष्पादक आस्तियों के 70.7 प्रतिशत बैठता है। यह उपलब्धता उल्लेखनीय हो जाती है, यदि इसकी तुलना गैर-निष्पादक आस्तियों के प्रति 50 प्रतिशत के प्रावधानीकरण के अंतर्राष्ट्रीय निर्धारण के मानक से की जाये।

निवेशों का मूल्यांकन

7.30 बैंकों के निवेश संविभाग का मूल्यांकन ऐसे निवेश के प्रयोजन को दर्शानेवाला बनाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षित था कि वे अपने संपूर्ण निवेश सविभाग को 30 सितंबर 2000 से (चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के मामले में 31 मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार) से तीन श्रेणियों यथा 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)' तथा 'कारोबार के लिए धारित (एचएफटी)' के अंतर्गत वर्गीकृत करें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के अंतर्गत निवेश को वर्ष के अंत में अथवा अधिक निरंतर अंतरालों पर बाजार मूल्य को बही में अंकित करना होता है। 'कारोबार के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत निवेश को मासिक अथवा अधिक निरंतर अंतरालों पर बाजार मूल्य को बही में अंकित करना होता है । निवेशों के वर्गीकरण, निवेशों को तीन श्रेणियों में निवेशों के मूल्यांकन, निवेश की बिक्री पर लाभ /हानि दर्ज करने की विधि तथा मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए।

7.31 हाल के समय में ब्याज दरों में बढ़ने की प्रवृत्ति की चिंताओं के बीच बैंकों के निवेश संविभाग पर पड़ते उसके प्रभाव के चलते है, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को एक बारगी के उपायों के रूप में यह अनुमति दी है कि वे एटीएम श्रेणी के अंतर्गत किये गये निवेशों पर 25 प्रतिशत की सीमा को पार करने के लिए अपनी एसएलआर प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों को एचएफटी/एएफएस श्रेणियों से बदलकर एचटीएम श्रेणी में ला सकते हैं, जो निम्नतम लागत अथवा वर्तमान बाजार मूल्य अथवा बही मूल्य पर किया गया हो बशर्ते, एसएलआर प्रतिभूतियों का अधिकतम 25 प्रतिशत एचटीएम में रखा जाये[33] अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जो एचटीएम प्रतिभूतियों पर कोई उच्चतम सीमा नहीं लगाते, इस प्रथा की ओर बढ़ने को वृद्धि मानी गयी जिसमें 25 प्रतिशत की एसएलआर की सांविधिक सीमा को ध्यान में रखने के साथ-साथ एचटीएम में अंतरण पर मूल्यांकन की विवेक-सम्मत तथा पारदर्शिता को भी सुनिश्चित किया जाये।

[33] 2004-05 की वार्षिक नीति की मध्यावधिक समीक्षा - भारतीय रिज़र्व बैंक

बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार

7.32 बैंक मुख्य तौर पर दो प्रकार की आस्तियां रखते हैं : ऋण और अग्रिम तथा एसएलआर और गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश। जहां ऋण और जोखिमों में ऋण जोखिम निहित होता है, वहीं निवेशों में मुख्य तौर पर बाजार जोखिम निहित होता है जो कि ब्याज दरों और आय में परिवर्तन के कारण आता है। 1997 में बैंकिंग पर्यवेक्षण में बेसिल समिति ने 'बाजार जोखिम को शामिल करते हुए पूंजी समझौते के संशोधन' के रूप में व्यापक दिशानिर्देश जारी किये जिनमें बाजार जोखिम के लिए स्पष्ट पूंजी प्रभार का प्रावधान करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं अर्थात तुलनपत्र में और तुलनपत्र से इतर स्थितियों में हानियों के जोखिम जो कि बाजार मूल्यों में घटबढ़ के कारण उत्पन्न होते हैं। बाजार जोखिम की स्थितियां जिन पर पूंजी प्रभार संबंधी अपेक्षाएं लागू होती हैं ऐसे जोखिम हैं, जो ब्याज दर से संबंद्ध लिखतों और लेनदेन बहियों में इक्विटियों पर होती है तथा विदेशी मुद्रा जोखिम (असुरक्षित स्थिति सहित) सारे बैंकों (जिनमें बैंकिंग और ट्रेडिंग दोनों बहियां शामिल हैं) पर लागू होती हैं।

7.33 भारतीय संदर्भ में बैंक अपनी निवेशों का एक काफी भाग एसएलआर और गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में रखते हैं, जो ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। बैंकों के संविभाग में बाजार जोखिम 2002-03 में तथा 2003-04 में नरम ब्याज दरों के चलते विनियामक प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभरे हैं। अप्रैल 2002 की वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह सूचित किया था कि बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रवाह संबंधी बेसिल मानदंडों को अपनाये और जून 2004 में चुनिंदा बैंकों से उनकी राय मांगते हुए बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना पर मार्गदर्शी दिशानिर्देश का ड्राफ्ट जारी किया। बेसिल-II मानदंड के प्रति सहज अंतर सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य 2004-05 में यह प्रस्ताव किया गया कि बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार को चरणबद्ध रूप में 2 साल में लागू किया जाये। बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे 31 मार्च 2005 तक अपनी लेनदेन बहियों में निवेश जोखिम (व्युत्पन्नी लिखतों सहित) के संबंध में बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार रखें तथा बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत शामिल प्रतिभूतियों के संबंध में बाजार जोखिम के लिए 31 मार्च 2006 तक पूंजी प्रभार बनाये रखें।

7.34 इसके अलावा, बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए कुछ मार्जिन उपलब्ध कराने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 2002 में निवेश घटबढ़ निधि की प्रणाली शुरू की । बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे एचएफटी तथा एएफएस श्रेणियों के अंतर्गत अपने निवेशों में 5 प्रतिशत की निवेश घटबढ़ निधि बनायें, हालांकि उनके पास मार्च 2007 तक अपने संविभागीय निवेशों के 10 प्रतिशत तक उच्चतर निवेश घटबढ़ निधि रख सकते है जो कि उनके संविभागों के आकार और उनकी संरचना पर तथा उनकी बोर्डों के अनुमोदन पर निर्भर करेगा।

7.35 बैंकों से यह अनुरोध किया गया कि वे दिसम्बर 2004 की समाप्ति तक गैर-एसएलआर प्रतिभूति में अपने निवेशों के संबंध में विवेकसम्मत अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए तैयार रहें। (वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य 2004-05 की मध्यावधि समीक्षा)।

बाजार अनुशासन

लेखांकन मानदण्ड

7.36 लेखांकन मानदंड समिति उच्च गुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वित्तीय विवरण में प्रस्तुत जानकारी सटीक, समयबद्ध और व्यापक हो, विशेषकर, सूचीबद्ध करने के प्रयोजन से उपयोगी हो। रिज़र्व बैंक का प्रयास बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा एनबीएफसी द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) द्वारा जारी लेखांकन मानदण्डों के अनुपालन में अंतर को समाप्त / कम करना रहा है। इन लेखांकन मानदण्डों का बैंक द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने तथा समेकित लेखांकन कार्यप्रणाली का भी परिचालन शुरू करने के लिए समय-समय पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए है।

7.37 रिज़र्व बैंक अपने पर्यवेक्षण मानकों और परम्पराओं को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों के अनुरूप बनाना सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। लेखांकन मानदंड के संबंध में आइसीएआई का एक कार्य दल (अध्यक्ष : एन.डी.गुप्ता) गठित किया गया जो आइसीएआइ द्वारा जारी लेखांकन मानदंडों के अनुरूप बैंकों द्वारा किये गये अनुपालन में आये अंतराल को समाप्त करने / कम करने के लिए इसमें किये जानेवाले उपायों की सिफारिश करेगा। कार्यकारी दल ने लेखांकन मानदंडों का एएस1 से लेकर एएस 22 तक के बारे में बैंकों द्वारा किये गये अनुपालन की जांच की जो कि 1 अप्रैल 2001 से शुरू हानेवाली लेखांकन अवधि के लिए पहले से ही लागू थीं तथा लेखांकन मानदंड 23 से 28 तक के बारे में भी जांच की, जो कि बाद की अवधि में लागू किये जाने थे। कार्यकारी दल ने यह पाया कि लेखांकन मानदंडों में से ऐसे लेखांकन मानदंड जो पहले से ही लागू थे अर्थात 1 से 22 तक के लेखांकन मानदण्डों का भारत में बैंक आम तौर पर अधिकांशतः पालन कर

रहे हैं, इसका अपवाद 8 लेखांकन मानदंड हैं जो वित्तीय विवरणियों की शर्तों के संबंध में हैं । ये लेखांकन मानदंड संख्या 5 (अवधि के लिए निवल लाभ और हानि लेखांकन नीतियों में पूर्व अवधि की मुद्दे तथा परिवर्तनीय लेखांकन मानक 9 : राजस्व की पहचान), लेखांकन मानदंड 11 : विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप, लेखांकन परिवर्तन, लेखांकन मानदंड सं. 15 (नियोक्ता के वित्तीय विवरणों में सेवा नियुक्ति लाभों के लेखांकन), लेखांकन मानदंड 17 (घटक अथवा सूचना देने), लेखांकन मानदंड 18 (सम्बद्ध पार्टी का प्रकटीकरण) लेखांकन मानदंड 21 (समेकित वित्तीय विवरण) तथा लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों के लिए गणना) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा साथ ही लेखांकन मानकों के अनुपालन में आये अंतरालों को दूर करने की दृष्टि से कार्यकारी दल ने बैंकों द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। मार्च 2003 में बैंकों के मार्गदर्शन हेतु उक्त समूह की सिफारिशों के आधार पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये।

7.38 रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक सेवाओं पर प्रक्रिया एवं कार्य-निष्पादन ,लेखा परीक्षा पर एक स्थायी समिति (अध्यक्ष : एस.एस.तारापोर)[34] नवम्बर 2003 में गठित की। समिति ने चार रिपोर्टें यथा विदेशी मुद्रा लेनदेन, सरकारी लेनदेन, व्यक्तियों से संबंधित बैंकिंग परिचालन और मुद्रा प्रबंध पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं। रिज़र्व बैंक ने स्थायी समिति की विदेशी मुद्रा विनिमय, सरकारी लेनदेन, बैंकिंग परिचालन और मुद्रा प्रबंध संबंधी कुछ सिफारिशों को लागू कर दिया है[35]।

पारदर्शिता और प्रकटीकरण

7.39 किसी वित्तीय प्रणाली की स्थिरता केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब संस्थाएं और बाजार सूचना युक्त निर्णय के आधार पर कार्य करें। प्रतिकूल चयन, बैंकों के नैतिक संकट को न्यूनतम करना तथा अन्य वित्तीय मध्यस्थकों, संस्थाएं पर्याप्त जानकारी की सृजन और रिपोर्टिंग की अपेक्षा करती हैं । सूचना का पर्याप्त प्रकटीकरण अत्यधिक जोखिम लेने के अवरोधों के रूप में कार्य करना केवल बाजार को इस योग्य बनता है कि वह बैंकों को अनुशासन में रखें। यह प्रकटीकरण उधारकर्ताओं की भी रक्षा करता है और उधारदाताओं की भी जो कि गलत परम्पराओं से बचता है और उन्हें वित्तीय संविदाओं में लागतों और वचनबद्धता के प्रति अधिक जागरूक करता है।

7.40 भारत में बैंकिंग प्रणाली की उच्च स्तर की पारदर्शिता और प्रकटीकरण देखी गयी है। प्रकटीकरण के दायरे को वर्षों से धीरे-धीरे बढ़ाया जाता रहा है और वर्तमान में इसमें पूंजी पर्याप्तता (टीयर I और टीयर II अलग-अलग) गैर-निष्पादक आस्तियां, सरकारी शेयरधारिता, गैर-निष्पादक में घटबढ़ संवेदनशील क्षेत्र (पूंजी बाजार) वास्तविक सम्पदा तथा पण्य) के प्रति निवेश जोखिम, गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधानों संबंधी गतिविधियां तथा निवेश के संबंध में अनेक संकेतक तथा कम्पनी ऋण पुनर्संरचना पर सूचना भी शामिल है। बैंकों के लिए इस प्रक्रिया को और बढ़ाकर आस्ति देयता प्रबंध, जोखिम प्रबंध नीतियां संकेन्द्रण सम्बद्ध संस्थाओं, व्यक्तियों को ऋण देना, सहायक संस्थाओं में निवेशों का मूल्यांकन, विभिन्न कार्य-निष्पादन उपाय और उनके संकेतकों भी शामिल किया जा रहा है। बैंक अपने तुलनपत्रों में खातों और अनुसूची में टिप्पणी के रूप में में विभिन्न संकेतकों पर सूचना उपलब्ध कर रहा है।

7.41 ऋणदाताओं के लिए उचित संव्यवहार कोड (संहिता) के संबंध में दिशानिदेश बना लिये गये और बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया है कि वे इन दिशानिर्देशों[36] को अपनाये। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इन दिशानिर्देशों में निहित वास्तविकता में बाधा न डालते हुए उनकी व्याप्ति बढ़ाने की स्वतंत्रता है। निदेशक बोर्ड को भी संगठन के भीतर ही शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित करना चाहिए जिससे इससे उत्पन्न होनेवाले विवाद सुलझे जा सकें। उचित संव्यवहार कोड तथा शिकायत निवारण तंत्र की आवधिक समीक्षा बोर्ड को नियमित अंतराल पर प्रस्तुत की जाए।

7.42 रिज़र्व बैंक बैंकों के परिचालन में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप व्यापक आवश्यकताएं निर्धारित करते हुए पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय समय-समय पर कर रहा है। रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के उपबंधों के अधीन वाणिज्य बैंकों पर उक्त अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करने या किसी अन्य आवश्यकता अनुपालन न करते, इस अधिनियम के अधीन रिज़र्व बै।क द्वारा निर्दिष्ट आदेश, नियम या शर्त का उल्लंघन करने के लिए दण्ड लगाने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं। किसी बैंक पर दण्ड लगाने का निर्णय बैंक को सूचित करने और उससे स्पष्टीकरण मांगने की उचित प्रक्रिया ताकि बैंक को अपनी बात करने का यथोचित अवसर प्राप्त हो, के बाद लिया जाता है। बेसिल II के अधीन बाजार अनुशासन की भूमिका पर अधिक बल

[34] अध्याय II, बॉक्स II.15 : सार्वजनिक सेवाओं पर प्रक्रिया और निष्पादन लेखा परीक्षा संबंधी स्थायी समिति ।

[35] लागू की गयी सिफारिशों के ब्यौरे वार्षिक नीति 2004-05 की मध्यावधि समीक्षा में उपलब्ध करायी गयी है।

[36] वार्षिक रिपोर्ट 2002-03 बॉक्स X.7

दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में तथा पारदर्शिता और बढ़ाने के उद्देश्य से बैंकों को 19 अक्तूबर 2004 को सूचित किया गया कि रिज़र्व बैंक द्वारा दण्ड लगाने के सभी मामले तथा विशिष्ट मामलों पर, इनमें निरीक्षण से उत्पन्न मामले भी है, आलोचना/निदेश 1 नवम्बर 2004 से पब्लिक डोमेन पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

कंपनी नियंत्रण

7.43 दक्ष जोखिम प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए कंपनी संचालन महत्त्वपूर्ण बनता जा रहा है। वित्तीय प्रणाली में, प्रणाली की सुदृढ़ता निर्धारित करने तथा आर्थिक आघात सहने की उसकी क्षमता निर्धारित करने के लिए कंपनी संचालन, महत्त्वपूर्ण हो गया है। वित्तीय क्षेत्र की सुदृढ़ता अधिकतर अलग-अलग संस्थाओं की अपने संबंधित जोखिमों की पहचान करने, उनके उपाय करने, निगरानी करने और नियंत्रित करने की उनकी क्षमता पर निर्भर होती है। कंपनी संचालन के अधीन बैंक कंपनी मूल्य, आचरण संहिता और उचित व्यवहार आदि संबंधी मानक आदि स्पष्ट करते है तथा इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उनके पास प्रणाली और नियंत्रण होता है। बोर्ड नीतिगत उद्देश्य तथा बैंकों का कारपोरेट मूल्य निर्धारित को लेता है और दायित्व और जिम्मेदारी की पारदर्शी सीमाएं निर्दिष्ट करता है जिन्हें समूहो संगठन को संप्रेषित किया जाता है। बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंध तंत्र बैंकों की वित्तीय स्थिति तथा प्रबंधन संव्यवहारों के समय पर आदान-प्रदान के लिए निर्दिष्ट अंतरालों पर बैठक बुलाते हैं। अतः कंपनी संचालन प्रणाली में खिलाडियों की पहचान करना संभव है। उनके बीच भारी संतुलन है जिससे संस्थागत विकास एवं ऐतिहासिक विकास के स्तर के आधार पर विद्यमान कंपनी संचालन प्रणाली निर्धारित होती है।

7.44 बैंकों को संचालन कानूनी, विनियामक तथा पर्यवेक्षी नीतियों के संमिश्रण का फल है। आंतरिक प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण की दक्ष प्रणाली को बढ़ावा देना आवश्यक है जिसके साथ मालिकों, निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंध तंत्र की भारी जबाबदेही हो जिसमें आंतरिक टिप्पणी और वित्तीय अपराध या संबद्ध ऋण प्रदान करने के मामले भी आते है। बैंकिंग क्षेत्र में कंपनी संचालन का दायित्व रिज़र्व बैंक पर है। निरंतर चल रहे वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के एक भाग के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों को जोखिम को सीमित रखने तथा आस्ति देयता प्रबंधन के लिए पारदर्शिता बढ़ाने एवं प्रकटीकरण के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करने में भारी स्वायत्तता प्रदान की गयी है। साथ ही बाजार सहभागियों के साथ अनौपचारिक स्तर पर तथा औपचारिक दोनों ही स्तरों पर परामर्शीदात्री समितियों जैसे परस्पर संपर्क व्यापक किया गया है।

7.45 रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2001 में कंपनी संचालन संबंधी मामले निपटाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों का एक परामर्शी दल (अध्यक्ष : डॉ. ए.एस. गांगुली) गठित किया। दल ने बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसेल समिति द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों पर बैंचमार्क किये गये विभिन्न उपायों की सिफारिश की है। दल की रिपोर्ट बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा जांच की गयी और इसकी सिफारिशों के आधार पर जिन सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्रवाई की जानी है उनका अलग समूह बनाया गया और बैंकों को जून 2002 मे इसकी सूचना दी गयी। इनमें शामिल है निजी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों पर निदेशकों की नियुक्ति के संदर्भ उचित । क्रियाविधि और स्वतंत्र / गैर कार्यपालक निदेशकों की भूमिका और दायित्व।

7.46 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी संचालन पर एक समिति (अध्यक्ष : श्री कुमार मंगलम बिड़ला) गठित की जिसने मई 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त सिफारिशें रिज़र्व बैंक को इस अनुरोध के साथ भेज दी गयी कि वे सेबी समिति की अपेक्षाओं के साथ वर्तमान में प्रचलित अपेक्षाओं को अनुरूप बनाने के उद्देश्य से बैंकों को उचित दिशानिर्देश जारी करें। जनता को शेयर जारी करनेवाले तथा स्टाक बाजारों में सूचीबद्ध बैंकों को शेयरधारियों की शिकायतों के निवारण करने पर विचार करने के लिए समिति गठित करने तथा अपने शेयरधारियों को छमाही आधार पर उल्लेखनीय गतिविधियों के सारांश के साथ अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम उपलब्ध कराने के लिए सूचित किया गया। यह पाया गया कि बैंकों में बाह्य लेखा-परिक्षकों की नियुक्ति तथा उन्हें हटाने से संबंधित क्रियाविधि सेबी समिति द्वारा सिफारिश की गयी क्रियाविधि से काफी सख्त है।

7.47 शेयर बाजार घोटाले संबंधी संयुक्त संसदीय समिति ने पाया कि स्वस्थ कंपनी संचालन पद्धति पर आधारित नीतियों और तकनीकों को अपनाना, बैंकों के लिए बाध्यकर है। इनमें शामिल हैं : सक्षम एवं अनुभवी निदेशकों, दक्ष प्रबंध तंत्र, समवर्ती नीति और कारोबारी योजनों और दायित्वों और जबाबदेही की सुस्पष्ट बातें अपनाना। संयुक्त संसदीय सिमति ने बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित परामर्शी दल (अध्यक्ष : श्री एम.एस.वर्मा) द्वारा जनवरी 2001 में प्रस्तुत सिफारिशों को पृष्ठांकित किया और इच्छा व्यक्त की कि इसे शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाए। बैंकों को इन अपेक्षाओं का पालन करने

के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआइएस) को सुदृढ़ बनाने तथा आंतरिक नियंत्रण तंत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए।

5. बाजारों का विकास :

7.48 वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था को अन्य बातों के साथ साथ आस्तियों की सहजतापूर्वक परिवर्तन के लिए तरलता उपलब्ध कराता है। वह बचत कर्ताओं को यह सुविधा देती है कि वे विभिन्न प्रकार की आस्तियां रख सकें। प्रणाली में उधारकर्ताओं को एक व्यापक विकल्प रहता है कि वे अपनी उत्पादक गतिविधियों के लिए अनुकूल निधियां जुटा सकें । इस प्रकार वित्तीय बाजारों के आर्थिक कार्यकलापों के 3 आयामों : समय, जोखिम और सूचना के रूप में देखा जा सकता है[37]। वित्तीय बाजार और संस्थाएं एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं ताकि वित्तीय प्रणाली के इन मूल कार्यों को प्राप्त किया जा सके। वित्तीय बाजार एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया तंत्र उपलब्ध कराते है साथ ही वित्तीय मध्यस्थक एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया तंत्र उपलबध कराते है जो बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं की आवश्यकता के अनुकूल होता है[38]।

7.49 भारत में वित्तीय बाजारों का विकास अनिवार्य रूप से संरचना में दक्षता और बाजारों की स्थिरता लाने तथा बाजारों के समनव्य को सुविधाजनक बनाने के लिए रूपान्तरण लाने के लिए किया गया है। इसमें जोर इस बात पर दिया गया है कि मूल्य निर्धारण को सुदृढ़ बनाया जाये, पूंजी प्रवाह या लेनदेनों को शिथिल किया जाये, लेनदेन की लागतों को कम किया जाये और चल निधि को बढ़ाया जाये। सुधारोत्तर अवधि के दौरान वित्तीय बाजारों की संरचना ने मुद्रा शेष प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा बाजारों के विभिन्न घटकों में खरीदे बेचे गये वित्तीय लिखतों की व्यापक परिपक्वता प्रकार और संख्या की दृष्टि से उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है।

मुद्रा बाजार

7.50 मुद्रा बाजार से सामान्यतः तीन मुख्य कार्य करने की अपेक्षा होती है : अल्पावधि निधि हेतु मांग तथा उसकी आपूर्ति में संतुलन बनाने के लिए संतुलक तंत्र की भूमिका निभाना, अर्थव्यवस्था में चलनिधि और ब्याज दरों का सामान्य स्तर प्रभावित करने में केंद्रीय बैंक हेतु मध्यावर्ती बिंदु बनना और अल्पावधि निधि के आपूर्तिकर्ता और उपयोगकर्ताओं को उनकी उधार लेने तथा निवेश करने की आवश्यकताएं प्रभावी बाजार निकासी कीमत पर प्राप्ति हेतु उपयुक्त पहुंच उपलब्ध कराना। मुद्रा बाजार लिखतों में मुख्यतः मांग मुद्रा, जमा प्रमाणपत्र, खज़ाना बिल, अन्य अल्पावधि सरकारी प्रतिभूति लेनदेन जैसे रेपो, बैंकर स्वीकृति/वाणिज्यिक बिल, वाणिज्यिक पत्र और अंतर-कंपनी निधि शामिल होते हैं। अंतर-बैंक मुद्रा बाजार और रिपो परिचालन के माध्यम से केंद्रीय बैंक उधार या बट्टाकरण से बैंकों को चलनिधि उपलब्ध होती है, वहीं वाणिज्यिक बिल और वाणिज्यिक पत्र जैसे निजी बैंकेतर मुद्रा बाजार लिखत वाणिज्य क्षेत्र को चलनिधि उपलब्ध कराते हैं। विकसित अर्थ व्यवस्थाओं से भिन्न जहां मुद्रा बाजार का विकास वित्तीय मध्यस्थों द्वारा कार्य कुशलता धारणा से किया जाता है, वहीं अन्य अनेक विकासशील देशों के समान भारत में भी मुद्रा बाजार और उसके स्वरूप का विकास वित्तीय क्षेत्र की अविनियमन की समग्र प्रक्रिया में समाहित है ।

7.51 मुद्रा बाजार में रिज़र्व बैंक एक महत्वपूर्ण घटक हैं। मौद्रिक नीति के संचालन के आशय में मुद्रा बाजार रिज़र्व बैंक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है। मुद्रा बाजार में रिज़र्व बैंक के परिचालनो का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करने का होता है की चलनिधि और अल्पावधी ब्याज दरों को मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अनुसार उचित स्तर पर बनाये रखा जाता है। रिजर्व बैंक कई परिचालनगत साधनों जैसे बैंकों की नकदी प्रारक्षित आवश्यकताएं, खुले बाजार परिचालन का संचालन, रिपो लेन-देन, बैंक दर में परिवर्तन और कभी कभी विदेशी मुद्रा स्वैप परिचालनों के द्वारा चलनिधि और ब्याज दरों पर नियंत्रण रखता है[39]।

7.52 भारत में मुद्रा बाजार का विकास अस्सी के दशक के अंत से हुआ है जब मुद्रा बाजार संबंधी कार्यकारी दल (अध्यक्ष : श्री एन. वाघुल) ने मुद्रा बाजार के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई सिफारिशें की[40]। प्रारंभ में, सुधार की प्रक्रिया के अधीन धीरे-धीरे नियंत्रित ब्याज दर प्रणाली से आस्ति देयताओं के मूल्य-निर्धारण के लिए

37 मर्टन, आर., (1990), 'कंटिन्यूअस टाईम फायनान्स', ब्लॅकवेल, केंब्रिज।

38 कॅनॉय, एम. एम. वान डिक, जे. लेमेन, आर. डी मूईज अॅण्ड जे. विगॅड, (2001), 'कॉम्पेटिशन अॅण्ड फायनान्शिअल स्टॅबिलिटि', सीपीबी नेदरलॅण्डस ब्यूरिओ फॉर इकॉनॉमिक पॉलिसी एनालिजिस, सीपीबी डॉक्युमेंट, नं. 015, दिसंबर।

39 रेड्डी, वाइ.वी. (2002) 'उदीयमान अर्थव्यवस्था में बॉण्ड बाजार का विकास मुद्दे : और भारतीय अनुभव' एशियाई सम्मेलन में मुख्य संबोधन जिसका आयोजन फिम्डा पीडीएआइ और थाइबीडीसी द्वारा बैंकाक में 11 मार्च, 2002 को किया गया था।

40 भारतीय रिजर्व बैंक, वार्षिक रिपोर्ट, 2003-04, बॉक्स V.1 मुद्रा बाजार का विकास

बाजार आधारित प्रणाली अपनाकर, मूलभूत सुविधा के विकास और नये लिखतों के आरंभ के जरिए मुद्रा बाजार संरचना में परिवर्तन लाया गया। मुद्रा बाजार के सुधार में बाजार की सघनता के लिए अन्य वित्तीय संस्थाओं की अधिकाधिक और व्यापक सहभागिता पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया। तदनुसार, प्राथमिक / अनुषंगी व्यापारी, म्युचुअल फंड और अन्य सहभागियों को बिल पुनर्भुनाई बाजार में और बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अलावा कार्पोरेट (प्राथमिक व्यापारियों द्वारा) को मांग मुद्रा बाजार में भाग लेने के लिए अनुमति दी गयी। जहां बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों को दो-तरफा कार्य करने की अनुमति दी गयी वहीं अन्य बैंकेतर संस्था केवल उधारदाता के रूप में सहभागी हुई।

7.53 हाल के वर्षों में रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण मुद्रा बाजार के विभिन्न क्षेत्रों के पोषक संतुलित विकास, नये लिखतों के प्रारंभ, गैर-जमानती निवेश जोखिम पर सहभागियों की निर्भरता में कमी, अल्पावधि में मूल्य निर्धारण की सुविधा और भुगतान प्रणाली संबंधी बुनियादी सुविधा के उन्नयन का रहा है[41]। तदनुसार रिज़र्व बैंक की नीति में विशुद्ध मांग/सूचना मुद्रा बाजार के विकास, संपूर्ण चलनिधि समायोजन सुविधा की स्थापना, बुनियादी सुविधा के विकास, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, तथा बैंकेतर सहभागियों के लिए लिखतों के बारे में विभिन्न उपाय करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

7.54 मांग/सूचना मुद्रा बाजार को केवल बैंकों और प्राथमिक व्यापारि यों की सहभागिता से विशुद्ध अंतर-बैंक बाजार में रुपांतरित करने की दृष्टि से मांग/सूचना मुद्रा बाजार से बैंकेतर संस्थाओं को हटाने की शुरुआत मई 2001 में हुई। तदनुसार, मांग/सूचना मुद्रा बाजार में सूचना देने के लिए नियत पखवाड़े में औसतन दिये गये दैनिक उधार जून 2003 के 75 प्रतिशत से घटकर 8 जनवरी 2005 से 2000-01 के दौरान के मांग / सूचना मुद्रा बाजार में औसतन दिये गये दैनिक उधार के 30 प्रतिशत रह गये। 7 फरवरी 2004 से प्राथमिक व्यापारियों को पूर्ववर्ती वत्तीय वर्ष के मार्च के अंत में सूचना देने के लिए नियत पखवाड़े में औसत आधार पर विद्यमान अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के 200 प्रतिशत तक उधार लेने के लिए अनुमति दी गयी। इस सीमा का पालन करने में किसी प्राथमिक व्यापारी को वास्तविक कठिनाई अनुभव किये जाने पर अनुपालन की अवधि बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करने की अनुमति दी गयी।

7.55 संपूर्ण चलनिधि समायोजन सुविधा को 2000 से अपनाते समय नियत शर्तों पर पारंपरिक पुनर्वित्त सहायता को बदला गया। प्रचलित चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामी के द्वारा रिपो और रिवर्स रिपो से बनती है। यह दैनंदिन चलनिधि स्थितियों को नियंत्रित रखने के प्राथमिक साधन के रूप में उभर कर सामने आयी है जिसमें निहित दृष्टिकोण है चलनिधि को बनाए रखना और अल्पावधि ब्याज दरों को अनौपचारिक मार्जिन में रखना। रिपो बाजार को उधार देने और उधार लेने संबंधी परिचालनों के साथ विकसित किया गया है। संशोधित चलनिधि समायोजन सुविधा अप्रैल 2004 से परिचालित हुई है। चलनिधि समायोजन सुविधा 1 नवम्बर 2004 से पखवाड़े में नियत दर रिपो और रिवर्स रिपो के साथ संचालित की जाती है। 29 अक्तूबर 2004 से रिपोट और रिवर्स रिपोट के शब्दों के अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग को अपनाया गया है।

7.56 फरवरी 2002 में वार्तातय लेनदेन प्रणाली के प्रारंभ 2001 में भारतीय समाशोधन निगम लि. की स्थापना एवं अप्रैल 2004 से तत्काल सकल निपटान प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ भुगतान प्रणाली की बुनियादी सुविधा के विकास को मजबूत किया गया। वार्तातय लेनदेन प्रणाली से स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रानिक लेनदेन और मुद्रा बाजार लिखतों में लेनदेनों की सूचना दी जा सकती है, सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार के लेनदेन और न्यूनतम समय अंतराल पर व्यापार की सूचना का प्रसार करने में सुविधा होती है। इससे भारतीय समाशोधन गृह लि. तथा लोक ऋण कार्यालय में वितरण बनाम भुगतान निपटान प्रणाली के साथ इलेक्ट्रानिक सम्बद्धता से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेनों के कागजरहित निपटान होते हैं। भारतीय समाशोधन गृह लि. नोवेशन के जरिए केन्द्रीय प्रतिपार्टी के रूप में कार्य करता है और निपटान जोखिम सीमित रखने के लिए जोखिम प्रबंध प्रणालियों के साथ गारंटीकृत निपटान उपलब्ध कराता है। आरटीएजीएस प्रणाली में सकल आधार पर लेनदेनों के तत्काल निपटान की व्यवस्था है जिसके द्वारा लेनदेन में किसी समाशोधन व्यवस्था की जरूरत पूर्णतः समाप्त हो जायेगी।

7.57 मांग/सूचना मुद्रा के उधार के प्रति भारी ऋण जोखिम जो अपने स्वरूप में गैर-जमानती होते हैं, होनेवाली चुकों के कारण सर्वांगीण अस्थिरता के सम्भावित खतरों को वहन करते हैं । ये मुद्रा बाजार के अन्य घटकों के विकास को भी प्रभावित करते हैं तथा अल्पावधि ब्याज दरों को प्रभावित करने में रिज़र्व बैंक की योग्यता को सीमित करते हैं । इस संबंध में रिज़र्व बैंक ने गैर-जमानती मुद्रा बाजार घटक के प्रति भारी सहारा लेने के कारण हो सकनेवाली चूकों

[41] भारतीय रिज़र्व बैंक, मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट, 1999-2000

से सर्वांगीण अस्थिरता के सम्भावित खतरों को ध्यान में रखते हुए अक्तूबर 2003 से बैंकों के लिए मांग/सूचना मुद्रा बाजार में ऋण जोखिम की विवेकसम्मत सीमाएं लगाना शुरू किया। परस्पर ऋण सुविधा के अंतर्गत जुटायी गयी रुपया नीति इन सीमाओं से मुक्त रखी गयी। यह छूट 7 फरवरी 2004 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से चरणबद्ध रूप में समाप्त कर दी गयी ।

7.58 पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए 3 मई 2003 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से वार्तातय लेनदेन प्रणाली के अंतर्गत किये गये मांग/सूचना मुद्रा बाजार के लेनदेन की सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया, भले ही वे वार्तातय लेनदेन प्रणाली में किये गये हों या उसके बाहर और चाहे प्रतिपक्षी पार्टी वार्तातय लेनदेन प्रणाली की सदस्य हो या नहीं। सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन तथा वार्तातय लेनदेन प्रणाली के सदस्यों को आंकड़ों का प्रसारण जुलाई 2003 में किया गया।

7.59 विभिन्न अन्य मुद्रा बाजार के लिखतों (जैसे जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र आदि) को गैर-बैंक सहभागियों तक मुक्त रूप से पैठ बनाने के लिए कदम उठाये गये हैं , इन उपायों का उद्देश्य मुद्रा बाजार के परिचालनों , गहनता, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाना था।

7.60 नये लिखतों को विकसित करने की प्रक्रिया एक भाग के रूप में, की गयी प्रमुख पहल संपार्श्विक (जमानती) उधार लेने और देने संबंधी दायित्व से संबंधित है जो 20 जनवरी 2003 को भारतीय समाशोधन निगम लिमि. के रूप में शुरू किया गया। सीबीएलओ के लिए बाजार का विकास करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने नकदी प्रारक्षित अनुपात के रूप में कुछ रियायतें दीं। इसके अलावा बैंक के शेष प्रतिभूति खाते में रखी गयी प्रतिभूतियां जो भारतीय समाशोधन निगम लिमि. के पास ग्राहकों के सहायक सामान्य खाता बही सुविधा के अंतर्गत रखी गयी हैं और बाकी भाररहित हैं, वे किसी भी दिन के अंत में एसएलआर के प्रयोजन के लिए गिनी जा सकती हैं। रिज़र्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय और भारतीय समाशोधन निगम लिमि. के बीच तत्काल समय की सम्बद्धता स्थापित करने को गति प्रदान करने की दृष्टि से तथा बाजार सहभागियों और भारतीय समाशोधन निगम लिमि. के बीच प्रतिभूतियों का निःशुल्क अंतरण करने के लिए उक्त लिखत का व्यापक प्रयोग अपेक्षित है।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

7.61 वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को प्रौन्नत करने में सरकारी प्रतिभूति बाजार की भूमिका स्थिर मूल्यों और स्थिर बाजारों से प्रेरित होती है। सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक गहन और तरल बाजार का विकास रिज़र्व बैंक के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है जो मूल्य निर्धारण करने में तथा सरकारी ऋण की लागत को कम करने में सुविधा प्रदान करती है। ऋण बाजार मौद्रिक नीति के प्रभावी सम्प्रेषण प्रक्रिया-तंत्र को समर्थ बनाते हैं। सुरक्षा उत्पादों को शुरू करने और उनके मूल्य-निर्धारण में सुविधा प्रदान करते हैं तथा अन्य ऋण लागतों के लिए बेंच मार्क के रूप में कार्य करते हैं । मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में रिज़र्व बैंक ऋण बाजारों के विकास में रिज़र्व बैंक का अधिकार होता है । तरल बाजार वित्तीय आस्तियों के एक अधिक पारदर्शी तथा सही मूल्य निर्धारण में सहायक होते है। वे बेहतर जोखिम प्रबंधन करने में सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए वित्तीय प्रणाली के विनियामक के रूप में रिज़र्व बैंक के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं ।

7.62 सरकारी प्रतिभूति बाजारों के विकास की दिशा में किये गये प्रयासों को 3 क्षेत्रों में केन्द्रित किया गया : संस्थागत उपाय, लिखतों के माध्यम से नवोन्मेष तथा समर्थक उपाय[42]। 1990 के दशक के दौरान सरकारी प्रतिभूति बाजार का विकास करने के प्रति दृष्टिकोण ने संरचनागत अवरोधों को दूर करने, नये खिलाड़ियों ओर लिखतों की शुरूआत करने, वित्तीय आस्तियों की मुक्त रूप से मूल्य निर्धारण, मात्रागत प्रतिबंधों में छूट तथा लेनदेन में सुधार, समाशोधन एक निपटान प्रक्रिया पर केन्द्रित रहा। इन सुधारों में विनियामक और कानूनी परिवर्तन, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा बाजार की व्यष्टि संरचना में सुधार शामिल थे।

7.63 हाल के अवधि में सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास के प्रति दृष्टिकोण ने वित्तीय स्थिरता संबंधी पहलुओं, बेहतर पारदर्शिता, जोखिम मुक्त निपटान, गहन चलनिधि और व्यापक आधारवाले सहभागिता पर अधिक ध्यान केन्दित किया है। रिज़र्व बैंक द्वारा हाल की अवधि में उठाये गये उल्लेखनीय कदमों में मीयाद को लम्बी करने, मुख्य मीयादों में नये निर्गम जारी करके उन्हें समेकित करते हुए नये आधारभूत सरकारी प्रतिभूतियों का विकास, उनकी प्रतिमोच्यता और तरलता को विद्यमान ऋणों को पुनः जारी करके बढ़ाना, खुदरा सरकारी प्रतिभूतियों को प्रोत्साहन देना, सचल दर कैलेण्डर की घोषणा तथा मुद्रा सरकार के उधार लेने के कार्यक्रम कि पारदर्शिता बढ़ाना शामिल हैं।

[42] मोहन, आर., (2004), 'भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार, नीति और कार्य निष्पादन विश्लेषण', भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, अक्तूबर, 2004।
मोहन, आर., (2004ख), 'ए डिकेड़ ऑफ रिफॉर्म इन दि गवर्नमेंट सेक्यूरिटी मार्केट एंड दि एजेंडा फॉर दि फ्यूचर, की नोट एड्रेस, फिम्डा - पीडीएआइ सम्मेलन, दुबई, नवंबर।

7.64 फरवरी 2002 में एनडीएस व्यवस्था की स्थापना परिचालनों में बृहतर दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा जोखिम मुक्त निपटान सहज बनाने के प्रयोजन से वित्त बाजार में प्रौद्योगिकीय बुनियादी सुविधा के विकास के लिए अबाधित समर्थन देने के लिए की गयी। इसके फलस्वरूप भारतीय समाशोधन निगम लि. की स्थापना तथा सरकारी प्रतिभूतियों के अनिवार्य डिमटेरियलाइजेशन का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रायः सभी बाजार सहभागी मुंबई स्थित लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ) के एनडीएस में शामिल हुए है और सामान्य सहायक खाता बही में लेन-देन एनडीएस के जरिए अब इलेक्ट्रॉनिक विधि से किए जाते है। इसीतरह एलएएफ खज़ाना बिलों और केंद्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी में बोलियां एनडीएस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किए जा रहे है जिसके फलस्वरूप नीलामी बोली प्रतिभूतियों को डिमटेरियलाइज्ड रूप में धारण की प्रक्रिया त्वरित करने तथा भौतिक रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार की गुंजाइश तथा अवितरण के जरिए होनेवाली संभावित अनियमितता को कम करने के लिए 20 मई 2002 को उपाय किए गए। ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) के जरिए प्रतिभूतियों के डिमेटरियलाइजेशन तथा 'अधिक (अतिरिक्त)' प्रतिभूति सृजन की संभावना को समाप्त करने के संबंध में सरकारी ऋण की अधिक नियमित व्यवस्था और प्रभावी निपटान के लिए विशिष्ट कार्रवाई बिन्दु निर्धारित किए गए।

7.65 सुदृढ़ सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास के एक भाग के रूप में विभिन्न परिपक्वतावले अर्थात 14 दिवसीय, 91 दिवसीय, 182 दिवसीय, 364 दिवसीय खज़ाना बिल प्रवर्तित किये गए है। राज्य सरकार अपनी अधिक चलनिधि निवेश करने में सक्षम हो सके इसलिए 14 दिवसीय खज़ाना बिल की व्यवस्था की गयी है। इस समय केवल 91 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी की जाती है। दीर्घावधि बॉण्ड के संबंध में भी नवीन प्रयोग किए गए है। इनमें जीरो कूपन बॉण्ड, कैपिटल इंडेक्सड बॉण्ड और अस्थिर दर बॉण्ड सम्मिलित है। पहली बार विक्रय और क्रय विकल्प वाले 10 वर्षीय बॉण्ड (17 जुलाई 2002 को) जारी किया गया जिस विकल्प का उपयोग निर्गम की तारीख के 5 वर्ष पूरा होने पर अथवा उसके बाद किया जा सकता है। अगस्त और अक्तूबर 2002 में दो 30 वर्षीय सरकारी बॉण्डों के निर्गम से बाजार सहभागियों को अतिरिक्त लोच उपलब्ध हुई। पंजीकृत हित और मुख्य प्रतिभूतियों का अलग व्यापार (हिस्सा) संबंधी परिचालन और विवेकसम्मत दिशानिदेश निर्धारित किए गए। प्राथमिक व्यापारी जो निर्धारित कतिपय वित्तीय मानदण्डों को पूरा करते है उन्हें प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग और पुनर्संरचना के लिए अधिकृत किया गया। 1 अप्रैल 2003 मुंबई स्थित लोकऋण कार्यालय में सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित सभी लेन-देन अब सीसीआइएल के जरिए निपटाए जा रहे है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक सदस्य के लिए निधीयन अपेक्षा काफी कम हुई है तथा चलनिधि जोखिम कम हुआ है।

7.66 स्टॉक एक्सचेंजों यथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसइ), मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई तथा ओवर दि काउन्टर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के जरिए सरकारी प्रतिभूतियेां के क्रय और विक्रय की अनुमति 16 जनवरी 2003 से अनाम स्क्रीन आधारित आदेश-प्रेरित आधार पर दी गयी ताकि सरकारी प्रतिभूति बाजार में देशव्यापी अभिगम (पै.) और व्यापक सहभागिता सहज बनायी जा सकें। इस उपाय का अभिप्राय सटीक मूल्य और समय की प्राथमिकता पर संगत आदेश द्वारा कारोबार में समय और लागत कम करना तथा बाजार के परिचालन और सूचना संबंधी दक्षता और इसकी पारदर्शता, गहनता एवं चलनिधि में बढ़ावा देना रहा है।

7.67 2003-04 के दौरान खुदरा कारोबार बाजार को व्यापक बनाने, बाजार जोखिम की प्रतिरक्षा, ऋण बाजार के सुदृढ़ीकरण तथा सरकारी प्रतिभूति खण्ड में भुगतान जोखिम में कटौती के क्षेत्र में कई उपाय किए गए है। कार्यसमूह (अध्यक्ष : डॉ.आर.एच.पाटिल) ने एनडीएस की परिचालनात्मक दक्षता के संदर्भ में इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा की तथा एनडीएस पर गुमनामी (अनाम) इलेक्ट्रौनिक स्क्रीन आधारित आदेश के संगत कारोबार व्यवस्था की सिफारिश की। इस समूह की रिपोर्ट विस्तृत चर्चा के लिए पब्लिक डोमेन में जारी कर दी गयी है। सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका के मूल्यांकन के लिए, जिसमें उनके दायित्व और उभरते हुए जोखिम का सामना करने की उनकी क्षमता और उनके तुलन-पत्र के संभावित विशाखीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। एक कार्य समूह (अध्यक्ष : डॉ.आर.एच.पाटिल) का गठन किया गया। समूह की रिपोर्ट और अधिक सलाह के लिए तकनीकी सलाहकार समिति के सम्मुख रखी जा रही है ताकि आगे की कार्रवाई करना संभव हो सके। अप्रैल 2006 से सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम में सहभागिता से रिज़र्व बैंक के हटने से जैसा कि राजकोषीय जबावदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम में नियत किया गया है, ओएमओ के लिए बाजार गतिविधियों के अनुरूप प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकीय बुनियादी सुविधा की समीक्षा उचित होगी। बाजार में सीधे अथवा प्राथमिक व्यापारियों के साथ रिज़र्व बैंक का तत्काल आधार पर हस्तक्षेप आवश्यक हो जाएगा। इसके मद्देनजर रिज़र्व बैंक ने अपने 2004-05 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में खुला बाजार परिचालनों के सुदृढ़ीकरण के प्रयोजन से अध्ययन समूह के गठन का प्रस्ताव किया है ताकि 2006 में अधिनियमित राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम के आलोक में उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा रिज़र्व बैंक एवं बाजार सहभागियों को सुसज्जित (तैयार) किया जा सके।

विदेशी मुद्रा बाजार

7.68 खुले आर्थिक पर्यावरण में, विदेशी मुद्रा बाजार वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गये हैं चूंकि बैंकों के तुलन-पत्र विदेशी पूंजी प्रवाहों तथा विभिन्न अन्य बाहरी लेन देनों द्वारा प्रभावित होते हैं। भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार, 1990 के दौरान भुगतान संतुलन संबंधी उच्च स्तरीय समिति, 1993 (अध्यक्ष : डॉ.सी. रंगराजन), भारत में विदेशी मुद्रा बाजार संबंधी विशेषज्ञ दल, 1995 (अध्यक्ष : श्री ओ.पी.सोधानी) तथा पूंजी लेखा परिवर्तनीयता संबंधी समिति, 1997 (अध्यक्ष : श्री एस.एस.तारापोर) के विभिन्न सिफारिशों के कारण काफी विस्तृत तथा सधन बना। भारत के विदेशी मुद्रा बाजार में सुव्यवस्थित परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए, मार्च 1993 में बाजार निर्धारित विनिमय दर प्रणाली में संक्रमण तथा विभिन्न बाहरी लेन देनों संबंधी प्रतिबंधों का तदनुवर्ती क्रमिक उदारीकरण प्रमुख कारक बने। रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार के हाजिर और वायदा कारकों के विकास के प्रति विभिन्न उपाय किये हैं।

7.69 प्राधिकृत व्यापारियों के लिए पारदर्शी कारोबार व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा स्वचालित विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी आदेश के संगत व्यवस्था तक उनकी पहुंच की अनुमति देने तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार की दक्षता और पारदर्शिता में काफी सुधार लाने में सहायता देने की दृष्टि से नवम्बर 2002 में सीसीआइएल को रुपया/यूएस डॉलर विदेशी मुद्रा हाजिर और वायदा कारोबार के लेनदेन की अनुमति दी गयी।

7.70 हाल के वर्षों में विदेशी मुद्रा प्रवाह विशेषकर वृद्धित पूंजी प्रवाहों के कारण चलनिधि प्रबंधन के लिए चुनौतियँ खड़ी कर दी हैं चूंकि इनका आशय देशी मौद्रिक नीति तथा विनिमय दर प्रबंधन संचालित करना है। इस प्रकार के प्रवाह किस प्रकार देशी मौद्रिक नीति को प्रभावित करते हैं यह अधिकांश रूप से प्राधिकारियों द्वारा अपनाये जानी वाली विनिमय दर प्रणाली की प्रकृति पर आधारित है। भारत में आने वाले अत्यधिक विदेशी मुद्रा प्रवाहों के संदर्भ में, रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह के परिचालनगत तथ्यों यथा, विदेशी मुद्रा बाजार के हस्तक्षेप की सीमा तथा परिणामी निधियों का संचयन और अपेक्षित सीमा तक निष्प्रभावीकरण की आवश्यकता की समीक्षा कर रहा है। रिज़र्व बैंक के नीतिगत उपाय तथा परिचालनगत पद्धतियों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रणाली में रखी गयी उपयुक्त चलनिधि मूल्य स्थिरता के उद्देश्य के अनुरूप है।

7.71 कई अवसरों पर विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रति रिजर्व बैंक का रूख स्पष्ट हुआ है। नब्बे के दशक की अंतिम अवधि में विशेषकर 1997-98 में विदेशी मुद्रा बाजार एशियाई संकट के बावजूद स्थिर रहा। 2001-02 और 2002-03 के दौरान यूएस में 11 सितम्बर की घटना, बाह्य मोर्चे पर तंत्र की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा विभिन्न घरेलू गतिविधियों जैसे सीमा पर तनाव, प्राकृतिक विपदाएं जैसे कि चक्रवात, और भूकंप तथा मानसून की विफलता के बावजूद विदूशी मुद्रा बाजार सुव्यवस्थित रहीं। 2002-03 और 2003-04 के दौरान रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड तथा पूंजी प्रवाह में वृद्धि के आलोक में भी विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता देखी गयी तथा मुद्रा बाजार सुव्यवस्थित रहा। नीतिगत निर्णय के कारण बहुपक्षीय ऋणों के समय-पूर्व भुगतान तथा रिसर्जेंड इंडिया बॉण्ड (आरआइबी) के एक बारगी शोधन के कारण बड़ा मात्रा में बहिर्प्रवाह के बावजूद पी खाता में निरंतर आगम दर्ज किया गया। रिज़र्व बैंक ने 1998 में आरआइबी को प्रवर्तित (जारी) करनेवाले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) से परामर्श कर आरआइबी का निर्बाध शोधन सुनिश्चित करने के जरिए एक उपयुक्त व्यवस्था कायम की। अंततः भारतीय वित्त बाजार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव अथवा विदेशी मुद्रा की किसी विपरीत स्थिति के बिना ही 1 अक्तूबर 2003 को 5.5 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य के आरआइबी के शोधन के कारण भुगतान दायित्व को पूरा किया गया। जबकि रिज़र्व बैंक ने शोधन तारीख को एसबीआई की अपेखाओं के अनुरूप विदेशी मुद्रा उपलब्ध करते, एसबीआई ने रिज़र्व बैंक से विदेशी मुद्रा क्रय के निधीयन के लिए पर्याप्त रुपया संसाधन जुटा रखा था। इस अवधि में निर्विघ्न शोधन करने के लिए रिज़र्व बैंक ने वायदा विदेशी मुद्रा आस्तियों से ठेका किया था जिसने आवश्यकताओं के बड़े भाग को पूरा किया। शेष अपेक्षाएं विदेशी मुद्रा भण्डार से पूरी की गयी।

7.72 2003-04 के दौरान निवल आगम अबतक सर्वाधिक तथा इसने रिज़र्व बैंक के मौद्रिक प्रबंधन विशेषकरण निष्प्रभावीकरण संबंधी हस्तक्षेप के लिए चुनौतियां प्रस्तुत की। इस संबंध में रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से चलनिधि और मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक अतिरिक्त लिखत के रूप में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) की शुरुआत की। भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच 25 मार्च 2004 को एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें एमएसएस के मूलाधार और परिचालनात्मक तरीकों के ब्यौरे थे। चलनिधि की अधिकता बनी रहने पर उसका समाधान रिज़र्व बैंक द्वारा किये जाने के लिए सरकार ने एमएसएस की उच्चतम सीमा 60,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 80,000 करोड़ रुपये की हैं। एमएसएस का अभिप्राय अनिवार्यतः निष्प्रभावीकरण के जरिए अधिक स्थायी प्रकृति के चलनिधि खपाने को दैनिक सामान्य

चलनिधि प्रबंधन परिचालनों से अंतर करने का रहा है। वित्त बाजार को पारदर्शिता और स्थिरता प्रदान करने के लिए आरम्भ में 25 मार्च 2004 को अप्रैल-जून 2004 की तिमाही के लिए एमएसएस के अंतर्गत 35,500 करोड़ रुपए के खजाना बिल। दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम की निर्देशात्मक सूची जारी की गयी। उभरती हुई चलनिधि स्थिति के मद्देनजर एमएसएस के अंतर्गत दोनों 19 दिवसीय और 364 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी 10 नवम्बर 2004 से बंद कर दी गयी। 13 नवम्बर 2004 की स्थिति के अनुसार एमएसएस के अंतर्गत जारी 91 दिवसीय और 364 दिवसीय खजाना बिलों तथा दिनांकित प्रतिभूतियों सहित प्रतिभूतियों की बकाया धनराशि 55,686 करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) थी।

7.73 चूंकि एमएसएस के अंतर्गत मात्रा बढ़ गयी एलएएफ के अंतर्गत प्रत्यक्ष चलनिधि में कमी आयी। एलएएफ के अंतर्गत चलनिधि में कटौती से अल्पतर अवधि में आयवक्र के स्थिरीकरण में सहायता मिली। यह सीबीएलओ दर बाजार रिपो दर और रातभर के मांग मुद्रा दर के एलएएफ रिपो दर के निकट जाने की प्रवृत्ति से स्पष्ट होता है। तथापि, यह देखा गया कि एलएएफ रिपो की 7 दिन की न्यूनतम अवधि के कारण चलनिधि में कुछ समूहीकरण देखा गया जिसने अल्पावधि दरों विशेषकर सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी के समय, अस्थिरता प्रदान की। तदनुसार अप्रैल 2004 में समाप्त की गयी रातभर के परिवर्ती रिपो दर के स्थान पर अगस्त 2004 में एलएएफ के अंतर्गत रातभर के नियत रिपो दर की श्कुरुआत की गयी। जबकि पूंजी आगम में मंदी तथा उच्चतर ऋण मांग के कारण बेहतर घरेलू खपत दोनों के संयुक्त प्रभाव से अधिक चलनिधि की मात्रा कम हो गयी है, फिर भी यह काफी अधिक है तथा 16 नवम्बर 2004 की स्थिति के अनुसार 69,466 करोड़ रुपये है।

6. भुगतान प्रणाली और प्रौद्योगिकी

7.74 भुगतान और निपटान प्रणाली किसी भी वित्तीय अर्थ व्यवस्था की रीढ़ होती है। कुशल भुगतान प्रणाली का उद्देश्य होता है प्रणालीगत जोखिम कम करना। इसके अलावा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कार्य करने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी विकास आवश्यक होता है। भुगतान प्रणाली की निगरानी करना केंद्रीय बैंकों का अनिवार्य कार्य होता है जिसका होता है भुगतान प्रणाली का सुगमता से कार्यरत होना सुनिश्चित करना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सहायता करना। भुगतान प्रणाली वित्तीय बाजारों के समेकन के लिए भी महत्त्वपूर्ण है जोकि परिणामतः मौद्रिक नीति आवेगों का अंतरण सरल बनाती है। भुगतान प्रणाली देशी-विदेशी लेनदनों की गति, वित्तीय जोखिम, विश्वसनीयता तथा लागत प्रभावित करती है।

7.75 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता की वृद्धि के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और प्रभावी भुगतान तथा निपटान प्रणाली विकसित करने के लिए संगठित प्रयास किये। देश में भुगतान तथा निपटान प्रणालियों की समग्र प्रभाविता में सुधार करने की प्रक्रिया के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने विनियामक व निरीक्षण कार्यों के अलावा संवर्धनात्मक तथा संस्थागत कार्यों को भी प्रारंभ किया।

7.76 सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करायी है। इसने वित्तीय मध्यस्थों के तीन मुख्य कार्यों की रूप रेखा ही बदल दी है : चलनिधि तक पहुंच, आस्तियों का रूपांतरण और जोखिम की निगरानी। भुगतान प्रणाली के विकास में सभी प्रयासों के पीछे प्रेरक शक्ति तकनीक रही है, वहीं यह सुनिश्चित किया गया है कि एक सुरक्षित, कार्य कुशल और संरक्षित भुगतान और निपटान प्रणाली की अन्य सभी मुख्य अपेक्षाएं पूरी की जाती है।

7.77 संभावित जोखिम, कानूनी ढाँचा और मौद्रिक नीति के परिचालन स्वरूप पर पड़नेवाले प्रभाव के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक, सुदृढ़, उपयुक्त, सुनिश्चित और समेकित भुगतान और निपटान प्रणाली के स्वरूप और विकास के लिए एक परिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है। भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली के आधुनिकीकरण की तीन भुजाएँ : (क) समेकन, (ख) विकास और (ग) एकीकरण हैं। मौजूदा भुगतान प्रणाली के समेकन में कंप्यूटरीकृत चेक समाशोधन का सुदृढ़ीकरण, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा की पहुँच का सिस्तार और प्रणाली को आधुनिक स्तर की प्रौद्योगिकीय सुविधा प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक विधि से निधि का अंतरण शामिल है। नये समाशोधन गृह खोलना, इन्फिनेट के द्वारा समाशोधन गृहों का अंतर-संयोजन; आर टी जी एस, सी एफ एम एस, एन डी एस और एस एफ एम एस के माध्यम से बैंकों द्वारा संसाधनों का अमीष्ट नियोजन विकासात्मक रणनीति के महत्वपूर्ण तत्व हैं। चूँकि, अलग-अलग बैंकों की प्रणाली में विभिन्न भुगतान उत्पादों के समेकन पर सर्वाधिक बल देना है, अतः इसके लिए किसी एक बैंक में और विभिन्न बैंकों के बीच निर्बाध संपर्क में उच्च स्तरीय मानकीकरण आवश्यक है।

7.78 बैंक सहजता के साथ प्रौद्योगिकी को अंगीकार कर लें, इसके लिए सुरक्षित, मजबूत और सुदृढ़ प्लेटफार्म प्रदान करने की आवश्यकता को मानते हुए रिज़र्व बैंक ने 1996 में बैंकिंग प्रौद्योगिकीय विकास और अनुसांधान संस्थान (आइडीआरबीटी) की स्थापना की जो बैंकों को अनिवार्य मुख्य नेटवर्किंग कार्यप्रणाली प्रदान करने के लिए भी स्वायत्त केन्द्र के रूप में उभर रहा है। आइडी आरबी टी ने इन्फिनेट (इंडियन फिनांशियल नेटवर्क) के नाम से देश के वित्तीय संचार का मेरूदंड स्थापित किया हे जो उपग्रह (वीसैट का उपयोग करते हुए) और स्थलीय लाइन पर आधारित एक वाइड एरिया नेटवर्क है। यह नेटवर्क 1999 से कार्य कर रहा है और सीमित उपयोगकर्ता समूह के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के विशिष्ट उपयोग के लिए उपलब्ध है। इन्फिनेट से उद्घाटित लाभ को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने इन्फिनेट का उपयोग करते हुए और अधिक उत्पाद की शुरूआत की है। इसमें एनडीएस संस्थानिक ढाँचे में 1999 में निर्मित राष्ट्रीय भुगतान परिषद (एनपीसी) देश के लिए एक समेकित, अत्याधुनिक और खरी भुगतान और निपटान प्रणाली की डिजाइन तैयार करने और विकास करने हेतु व्यापक नीतिगत मानदंड तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

7.79 भुगतान प्रणाली में ऋण जोखिम, तरलता जोखिम, कानूनी जोखिम, परिचालन जोखिम और सर्वांगीण जोखिम जैसे अनेक प्रकार के जोखिम हो सकते हैं। आस्थगित निवल निपटान प्रणाली (डीएनएसएस) में जोखिम कम करने के लिए आर टी जी एस का परिचालन रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 2004 से किया जा रहा है। आर टी जा एस एक ऐसी बड़ी मूल्यवाली निधि की अंतरण प्रणाली है, जिसके द्वारा वित्तीय मध्यस्थक अपने खाते और अपने ग्राहकों के लिए अंतर-बैंक अंतरण का निपटान कर सकते हैं[43]। निरंतर और कारोबार-दर-कारोबार आधार पर अंतर-बैंक निधि अंतरण का अंतिम निपटान दिन भर चलने वाले प्रक्रमण क्रिया से होता रहता है। यह प्रणाली पूर्णतः सुरक्षित है जिसमें सुरक्षित और संरक्षित संदेश संप्रेषण के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का और पब्लिक की इन्फ्रॉस्ट्रक्चर (पीकेआइ) आधारित कूटलिपि का प्रयोग होता है। अंतर बैंक निपटानों के मूल्य का 75 प्रतिशत से ज्यादा, पहले जिसका निपटान बहुविध डीएनएसएस आधारित अंतर बैंक समाशोधन से होता था, का निपटान अब आरटीजीएस के तहत होता है। डीएनएसएस एक विकल्प था जोकि बड़े मूल्य के भुगतानों के प्रबंध के लिए अनेक स्थानों पर प्रयोग में लाया जाता था। डीएनएस प्रणाली में, सहभागी बैंकों के व्यक्तिगत भुगतान संदेश निर्धारित करके निवल राशि का निपटान एक निर्दिष्ट समय में सामन्यतः दिन के अंत में किया जाता है। ऐसी प्रणाली में दो मुख्य खामियां थीं : (i) प्रतिपक्षियों को निपटान पूरा होने तक दिन के अंत तक निपटान जोखिम उठानी पड़ती थी, और (ii)इसमें इस दृष्टि से प्रणालीगत जोखिम था कि यदि कोर्द पक्ष चूक करता है तो लेनदेन को ठीक करने और उसका पुनः हिसाब करने और/या उसे सकल दायित्वों में पलटने की आवश्यकता होती थी। यद्यपि डीएनएस प्रणाली अंतिम निवल दायित्व छोटे होने से चलनिधि आवश्यकता की दृष्टि से कम मांग वाली है, तथापि कम जोखिम के कारण आरटीजीएस तंत्र के माध्यम से बड़े भुगतान करने को तरजीह दी जाती है।

7.80 आरटीजीएस प्रणाली के एक मात्र वर्शन को विस्तृत परीक्षण के बाद ट्रायल रन पर रखा गया। विशेषज्ञों का बाह्य समूह ने इस प्रणाली की नीतियों, पद्धतियों, लेखांकन तथा तकनीकी तथ्यों का मूल्यांकन किया। रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस प्रणाली को चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किया। प्रथम स्तर पर, जून 2003 में आरटीजीएस प्रणाली का एक प्रदर्शनकारी वर्शन कार्यान्वित किया गया और 104 बैंकों के अधिकारियों से इसका अभ्यास कराया। आरटीजीएस का सक्रिय परिचालन 4 चुनिंदा बैंकों की सहभागिता से 26 मार्च 2004 से प्रारंभ हुआ। यह प्रणाली रिज़र्व बैंक के एकीकृत लेखा प्रणाली के साथ पूर्णतः संयोजित है। चूंकि आरटीजीएस सेवाएं बैंकों द्वारा उनके शाखा नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाएंगी, यह आवश्यक है कि बैंक अपनी शाखाओं तथा भुगतान प्रणाली प्रवेश मार्ग (गेट-वे) जिसके जरिये बैंक आरटीजीएस प्रणाली के साथ संपर्क बनाये रखते है, के बीच आवश्यकता संयोजकता स्थापित करें।

7.81 19 नवम्बर 2004 की स्थिति के अनुसार आरटीजीएस के साथ लेनदेन करने वालों में 152 शहरों तथा कस्बों में अवस्थित 1451 शाखाओं के साथ बैंकों सहित कुल 94 प्रत्यक्ष सहभागी थे, 1 दिसम्बर 2004 तक इस प्रणाली के विस्तार को 275 केन्द्रों पर 3,000 शाखाओं तक बढ़ाये जाने की संभावना है। बैंकों द्वारा उनकी निधियों का प्रभावीपूर्ण प्रबंधन कर सकने तथा निपटान प्रयोजन के लिए विभिन्न केन्द्रों के चारों ओर निधियों के परिहार्य प्रवृत्तियों को रोकने के प्रयोजन से रिजर्व द्वारा एक राष्ट्रीय निपटान प्रणाली (एनएसएस) चरणबद्ध रूप से प्रारंभ करने की संभावना

43 अध्याय II, बॉक्स II.16 : भारत में आरटीजीएस

है। यह रिज़र्व बैंक द्वारा प्रबंधित विभिन्न समाशोधन गृहों तथा अन्य बैंकों को किसी एक केन्द्रीकृत स्थान पर संयोजित करेगा। 2005 के आरंभ में इसके प्रारंभ होने की संभावना है। आरटीजीएस व्यवस्था बैंकों को यह सुनिश्चित करने में सहायता करती है कि विभिन्न केन्द्रों पर इष्टतम उपयोगिता के लिए इलेक्ट्रानिक अंतरण तंत्र के माध्यम से निधियों के एकत्रीकरण का लाभ उठाते हुए सारे देश में प्रणाली के सदस्य बैंकों के बीच तत्काल निधि अंतरण हो सके। बैंक अप / आपदा राह्य प्रबंधन प्रणालियों के अति महत्त्व को पहचानकर 2003-04 के दौरान बैंक अप/अपदा सहत प्रबंधन के रूप में भौगोलिक रूप से विस्तरित दो साइटों की पहचान की गयी तथा इस स्थानों पर डेटा केन्द्र स्थापित किये गये। आरटीजीएस प्रणाली, रिज़र्व बैंक से प्रणाली के सहभागियों को आंतर दिवसीय संपार्श्विक चलनिधि (आइटीएल) के समर्थन से अंतर बैंक तथा ग्राहक आधारित लेनदेनों के लिए एक इलेक्ट्रानिक आधारित निपटान उपलब्ध कराती है। आरटीजीएस प्रणाली मेन्युअल लेनदेन के बिना ग्राहक लेनदेन का सीधे माध्यम से संसाधन (एसटीपी) करने में सक्षम है।

7.82 वर्तमान में, सभी फुटकर भुगतान प्रणालियाँ पेपर आधारित और इलेक्ट्रानिक आधारित दोनों का निपटान आस्थगित निवल निपटान आधार पर किये जाते हैं। इस प्रकार के निपटान में जमा, चलनिधि तथा परिचालनगत जोखिम हैं जो निपटान विफलताओं का कारण बन सकता है। फुटकर निपटान प्रणालियों के लिए उचित रूप से जोखिम कम करने के तंत्र को बनाये रखने के साथ-साथ इस प्रकार के तंत्र के परिचालनगत आशयों की जाँच करने हेतु रिज़र्व बैंक, इंडियन बैंक असोसियेशन (आरबीए) तथा बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ रिज़र्व बैंक द्वारा एक कार्यदल गठित की गयी।

7.83 वार्षिक नीति विवरण 2004-05 में यह इंगित किया गया कि रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए एक बोर्ड (बीपीएसएस) स्थापित करेगा जो देशी तथा सीमा-पार प्रणालियों को शामिल करने वाले भुगतान और निपटान प्रणालियों के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के लिए नीतियाँ निर्धारित करेगा। बोर्ड का संविधान देश के विभन्न भुगतान और निपटान प्रणालियों का अत्यंत प्रभावी नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगा। बीपीएसएस की स्थापना संबंधी प्रारूप विनियमन गजट में अधिसूचना के लिए सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया।

7.84 अत्यधिक मात्रा में धन अंतरणों के लिए इलेक्ट्रानिक में समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) तथा इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण योजनाओं (ईएफटी) के विस्तृत प्रयोग को सुसाध्य बनाने तथा प्रतिभूति बाजारों सहित वित्तीय क्षेत्रों के विभिन्न खण्डों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईसीएस तथा ईएफटी के संबंध में विद्यमान प्रति लेन देन सीमाओं को 1 नवम्बर 2004 से समाप्त कर दिया गया है।

7.85 हाल के वर्षों में वित्तीय लेन देनों के एक माध्यम के रूप में प्लास्टिक कार्डों, (क्रेडिट, डेबिट तथा स्मार्ट) ने बृहतर स्वीकृति तथा प्रचलन प्राप्त कर लिया है[44]। बैंक या तो अपने स्वयं के कार्ड अथवा अंतर्राष्ट्रीय कार्ड जारीकर्ता संस्थाओं के साथ सहबद्धता के अंतर्गत कार्ड जारी करते हैं। इन कार्डों का प्रयोग करते हुए किये जाने वाले लेन देनों की मात्रा तथा मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन कार्डों की लोकप्रियता को स्वीकार करते समय विनियामक तथा ग्राहक संरक्षण उपाय महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। तदनुसार यह प्रस्ताव किया गया है कि एक कार्यकारी दल गठित किया जाए जो विनियामक तथा ग्राहक संरक्षण तथ्यों की जाँच करेगा तथा एक सुरक्षित तथा ग्राहक सुविधाजनक रूप में कार्ड उपयोगिता के उपाय सूचित करेगा।

7. विनियमन तथा पर्यवेक्षण संरचना

7.86 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को भारतीय बैंकिंग प्रणाली के पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा गया है। रिज़र्व बैंक चुनिंदा वित्तीय कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय III-बी के तहत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 से अध्याय III बी, III-सी और V का संशोधन होने से रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के संदर्भ में एक व्यापक विनियामक ढांचा लागू किया है जिसमें संशोधित धारा 45-आइए के अनुसरण में अनिवार्य पंजीकरण भी शामिल है[45]।

7.87 भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक अन्य बैंकों को तिमाही निगरानीयोग्य कार्य योजना, और साथ ही पूंजी, लाभप्रदता, एनपीए, अंतर-शाखा, अंतर-बैंक और नास्त्रो खाते, उधारकर्ता खाते आदि जैसे बैंक तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखे के विभिन्न संकेतकों से संबंधित लक्ष्यों

[44] अध्याय II बाक्स 2.7 : भारत में क्रेडिट कार्ड भी देखें।
[45] भारतीय रिज़र्व बैंक, वार्षिक रिपोर्ट, 2000-01

संबंधी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उन्हें निदेश दे सकता है। रिज़र्व बैंक को अधिकार हैं कि वह व्यापक आधार के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र सहित कुछ क्षेत्रों को ऋण विनिधान पर सीमा तय करें और संवेदनशील क्षेत्रों के उधारों पर प्रतिबंध लगाएं। रिज़र्व बैंक को यह भी अधिकार है कि भर्ती और शाखाएं खोलने पर बंदी डालकर और बैंकों के प्रबंधन पर नियंत्रण रखे और उनके मुख्य कार्यपालक अधिकारियों या बोर्ड निदेशकों को हटा कर उनका प्रबंधन परिवर्तित करे। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों के कार्यों पर दृष्टि रखने के लिए अतिरिक्त निदेशक/ पर्यवेक्षक नियुक्त करता है ताकि बैंकों के कार्य उनके जमाकर्ताओं के हित के विपरित न हों। रिज़र्व बैंक कुछ गंभीर मामलों में निजी क्षेत्र के बैंकों को अधिस्थगन के तहत रख सकता है या उनके समापन की कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है। विनियमन और पर्यवेक्षी प्रक्रिया का स्वरूप चार्ट VII.1 में दिया गया है।

वित्तीय पर्यवेक्षण हेतु बोर्ड

7.88 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की समिति के रूप में नवम्बर 1994 को किया गया था[46]। बीएफएस का प्राथमिक लक्ष्य है वित्तीय क्षेत्र का पर्यवेक्षण जिसमें वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सहकारी बैंक और प्राथमिक व्यापारी। रिजर्व बैंक के गवर्नर उक्त बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं और उप गवर्नर पदेन सदस्य होते हैं। एक उप गवर्नर उपाध्यक्ष के रूप में नामित किए जाते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय बोर्ड के चार निदेशक सदस्यों के रूप में सामान्यतः दो वर्ष की अवधि हेतु सहयोजित किए जाते हैं। बोर्ड की बैठक सामान्यः माह में एक बार होती है। बैठक के दौरान, इसमें पर्यवेक्षी विभागों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्टों और अन्य पर्यवेक्षी मामलों पर चर्चा होती है। बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) बीएफएस की

चार्ट VII.1 : विनियमन और पर्यवेक्षण की संरचना

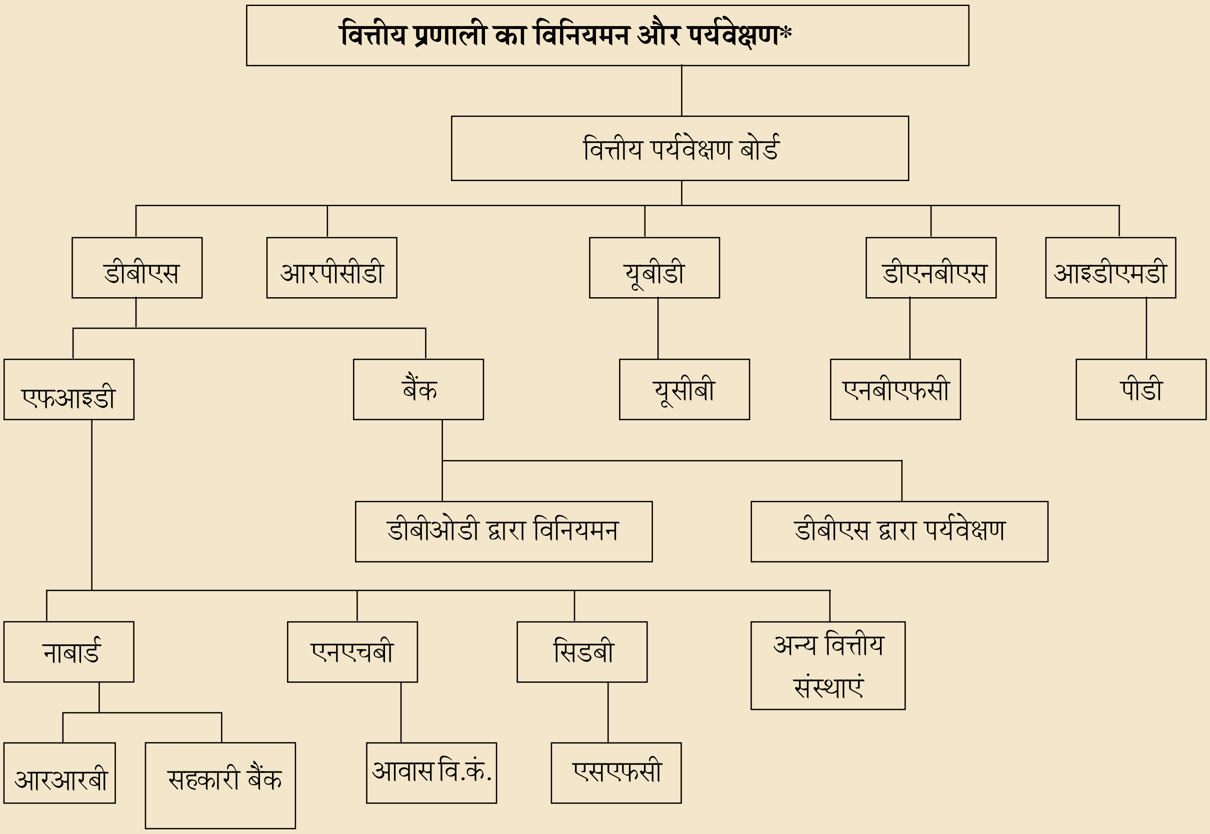

* इस चार्ट में भारिबैं की पर्यवेक्षी स्थिति को दर्शाया गया है।
टिप्पणी : रिज़र्व बैंक के क्रमशः विनियामक और पर्यवेक्षी विभाग है।

[46] अध्याय II: नीति संबंधी गतिविधियां

सहायता करता है और यह विभिन्न पर्यवेक्षित संस्थाओं के विनियामक और पर्यवेक्षी मामलों पर निदेश देता है। बीएफएस द्वारा किए गए कुछ उपायों में बैंक निरीक्षण प्रणाली का पुनर्विन्यासीकरण अप्रत्यक्ष निरीक्षण प्रणाली लागू करना, सांविधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका बढ़ाना और पर्यवेक्षित संस्थाओं की आंतरिक सुरक्षा दृढ़ करना।

चौकसी और निगरानी

7.89 सुधार पूर्व समय में भारत में विनियामक/पर्यवेक्षी ढांचा बैंकों के वार्षिक प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा व्यष्टि प्रबंधन तक सीमित था। मंगाया जाने वाले अप्रत्यक्ष निरीक्षण के आंकड़ों में वाणिज्य बैंकों के प्रकाशित तुलन पत्र और लाभ-हानि खाते ही होते थे। वित्तीय प्रणाली पर समिति (अध्यक्ष एम.नरसिंहम) और अन्य समितियों ने जिन्होंने रिज़र्व बैंक द्वारा अपनायी जानेवाली पर्यवेक्षी नीति की जांच की, सिफारिश की कि वित्तीय क्षेत्र के पर्यवेक्षण को मजबूत करने हेतु अप्रत्यक्ष चौकसी प्रणाली प्रारंभ की जानी चाहिए। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने अपनी पहली बैठक में ही प्रत्यक्ष निरीक्षण और अप्रत्यक्ष चौकसी प्रणाली के संयोजन पर आधारित चौकसी और निगरानी प्रणाली अनुमोदित की। (i) इसमें समुचित पर्यवेक्षी सूचना ढाँचे के आधार पर बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं की आंतरिक निगरानी प्रणाली तैयार करने के लिए परोक्ष चौकसी प्रणाली स्थापित करना, (ii) सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं से संबंधित ''मेमोरी'' तैयार करना तथा बाजार आसूचना और चौसी इकाई (एमआइएसयू) स्थापित करना, (iii) ध्यान केन्द्रित करने, प्रक्रिया, सूचना और अनुवर्ती कार्रवाई के अनुसार बैंक निरीक्षण प्रणाली का पुनर्निर्माण, बैंकों की सांविधिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करना और लेखा परीक्षकों का एजेंट के रूप में उपयोग करने के साथ-साथ पर्यवेक्षी प्रक्रिया में उनकी भूमिका का विस्तार करना, पर्यवेक्षित संस्थाओं में कंपनी नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा कार्य, (iv) तथा प्रबंध सूचना और जोखिम नियंत्रण प्रणाली जैसी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अप्रत्यक्ष चौकसी प्रणाली शामिल की गई।

प्रत्यक्ष (ऑन-साइट) निगरानी

7.90 1992 से पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए चार वर्ष में एक बार वित्तीय निरीक्षण वार्षिक वित्तीय समीक्षा होते थे। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के संबंध में वित्तीय निरीक्षण 18 माह तथा 24 माह में एक बार किए जाते थे। दो वास्तविक निरीक्षणों के बीच के लम्बे अंतराल को कम करने के लिए एक वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआर) में निरीक्षण की दो धाराएं समाहित की गई जोकि सभी बैंकों पर 1992 से लागू की गई। बाद में एएफआइ का दायरा बढ़ाया गया और बैंकों के निरीक्षण के लिए कैमल्स/ सीएएलसीएस प्रतिमान (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन मूल्यांकन, चलनिधि और प्रणाली तथा नियंत्रण) लागू किया गया। प्रत्यक्ष निरीक्षण के आधार पर बैंकों के कार्य निष्पादन का स्तर निर्धारण करने की प्रणाली शुरू की गई जिसमें कार्य निष्पादन के आधार पर ''ए'' से ''डी'' का स्तर प्रदान किया जाता है।

7.91 जहाँ भारतीय बैंकों की शाखाओं के विदेशी परिचालनों का निरीक्षण करने का दायित्व मौटे तौर पर उनके मूल बैंक पर छोड़ दिया गया है, वहीं सीमा पर पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने के लिए उठाये गये उपायों के एक भाग के रूप में, विभिन्न वित्तीय केन्द्रों पर कार्यरत सभी शाखाओं को मूल्यांकन दौर के एक प्रणाली बनायी गयी है। आवधिक निरीक्षण दौरों और विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ बैठकें करने के अलावा देशों के पार पर्यवेक्षी सहयोग पर बेसिल समिति के मूल सिद्धान्तों के अनुपालन की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पर्यवेक्षी सूचना के आदान प्रदान के लिए एक औपचारिक समझौता - ज्ञापन तैयार किया जा रहा है। भारतीय बैंकों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभागों के संविभाग निवेशों के आकलन भी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा वार्षिक रूप से किया जाते हैं। बैंक के कॉरपोरेट कार्यालयों और विदेशों परिचालनों के नियंत्रक प्रभागों के किये गये पर्यवेक्षण में आस्ति गुणवत्ता, परिचालनगत लाभ आदि विदेशी शाखाओं तथा मेजबान देश के विनियामकों की अवधारणाओं का भी आकलन किया जाता है तथा इनमें पाये गये कार्यमूलक अंतरों के दूर करने के लिए बैंकों के अन्तराष्ट्रीय प्रभागों के साथ आवधिक रूप से चर्चा भी की जाती है।

समेकित पर्यवेक्षण

7.92 बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के प्रमुख सिद्धांतों ने स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में समेकित पर्यवेक्षण की अपेक्षा को अधोरेखांकित किया है। वित्त क्षेत्र के विकास के मद्देनजर 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान बैंक समूहों का समेकित पर्यवेक्षण शुरू करने तथा प्रणाली (व्यवस्था) की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संस्थाओं की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों के सशक्तीकरण पर अधिक ध्यान दिया गया है। रिज़र्व बैंक ने समेकित पर्यवेक्षण को सहज बनाने के लिए समेकित लेखांकन और अन्य मात्रात्मक विधि शुरू करने की संभाव्यता की जांच के प्रयोजन से बहु-संकायवाले कार्यसमूह (अध्यक्ष : श्री विपिन मलिक) का नवम्बर 2000 में गठन किया।

कार्यसमूह की सिफारिशों के आधार पर मार्च 2003 को समाप्त होनेवाले वर्ष से कार्यान्वयन के लिए बैंकों को समेकित पर्यवेक्षण संबंधी दिशानिदेश जारी किए गए। बैंकों को निदेश दिया गया कि वे 31 मार्च 2003 के समाप्त होनेवाले वर्ष से सख्त अनुपालन सुनिश्चित करें। रिज़र्व बैंक द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले समेकित पर्यवेक्षण के घटकों में आम प्रकटीकरण के लिए समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तथा जोखिम के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए समेकित विवेकसम्मत रिपोर्ट (सीपीआर) सम्मिलित है जिसे समूह के अन्य सदस्यों द्वारा बैंकों अथवा अन्य पर्यवेक्षित प्रतिष्ठानों को भेजा जा सकता है । इसके अतिरिक्त पूंजी पर्याप्तता और समूह आधार पर विशाल निवेश/जोखिम संकेंद्रण जैसे कतिपय विवेकसम्मत विनियमों का अनुप्रयोग होगा। आरम्भ में उन सभी समूहों के लिए समेकित पर्यवेक्षण अनिवार्य बनाया गया है जहाँ नियंत्रक प्रतिष्ठान बैंक है।

7.93 सहायक/संबद्ध/संयुक्त उद्यम वाले बैंकों के लिए समेकित स्तर पर पर्यवेक्षण की शुरुआत की गयी है जिसके अंतर्गत बैंकों से आशा की जाती है कि वे छमाही समेकित तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखा सहित समेकित विवेकसम्मत विवरणी और वार्षिक समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेंगे। सवोत्तम अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों तथा बीसीबीएस की सिफारिशों के अनुसरण में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के लिए भी प्रयास किया जा रहा है।[47] प्रत्यक्ष एएफआइ के साथ-साथ पिछले वर्ष प्रायोगिक आधार पर आरबीएस के लिए 8 बैंकों की पहचान की गयी तथा प्रायोगिक अध्ययन से प्राप्त अनुभव के आधार पर वर्तमान निरीक्षण अवधि के दौरान आरबीएस के लिए और 15 बैंकों की पहचान की गयी है।

7.94 भारत में वित्तीय परिदृश्य में मर्चेंट बैंकिंग, बीमा आदि जैसे अन्य वित्त क्षेत्रों में कुल बृहतर बैंकों का प्रवेश वृद्धिशील रूप से देखा जा रहा है जिसने उन्हें वित्तीय ञ्संकेंद्रणट (समूह) बना दिया है। वित्तीय उदारीकरण के फलस्वरूप सभी प्रमुख क्षेत्रों में विशाखीकृत उपस्थिति वाले कई नए संस्थान भी उभरकर सामने आए है तथा वित्त क्षेत्र में कुछ गैर-बैंकिंग संस्थान के काफी अधिक समानुपात अर्जित करने की संभावना है जिसका सर्वांगी प्रभाव होगा। विनियामक परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त गतिविधियों के फलस्वरूप संकेंद्रण (समूह) से संबद्ध आगामी संभावित जोखिम को दूर करने में पर्यवेक्षण संबंधित खण्डवार दृष्टिकोण की सीमाएं बढ़ गयी है। जोखिम निम्नलिखित से संबद्ध नैतिक संकट के कारण हो सकता है : कई वित्तीय संकेंद्रण (समूहों) इतने अधिक विफल नहीं हो सकते की स्थिति, होल्डिंग आउटट फीनोमेनन के कारण संसर्गज अथवा ख्याति प्रभाव, अंतःसमूह वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनो लेन देन तथा निवेश के कारण उत्पन्न होनेवाली विनियामक अंतरपणन, क्षमता से अधिक कारोबार आदि से संबंधित चिंताओं। इसलिए, इन मुद्दों के समाधान के लिए वित्तीय स्थिरता संबंधी उपलब्धियों को अधिक सुदृढ़ करने के प्रयोजन से सक्रिय रूख के रूप में रिज़र्व बैंक ने अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अध्यक्ष, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के परामर्श से 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में वित्तीय संकेंद्रणों (समूहो संबंधी कार्यसमूह, संयोजक : श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) के गठन की घोषणा की ताकि सर्वांगी रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय मध्यचर्ती संस्थाओं (एसआइएफआइ) के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। समूह ने जून 2004 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित से संबंधित मानदण्ड सुझाए : वित्तीय संकेंद्रण (समूहों) की पहचान, ऐसे संकेंद्रणों के बीच अंतःसमूह लेनदेन और जोखिम का पता लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था तथा संकेंद्रणों (समूहों) के संबंध में सूचना के अंतर-विनियामक आदान-प्रदान की व्यवस्था। इस प्रयोजन से 24 संकेंद्रणों (समूहों) की पहचान की गयी है तथा समूह द्वारा संस्तुत खाका के आधार पर पहली रिपोर्ट का संकलन किया जा रहा है। इस संरचना (खाका) के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए रिज़र्व बैंक में एक नोडल कक्ष की स्थापना की गयी है। सभी तीनों विनियामकों के प्रतिनिधियों से गठित तकनीकी समिति रिपोर्टिंग अपेक्षाओं से उत्पन्न होनेवाले मुद्दों पर परस्पर विचार कर रही है तथा उनका समाधान कर रही है।

अप्रत्यक्ष निगरानी और निरीक्षण प्रणाली :(ऑसमॉस)

7.95 एक परोक्ष पर्यवेक्षण की प्रक्रिया बनाने के उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ पर्यवेक्षी अधिकारियों को अनुमोदित आधार पर बैंक के स्वास्थ्य के बारे में सूचना उपलब्ध कराना है, संस्थाओं की निगरानी और उसके विश्लेषण के लिए डाटा-बेस तैयार करना है, बैंकिंग में सर्वांगीण प्रक्रिया का पता लगाना तथा नीति संबंधी पहलों को समर्थन प्रदान करना है। एक बड़े बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष निगरानी और निरीक्षण में भारी लागत और पर्यवेक्षी संसाधन लगते हैं। इस संबंध में लागत बचाने और पर्यवेक्षी संसाधनों के अभीष्टतम आबंटन के लिए अप्रत्यक्ष निगरानी उपयोगी है। संकट

[47] अध्याय II, बॉक्स II.12 : बेसिल II : एक संशोधित ढांचा

प्रबंधन के एक भाग के रूप में अप्रत्यक्ष निरीक्षण का प्रयोग पूर्व में ही चेतावनी प्रणाली के लिए एक ढांचे के तौर पर किया जाता है तथा संवेदनशील संस्थाओं के प्रत्यक्ष निरीक्षण के लिए उसे एक संकेतक के रूप में माना जाता है। रिज़र्व बैंक ने 1995 में बैंकों के लिए कम्प्यूटरीकृत अप्रत्यक्ष विवेकसम्मत पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की। तब से अप्रत्यक्ष निगरानी की व्याप्ति और सीमाएं बढ़ी हैं तथा वाणिज्यिक बैंकों के जोखिम प्रबंधन और दक्षता के विभिन्न पहलुओं का यह एक सशक्त साधन के रूप में विकसित हुआ है।

7.96 1995 में जब अप्रत्यक्ष विवेकसम्मत पर्यवेक्षी विवरणियों को पहली बार लागू किया गया था, विवरणियों को डीएसबी विवरणीयों का नाम दिया गया था। प्रारंभ में भारतीय बैंकों के लिए सात विवरणियां और विदेशी बैंकों के लिए चार विवरणियां निर्धारित की गयी थीं। वर्षों बाद बढ़ी हुई प्रकटीकरण और पारदर्शिता के माध्यम से बाजार अनुशासन को बढ़ाने की दृष्टि से, इन विवरण की सूची बढ़ा दी गयी। वर्तमान में बैंकों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली लगभग 23 विवरणियां हैं। इन विवरणियों की व्याप्ति का क्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ, आस्ति, देयताएं निवेश जोखिम, पूंजी पर्याप्तता, परिचालन परिणाम, आस्ति-गुणवत्ता, बड़े-बड़े ऋण, सम्बद्ध पक्षों को उधार देना, स्वामित्व नियंत्रण, समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण रिपोर्ट, तुलन पत्र विश्लेषण, अनुषंगी/सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के कार्यों की रिपोर्ट और साथ ही भारतीय और विदेशी दोनों मुद्राओं के लिए चलनिधि और ब्याज दर संवेदनशीलता पर विवरणियां शामिल हैं। इन विवरणियों की व्याप्ति को समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि उभरती पर्यवेक्षी चिन्ताओं के संबंध में संबंधित आंकड़े प्राप्त किये जा सके। अवधि समाप्ति से 21 दिन का समय प्रौद्योगिकी रूप में उन्नत नये निजी और विदेशी बैंकों के लिए तथा तिमाही के समाप्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों तथा पुराने निजी बैंकों के लिए इन विवरणियों को प्रस्तुत करने का एक महीने की समाप्ति समय निर्धारित किया गया। समय अंतराल से अब ऑसमॉस प्रणाली सुस्थापित हो गई है और विभिन्न लाभ दे रही है। चूंकि ऑसमॉस आधार आंकड़ों में भौगोलिक स्पर्श और तकनीकी क्षमता है, अतः यह अनुमान है कि जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के तहत जोखिम प्रोफाइल बनाने संबंधी कार्य आसान हो जाएगा।

7.97 वित्तीय पर्यवेक्षण के इस व्यापक दृष्टिकोण से नीति निर्माताओं को अपनी विनियामक और मौद्रिक नीति दृष्टिकोण को सुधारने में सहायता मिली है जिससे कि वे वृद्धि और वित्तीय स्थिरता के बीच सम्यक संतुलन स्थापित कर सकें। उदाहरणार्थ पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख पर्यवेक्षी चिंता बैंकिंग क्षेत्र के संभावित ब्याज दर जोखिम रही है। बैंकों की आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता स्वरूप, निवेश के बही और बाजार मूल्य से संबंधित एकत्रित आंकड़ा के आधार पर संपूर्ण प्रणाली तथा पृथक बैंक दोनों के लिए उपलब्ध गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए बैंक तुलन-पत्र पर बाण्ड की बढ़ती हुई आय के प्रभाव का नियमित रूप से संकलन किया जा सकता है। व्यवस्था में बहिर्वासियों को ब्याज दर आघातों को बर्दाश्त करने की अपनी क्षमता के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए जागरूक बनाया गया।

शहरी सहकारी बैंक

7.98 शहरी सहकारी बैंक (श.स.बैं) सहकारी ऋण प्रणाली के महत्त्वपूर्ण घटक है[48]। शहरी सहकारी बैंक शहरी क्षेत्र विशेषतः कृषितर छोटे उधारकर्ताओं की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करते हैं। सहकारी बैंक जमाराशि संकलन, ऋण आपूर्ति और विप्रेषण सुविधा देने जैसे सभी बैंकिंग कार्य करते हैं। शहरी सहकारी बैंक राज्य के सरकारी समितियों के पंजीयक, केंद्र सरकार और रिज़र्व बैंक का बहुविध विनियामक तंत्र के अधीन होते हैं।

7.99 रिज़र्व बैंक में वित्तीय प्रणाली के लिए शहरी सहकारी बैंकों के कार्य निष्पादन में आनेवाली चुनौतियों के मुद्दे नज़र मई 1999 में श्री.के. माधवराव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त की थी। ताकि इस शहरी सहकारी बैंकों की समीक्षा कर सके और इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक उपाय किये जा सके नये दृष्टिकोण के अंतर्गत निम्नलिखित में संबंध में परोक्ष चौकसी प्रणाली शामिल की गयी। उक्त समिति ने शहरी सहकारी बैंकों की सहकारिता विशेषता बरकरार रखने, वित्तीय प्रणाली की प्रणालिगत जोखिम कम करने, जमाकर्ताओं के हित सुनिश्चित करने और प्रवेश स्तर पर मजबूत विनियामक मानदंड लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि प्रतिस्पर्धा के इस युग में शहरी सहकारी बैंकों की परिचालनगत कुशलता बनी रहे। उसने यह भी सिफारिश की कि दुर्बल बैंकों की बढ़ती

[48] कृपया रिपोर्ट अध्याय IV : सहकारी बैंक की गतिविधियां भी देखें।

हुई संख्या के मद्देनज़र मौजूदा शहरी सहकारी बैंक स्वरूप को मजबूत करने और विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने और दुहरे नियंत्रण की त्रासद प्रणाली समाप्त करने के लिए शहरी बैंकिंग क्षेत्र को अन्य बैंकिंग क्षेत्रों के समरूप बनाने के लिए उपाय विकसित किए जाएं।

7.100 वर्ष 2001-02 में शहरी सहकारी बैंकों में हुई गतिविधियों के मद्दे नजर जमाकर्ताओं की हित की रक्षा के लिए रिज़र्व बैंक ने 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु उपायों की एक शृंखला का प्रारंभ किया। इन उपायों में पूंजीगत पर्याप्तता मानकों को लागू करना, आस्ति-देयता प्रबंधन संरचना निर्धारित करना, नियत, सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजन से सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के धारण अनुपात में वृद्धि करना और कंपनी शेयरों व डिबेंचरों की जमानत पर बैंक वित्त प्रदान किये जाने पर प्रतिबंध लगाना शामिल है[49]।

7.101 जून 2002 में शहरी सहकारी बैंक को सूचित किया गया कि उनके एसएलआर आस्तियों के एक अंश के रूप में सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का धारण करना उनके लिए अनिवार्य है। शहरी सहकारी बैंक को सूचित किया गया कि सरकारी प्रतिभूतियों में खरीद विक्रय लेनदेन रिज़र्व बैंक के एस. जी एल खाते के माध्यम से अथवा सीएसजीएल के नामित एजेंसियों के खाते या अन्य बैंकों /जमाकर्ताओं के डीमटीरलाइज्ड खाते के माध्यम से ही किये जाएं। उनसे अपेक्षित है कि वे इस प्रकार के लेनदेन एनडीएस/ सीसी आइएल प्रणाली के माध्यम से ही करें उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे अपने नये निवेश अनुमत लिखतों जैसे पीएसयूं बांड, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के विशिष्टिकृत बांड/इक्विटी, वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी इनफ्रास्ट्रक्चर बांड, तथा यूटीआइ के यूनिटों में केवल डीमटीरलाइज्ड रूप में ही करें। शहरी सहकारी बैंक पर प्रतिपार्टि के रूप में ब्रोकरों के साथ लेनदेन करने से प्रतिबंध लगाया गया, तथा उन्हें सूचित किया गया कि सरकारी प्रतिभूतियों में अपने लेनदेनों को प्रति तिमाही समवर्ती लेखा परीक्षा के अधीन करें तथा रिज़र्व को यह स्पष्ट करें कि शहरी सहकारी बैंक द्वारा सूचित निवेश वास्तव में उनके खुद की हैं।

7.102 रिज़र्व बैंक ने 100 करोड़ व अधिक की जमाराशि वाले सभी अननुसूचित शहरी सहकारी बैंकों पर अप्रत्यक्ष निरीक्षण प्रणाली लागू की। सभी शहरी सहकारी बैंकों के अप्रत्यक्ष निरीक्षण हेतु प्रणाली के गठन की दिशा में पहले चरण के रूप में 31 मार्च 2001 से अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी सूचना प्रणाली लागू की गई। अप्रत्यक्ष निरीक्षण सूचना प्रणाली में आठ विवरणियों का सेट शामिल है जो कि पहले दस का था । अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में सूचना प्रणाली स्थिर हो गई है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि यह 100 करोड़ रुपये व अधिक की जमाराशि वाले सभी अननुसूचित शहरी सहकारी बैंकों पर लागू कर दिया जाए। विवरणियों के नए सेट के सहज संक्रमण / परिचालन को सुगम बनाने की दृष्टि से विवरणियां प्रस्तुत करने की एक माह की अवधि दिसंबर 2004 को समाप्त तिमाही से क्रमिक आधार पर लागू की जाएगी। इन विवरणियों के माध्यम से निगरानी की जा रहे विवेकपूर्ण मामलों में शामिल हैं दिवालियापन से संबंधित पहलू, चलनिधि, पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता / संविभाग जोखिम प्रोफाइल, संबंधित या रिश्तेदारों को उधार और पर्यवेक्षित संस्थाओं की ऋण जोखिम का संकेंद्रण / सूचना प्रणाली का संपार्श्विक लक्ष्य बैंक प्रबंधन को पर्यवेक्षी प्राधिकारी की चिंताओं के प्रति संवेदनशील बनाना और उससे स्व-विनियमन में सहायता करना है। सूचना प्रणाली का गौण उद्देश्य है कि पर्यवेक्षी प्राधिकर की चिंताओं के प्रति बैंक प्रबंधन के संवेदनशील बनाना और साथ ही स्व-विनियमन में सहायता करना है।

7.103 शहरी सहकारी बैंकों के सभी निदेशकों, उनके संबंधी तथा प्रतिष्ठानों को जिनमें उनका निहित लाभ हैं, दिये जाने वाले ऋणों तथा अग्रिमों की समग्र सीमा (प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दोनो) को, बैंक के मांग और मीयादी देयताओं संबंधी पूर्व 10 प्रतिशत सीमा को कम कर 5% प्रतिशत कर दिया गया। संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार और कुछ राष्ट्रीय सहकारी बैंक के मामलों में उत्पन्न कतिपय अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए 1 अक्तूबर 2003 से शहरी सहकारी बैंक, उनके संबंधियों तथा प्रतिष्ठानों जिनमें उनका निहित लाभ है को दिये जाने वाले ऋण तथा अग्रिमों पर पूर्णतः रोक लगा दी गयी है।

7.104 रिज़र्व बैंक ने यह भी निदेश दिया है कि शहरी सहकारी बैंकों को गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में प्रायः विधिवत पूर्ववृत्त संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करना शुरू करे। इस समय रिज़र्व बैंक के विनियमों में कतिपय प्रयोजनों से ऋण सुविधा देने से बैंकों को निवारित कर दिया गया है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी गतिविधियों का वित्तपोषण गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के जरिए एकत्रित निधि से न किया जाए। यूसीबी को राष्ट्रीय बैंकों के बॉण्ड को छोड़कर

[49] भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2000-01

अनिर्धारित ऋण प्रतिभूतियों, असूचीबद्ध प्रतिभूतियों, एआइएफआइ के असूचीबद्ध शेयरों तथा निजी रूप से प्रवर्तित ऋण प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करना चाहिए। ऋण प्रतिभूतियों की क्रेडिट रेटिंग सेबी में पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के निवेश ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। यूसीबी को एक वर्ष से कम मूल परिपक्वता वाली गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करना चाहिए।

7.105 रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2003 में सहकारी बैंकों के लिए एक नयी ग्रेडिंग प्रणाली प्रारंभ की । नयी ग्रेडिंग प्रणाली उनके सीआरएआर, निवल एनपीए स्तर, हानि की स्थिति रिकार्ड और विनियामक परिवेश के अनुपालन के अधीन है। इसी प्रकार केमल्स के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंक के लिए एक पर्यवेक्षी रेटिंग प्रणाली प्रारंभ की गयी। प्रारंभ में इसे शहरी सहकारी बैंक के संदर्भ में कार्यान्वित किया गया परंतु बाद में इसके सरलीकृत वर्शन को मार्च 2004 से गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक के लिए भी लागू किया गया।

7.106 यूसीबी की भावी भूमिका के लिए विजन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है ताकि स्थानीय समुदायों को उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हुए जमाकर्ताओं का हित किया जा सके तथा भ्रष्टाचार से बचा जा सके। संरचनात्मक मुद्दों के संबंध में, भारिबैं इस क्षेत्र में समेकन के जरिए दृढ़ और अर्थक्षम संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देना। इस के साथ ही भारिबैं राज्य और केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होनेवाले मुद्दों के संबंध में उनसे अनुसरण जारी रखेगा।

विकास वित्त संस्थाएं (डीएफआइ)

7.107 वैश्वीकृत परिदृश्य में बैंकों के लिए बदले हुए कार्य-वातावरण के साथ विकास वित्त संस्थाआं के विनियामक ढांचे में भी भारी परिवर्तन हुआ है[50]। एक ओर विकास वित्त संस्थाओं की कम लागतवाली दीर्घावधि निधियों तक, विशेषकर, गैर-एसएलआर बांडों तक पहुंच समाप्त कर दी गयी। दूसरी ओर, दीर्घावधि उधारों के लिए उन्हें बैंकों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। ब्याज दर संरचना पर नियंत्रण हटाने से विकास वित्त संस्थाओं के लिए दीर्घावधि निधि जुटाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप, विकास वित्त संस्थाओं ने सार्वजनिक निर्गम और बढ़ती हुई पूंजी स्थानन के माध्यम से बाजार से प्रतिस्पर्धी दरों पर निधि जुटायी, जिससे उनकी निधियों की समग्र लागत बढ़ गयी। बढ़ती हुई संसाधन लागत, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और आस्ति गुणवत्ता में गिरावट के कारण विकास वित्त संस्थाओं ने समानान्तर बैंकिंग की गतिविधियां अर्थात (वणिक बैंकिंग परामर्शदात्री सेवाएं) चलाकर अपनी सेवाओं का विशाखीकरण किया है। इसके परिणामस्वरूप, उनकी मीयादी उधार परिचालनों में आम तौर पर गिरावट आयी है, जबकि उनकी अल्पावधि उधार देने और गैर निधि आधारित परिचालनों में वृद्धि हुई है। वित्तीय क्षेत्र में भारी पुनर्संरचना का प्रमाण हाल ही में दो विकास वित्त संस्थाओं अर्थात आइसीआइसीआइ तथा आइडीबीआइ को बैंकों में परिणत होने के रूप में देखा जा सकता है। इसके फलस्वरूप, ये दो बैंक रिज़र्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षी प्रक्रिया के अधीन आ गये है। इस पुनर्संरचना के साथ बैंकिंग प्रणाली के और अधिक प्रतिस्पर्धी और दक्ष बन जाने की सम्भावना है।

7.108 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं प्रत्यक्ष पर्यवेक्षी प्रक्रिया (कैमल्स मानदंड) के अंतर्गत आती है और उन पर भी बैंकों के समान पर्यवेक्षण 1995 से लागू है[51]। इनमें से कुछ संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त विकासात्मक कार्यों और पर्यवेक्षी कार्यों को ध्यान में रखते हुए - नाबार्ड, राज्य/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करता है, राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास वित्त कम्पनियों का विनियमन और निरीक्षण करता है। आइडीबीआइ राज्य वित्त निगमों का निरीक्षण करता है। इन संस्थाओं के पर्यवेक्षी आकलन के लिए एक संशोधित दृष्टिकोण लागू किया गया है। श्री वाइ.एच.मालेगांव, बैंकिंग वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह ने इस संबंध में उपायों की सिफ़ारिशें की हैं।

7.109 1997 में मीयादी ऋण दात्री संस्थाओं के ऋण जोखिम की समीक्षा करने पर,रिज़र्व बैंक ने उनक व्यक्तिगत / समूह उधारकर्ताओं के उधारों के संबंध में ऋण जोखिम सीमा निर्धारित की थीं। तदनुसार, अखिल भारतीय मीयादीऋण और पुनर्वित्त देनेवाली संस्थाओं के लिए बेहतर जोखिम प्रबंध और ऋण जोखिम का संकेद्रण टालने, व्यक्तिगत एवं सामूहिक उधारकर्ताओं के प्रति किसी मीयादी ऋणदात्री संस्था के जोखिम को सीमित करने के लक्ष्य के अनुसार, विवेकसम्मत उपाय के रूप में, ऋण जोखिम मानदंड निर्धारित किए गए। किसी एकल उधारकर्ता के प्रति ऋण जोखिम वित्तीय संस्था की पूंजीगत निधि के 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगें। तथापि ऋण जोखिम अतिरिक्त पांच प्रतिशत बिंदु (अर्थात 20 प्रतिशत तक) बढ़ सकती है, बशर्ते अतिरिक्त ऋण जोखिम मूलभूत सुविधा की परियोजना हेतु हो। वैसे ही, किसी समूह के उधारकर्ताओं के प्रति ऋण जोखिम वित्तीय कंपनी की पूंजीगत निधि के 40 प्रतिशत से जयादा नहीं होगी।

[50] कृपया रिपोर्ट का अध्याय V : वित्तीय संस्थाएं भी देखें।

[51] भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2000-01

तथापि, ऋण जोखिम अतिरिक्त दस प्रतिशत बिंदु (अर्थात कुल 50 प्रतिशत तक) बढ़ सकती है, बशर्ते अतिरिक्त ऋण जोखिम मूलभूत सुविधा परियोजना हेतु हो।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) क्षेत्र

7.110 1997 तक एनबीएफसी के तुलनपत्र के आस्ति पक्ष को विनियमित करने के रिज़र्व बैंक के अधिकार सीमित थे। विधायिका का ध्यान मुख्य रूप से उनकी निवल स्वाधिकृत निधि से उनकी जमाराशि स्वीकारने की मात्रा को संबद्ध करके उनके जमाराशि संग्रहण को संयमित करना था। विनियामक ढांचा मजबूत करने की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 1997 में प्रवर्तित किया गया। संशोधित प्रावधानों की प्रमुख विशेषताएं प्रवेश बिंदु मानदंड, रिज़र्व बैंक में अनिवार्य पंजीकरण, भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अर्थसुलभ आस्तियों का निश्चित प्रतिशत बनाए रखना, प्रारक्षित निधि नीति बनाना और प्रतिवर्ष लाभ के निर्धारित अनुपात के (कम से कम 20 प्रतिशत) अंतरण से संबंधित हैं। विनियामक उपायों को पुख्ता करने की दृष्टि से पर्यवेक्षण का स्वरूप और विस्तार पुनर्निधारित किया गया जो कि निम्नवत् चार लम्बी प्रक्रिया पर आधारित थी जिनमें (i) केमल्स (अर्थात पूंजी-पर्याप्तता, आस्तियां, प्रबन्धक आदि ... चलनिधि प्रबंधन तथा प्रक्रियाएं, केमल्स पैटन पर प्रत्यक्ष निरीक्षण (ii) अद्यतन सूचना प्रणाली अपनाने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से प्राप्त होनेवाली विवरणियों के द्वारा अप्रत्यक्ष निगरानी, (iii) एक प्रभावी बाजार आसूचना (iv) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा अपवादात्मक रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण की प्रणाली । गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए प्रस्ताव, जांच की प्रणाली केमल्स दृष्टिकोण के आधार पर बनायी गयी है और वह बैंकिंग प्रणाली के लिए अपनाये गये पर्यवेक्षी मॉडलों के ही अनुरूप है। एक व्यापक निरीक्षण मॅन्युअल निरीक्षण अधिकारियों के उपयोग के लिए तैयार किया गया है। जनता की जमाराशियां रखनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के प्रत्यक्ष निरीक्षण के लिए एक उपयुक्त ढांचा जहां भी आवश्यक है, बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों के सहायता से विकसित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परम्पराओं के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के साथ परामर्शी प्रक्रिया अपनाकर एक योजना शुरू की है, जिसमें जनता की जमाराशियों की स्वीकृति की उनकी याजना को स्वैच्छिक रूप से चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है[52]।

7.111 हाल ही में रिज़र्व बैंक ने अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के संबंध में अंतरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने की दृष्टि से गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए आगे का मार्ग निश्चित किया है[53]। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जमाकर्ताओं को उचित रूप से सेवा प्रदान की जाती है और सर्वांगीण जोखिमों से बचाया जाता है, भारतीय रिज़र्व बैंक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कमपनियों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास कर रहा है जिसमें उनकी परिचालनों में पारदर्शिता, कम्पनी संचालन अपने ग्राहक को जानिए आदि भी शामिल हैं[54]।

8. संकटों की रोकथाम

7.112 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों की वित्तीय स्थिति चुकौती के बाहर न चली जाए, यह आवश्यक है कि सुधारात्मक कदम तभी उठा लिए जाएं जब उनके पास पर्याप्त अतिरिक्त पूंजी हो और उनकी वित्तीय स्थिति संतोषप्रद हो। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कम या ऋणात्मक पूंजी आधार तथा प्रतिकूल वित्तीय स्थिति बैंकों को इस बात के लिए प्रेरित कर सकती है कि वे उच्च जोखिमवाले उधारकर्ताओं के निधियन के लिए जमाराशियों पर अत्यधिक ज्यादा ब्याज दरें देने का प्रयास करें। बेसिल समिति ने भी इस बात की आवश्यकता का समर्थन किया था कि जब बैंक जोखिम भारित पूंजी अनुपात (सीआरएआर) या अन्य विवेकसम्मत अपेक्षाएं पूरी करने में असफल होते हैं तो पर्यवेक्षों द्वारा समयोचित सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

7.113 मजबूत पर्यवेक्षी तंत्र स समर्थित एवं सुदृढ बैंकिंग प्रणाली का निर्माण करने की दिशा में रिज़र्व बैंक ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)[55] योजना पर 2003 में मसौदे के रूप में दिशानिर्देश जारी किये थे। ये प्रतिक्रिया दो प्रमुख चिन्ताओं से प्रेरित रही है । प्रारंभिक स्तर पर ही बैंकों की समस्या को पहचानने तथा संकटग्रस्त बैंकों को असफल होने से बचाने या हानियों से रोकने या संक्रामक प्रभाव कम करने हेतु उनकी गतिविधियों की निगरानी करना। त्वरित सुधारातमक कार्रवाई के उपाय ये सुनिश्चित करता है कि विनियामक जटिल और समन्वित वित्तीय प्रणाली में समस्याओं का पूर्व अनुमान लगाने में, कमजोरियों को पहचानने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा संकटग्रस्त संस्थाओं से निपटने में और वित्तीय मध्यस्थकों

52 कृपया अध्याय VI : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी देखें।
53 रिज़र्व बैंक का वार्षिक नीति वक्तव्य 2004-05 और वार्षिक नीतिगत वक्तव्य 2004-05 की मध्यावधि समीक्षा।
54 अध्याय VI, बाक्स VI.1 : आरएनबीसी द्वारा निदेशित निवेशों को बनाये रखना।
55 भारतीय रिज़र्व बैंक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पर चर्चात्मक पेपर, वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध।

द्वारा विनियामक पंचाट के लिए अवसरों को न्यूनतम करने में पर्याप्त रूप से समर्थ है।

7.114 त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की प्रणाली विभिन्न प्रेरकबिन्दुओं तथा पर्यवेक्षकों के अधिदेशात्मक और विवेकाधीन प्रतिक्रयाओं पर आधारित है। सुधारात्मक कार्रवाई की एक सारणी 3 मापदण्डों और पूंजी पर्याप्तता (सीआरआर), आस्ति गुणवत्ता (निवल एनपीए) तथा लाभप्रदता (आस्ति पर प्रतिलाभ) के आधार पर तैयार की गयी है। भारतीय संदर्भ में कुछ उपायों को लागू करने संबंधी व्यावहारिकता को ध्यान में रखते इन तीनों मानकों से प्रत्येक के अंतर्गत प्रेरक बिन्दुओं का प्रत्यक्ष किया गया है। (आरटीटी 2001) । जोखिम भारित आस्ति के लिए अनुपात उसके लिए 3 प्रेरक बिन्दुओं का प्रस्ताव किया गया है - 6 बिन्दु से ज्यादा या उसके समतुल्य किन्तु 9 प्रतिशत से कम सीआरआर , 3 प्रतिशत से ज्यादा या उससे समकक्ष किन्तु 6 प्रतिशत से कम सीआरआर तथा 3 प्रतिशत से कम सीआरआर निवल एनपीए के लिए दो प्रेरक बिन्दुओं का प्रस्ताव किया गया है - 10 प्रतिशत से अधिक किन्तु 15 प्रतिशत से कम सीआरआर और 15 प्रतिशत या उससे अधिक सीआरआर। आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) के लिए प्रेरक बिन्दु 0.25 प्रतिशत कम पर निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रेरक बिन्दुओं के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की अधिदेशात्मक और विवेकाधीन कार्यों का सेट निर्दिष्ट किया गया है। वित्त सुधारात्मक कार्रवाई पर एक चर्चा पत्र व्यापक परिचालन के लिए, बैंकों तथा अन्यों से सुझाव और अभिमत आंमत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाले गये हैं। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई योजना की समीक्षा करने पर वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने इसके अपने स्वरूप में ही योजना का जारी करने का निर्णय लिया है। इसके चेतावनी क्षेत्रों में आनेवाली कुछ बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि वे आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें इसके पश्चात इनमें से कुछ बैंकों ने अपनी कार्य प्रणाली में सुधार दर्शाये।

जोखिम संबंधी मानदंड

7.115 कंपनियों, क्षेत्रों अथवा देशों को अत्यधिक निवेश संबंधी जोखिम के लिए रक्षोपाय विनियामकों की एक महत्त्वपूर्ण चिंता है। जमाकर्ताओं का विश्वास और इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता और चलनिधि से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए है। कंपनी, क्षेत्र अथवा देश में विशाल निवेश किसी बैंक को भेद्य बना सकता है (विशेषकर जब निवेश बैंक की पूंजी से अधिक हो जाता है) यदि उस विशिष्ट कंपनी, क्षेत्र अथवा देश में कोई समस्या हो। बेहतर जोखिम प्रबंधन तथा ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचने के विवेक-सम्मत उपाय के रूप में रिजर्व बैंक ने बैंकों को निदेश दिया है कि वे विशिष्ट उद्योग अथवा क्षेत्र में अपने निवेश की सीमा निर्धारित करें तथा भारत में व्यष्टि तथा समूह उधारकर्ताओं में बैंकों के निवेश पर विनियामक सीमा निहित किया है।

7.116 सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए निवेश संबंधी अधिकतम सीमा बैंक की पूंजीगत निधि के संबंध में निर्धारित की गयी है जैसा कि अप्रैल 2002 से पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानक (टियर I और टियर II पूंजी) के अंतर्गत सुस्पष्ट किया गया है। निवेश संबंधी अधिकतम सीमा घरेलू और विदेशी बैंकों दोनों पर लागू है जैसा कि ऊपर हिसाब लगाया गया है। अप्रैल 2002 से निवेश की अधिकतम सीमा एकल उधारकर्ता के मामले में पूंजी निधि का 15 प्रतिशत तथा समूह उधारकर्ता के मामले में 40 प्रतिशत लागू होगा। अपवादात्मक परिस्थितियों में बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन पर, इस शर्त के अधीन कि बैंक अपने संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में उपयुक्त प्रकटीकरण की उधारकर्ता की सहमति देगा, पूंजी निधि के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक (एकल उधारकर्ता के लिए पूंजी निधि का 20 प्रतिशत) तथा समूह उधारकर्ता के लिए पूंजी निधि का 45 प्रतिशत) निवेश बढ़ाने पर विचार कर सकता है। बुनियादी सुविधा में निवेश के संबंध में बैंक 20 प्रतिशत ओर 45 प्रतिशत की सीमा के ऊपर क्रमशः 5 प्रतिशत ओर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त मंजूरी पर विचार कर सकता है।

व्युत्पन्ती उत्पादों संबंधी ऋण जोखिम

7.117 बैंकों के लिए व्युत्पन्नी उत्पादों संबंधी ऋण जोखिम शाखा विस्तार हेतु महत्त्वपूर्ण है। अतः यह अनिवार्य है कि इनका परिमापन उचित रूप से किया जाए। अनुदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2003 से पहले निवेश जोखिम गैर-निधि आधारित सीमाओं के रूप में इस प्रकार की सीमाओं या बकायों का, जो भी उच्चतर हो, का 50 प्रतिशत थे। इसके अलावा व्युत्पन्नी उत्पादों पर बैंकों के निवेश जैसे वायदा दर करार (एफआरए) और ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) को मूल निवेश पद्धति के अनुसार सांकेतिक मूलधन राशियों के बदले परिवर्तन कारकों का प्रयोग करते हुए निवेश अभिकलन के लिए उपयोग किया गया। 1 अप्रैल 2003 से 100 प्रतिशत पर गैर-निधि आधारित सीमाओं के गणना में लेने के अलावा बैंकों को सूचित किया गया कि विदेशी विनिमय में वायदा करारों तथा अन्य व्युत्पन्नी उत्पादों को उनके प्रतिस्थापन लागत पर व्यक्तिगत /सामूहिक उधारकर्ता निवेशों के निर्धारण में शामिल करें। पूंजी परिमाप तथा पूंजी मानकों का अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता, 1988 संबंधी बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसिल समिति लेख के अनुसर व्युत्पन्नी उत्पादों के ऋण जोखिमों के कारण उत्पन्न जोखिमों का मूल्यांकन करने हेतु दो पद्धतियां हैं - यथा i) मूल जोखिम पद्धति और (ii) वर्तमान जोखिम पद्धति। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का वर्तमान जोखिम पद्धति का पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया

गया जो किसी व्युत्पन्नी उत्पाद के जोखिम का माप करने में अधिक सटीक है। यदि कोई बैंक वर्तमान जोखिम पद्धति को अपनाने की स्थिति में नहीं है तो वह मूल जोखिम पद्धति अपना सकता है। तथापि, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे धीरे-धीरे अपने उद्यमों को वर्तमान जोखिम पद्धति में परिवर्तित कर दें। बैंकों को सूचित किया गया कि वे 1 अप्रैल 2003 से व्यक्तिगत/सामुहिक उधारकर्ता जोखिमों के निर्धारण के लिए सभी व्युत्पन्नी उत्पादों के संबंध में एक समान रूप से उपयुक्त दोनों पद्धतियों में से किसी एक को अपनाए। बैंकों को एकल अस्थिर मुद्रा /अस्थिर ब्याज दर स्वपों के लिए संभाव्य ऋण जोखिमों का परिकलन करने की आवश्यकता नहीं होगी एकल अस्थिर मुद्रा/अस्थिर ब्याज दर स्वेपों का मूल्यांकन केवल उनके बही में अंकित बाजार मूल्य के आधार पर ही किया जाना है।

धोखाधड़ी

7.118 बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए रिज़र्व बैंक समय-समय पर धोखाधड़ी की संभावना वाले प्रमुख क्षेत्रों तथा धोखाधड़ी को रोकने के लिए आवश्यक रक्षोपाय के बारे में बैंकों को सूचित करते रहता है। रिज़र्व बैंक बैंकों को पटुतापूर्ण प्रकृति वाली वैसी धोखाधड़ी, जिसकी रिपोर्टिंग पहले न की गयी हो, की सूचना भी बैंकों को परिचालित करता रहा है जिससे कि बैंक उपयुक्त प्रक्रियाओं तथा आंतरिक जांच के जरिए आवश्यक रक्षोपाय शुरू किये जा सके। बैंकों को बेइमान उधारकर्ताओं तथा संबंधित पक्षों, जिन्होंने बैंक के साथ धोखाधड़ी की है, के ब्यौरे भी सूचित किये जा रहे है ताकि बैंक उनके साथ कारोबार करते हुए सावधान रहे। इस वर्तमान प्रक्रिया को सहज बनाने क लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए धोखाधड़ी तथा उन पर समय पर तिमाही आधार पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की पूरी जानकारी उपलबध कराने के लिए एक रिपोर्टिंग व्यवस्था बनायी है। 'धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और निगरानी व्यवस्था' संबंधी एक सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है तथा रिपोर्टिंग के लिए इस मॉड्यूल के उपयोग के लिए बैंकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। रिज़र्व बैंक ने यह भी अधिसूचित किया है कि इस संबंध में विफलता की स्थिति में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अंतर्गत निहित अर्थदंड संबंधी कार्रवाई की जा सकती है।

अपने ग्राहक को जानिए

7.119 अपने ग्राहको को जानिए (केवाईसी) संबंधी दिशानिर्देश के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे कोई खाता खोलने के पहले ग्राहकों का विधिवत पूर्ववृत प्राप्त करें। यह उपाय देश में काले धन को वैध बनाने तथा आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए किया गया है। अगस्त 2002 में रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया कि वे उपयुक्त दस्तावेजों के जरिए पहचान की पुष्टि करने के लिए दिसंबर 2004 तक समुचित केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि ऐसी प्रक्रिया को अपनाने से आम लोग बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता से वंचित न हो। बैंकों को निदेश दिया गया है कि वे केवाईसी प्रक्रिया का अनुप्रयोग केवल उन वर्तमान खातों तक करे जिनमें 31 मार्च 2003 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए क्रेडिट अथवा डेबिट का संकलन 10 लाख से अधिक हो अथवा जहां असामान्य लेनदेन संदिग्ध हो। केवाईसी प्रक्रिया ट्रस्ट, कंपनियों/फर्मों, धार्मिक/सहायतार्थ संगठनों तथा अन्य संस्थाओं के वर्तमान सभी खाता अथवा वैसे सभी खाता पर जो अधिदेश अथवा मुख्तारनामा के जरिए खोले जाते हैं, पर लागू होता है। दिसंबर 2002 में बैंकों को निदेश दिया गया कि वे केवाईसी मानकों के अनुपालन के प्रयोजन से अगस्त 2002 से पहले खोले गए खातों की समीक्षा करें तथा दिसंबर 2004 तक चरणबद्ध तरीके से सभी खाता के संदर्भ में काम पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय उठाएं[56]। हाल ही में, रिज़र्व बैंक ने केवाईसी मानकों का उल्लंघन करने के लिए एक विदेशी बैंक पर अर्थदंड आरोपित किया।

भारतीय ऋण आसूचना ब्यूरो लि.

7.120 ऋण आसूचना को एकत्रित और प्रसारित करने के लिए 2001 में भारतीय ऋण आसूचना ब्यूरो लि. की स्थापना की गयी थी। कुशल ऋण आसूचना व्यवस्था तीव्रतर ऋण वितरण को सहज बनाने के अतिरिक्त क्रेडिट (ऋण) निर्णयों की गुणवत्ता तो बढ़ाती है तथा बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाती है। बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे अपने सभी उधारर्ताओं से इस बात की सहमति प्राप्त करें कि वे ऋण सूचना का प्रसारण कर सकते हैं। जिससे सिबिल ऋण सूचना का संकलन और प्रसारण कर सके। एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा यग सूचित किया गया था कि आवश्यक सहमति प्राप्त करने के पश्चात उसमें अपने लगभग 80 प्रतिशत उधारकर्ताओं के बारे में ऋण सूचना कर दी है। बैंकों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने सभा उधारकर्ताओं से यह सूचना प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें ताकि एक ऐसी दक्ष ऋण सूचना प्रणाली स्थापित की जा सके जो बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार ला सकें और ऋण देने संबंधी ऋण निर्णयों में गुणवत्ता ला सकें।

56 भारतीय रिज़र्व बैंक (2004) 'अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी दिशानिर्देश, मास्टर परिपत्र

समस्याग्रस्त बैंकों का प्रबंधन

7.121 .... इन वर्षों में भारत में बैंकिंग क्षेत्र को घरेलू और विदेशी परिवेश में अनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ा है। विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकारियों द्वारा किये गये सघन के प्रयासों से चलते बैंकिंग क्षेत्र ने अनेक प्रतिकूल संकटों को झेलने में उल्लेखनीय क्षमता दर्शायी है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से विलयन और समामेलन बैंकों की पुनर्संरचना करने / उन्हें सुदृढ़ करने के लिए अपनायी जानेवाली एक आम रणनीति है। विलयन और समामेलन भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए भी कोई नयी चीज़ नहीं है। तथापि यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि ऐसे अधिकांश विलयन बैंकों द्वारा अपनी रणनीति के प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक रूप से किये गये हैं (बाक्स VII.2)।

7.122 2002-03 और 2003-04 के दौरान कतिपय निजी क्षेत्र बैंकों अर्थात सेंन्चूरियन बैंक और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (जीटीबी) से उत्पन्न होने वाले संभाव्य जोखिमों को टालने के लिए रिज़र्व बैंक हारा सफल प्रयास सराहनीय हैं। सेंचूरियन बैंक 1995 में निजी क्षेत्र में नये बैंकों के प्रवेश संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्थापित किया गया तथा एक गैर बैंकिंग कंपनी और उसके सहयोगियों यथा कोपेल बैंक ऑफ सिंगपोर, एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम (आइएफसी) के सहयोग से इसका समर्थन किया गया। 1998 में बैंक के साथ गैर-बैंकिंग कंपनी के समर्थन का विपरीत विलयन अपेक्षा के अनुरूप बैंक को सुदृढ बनाने में असफल रहा। उच्च पूंजीगत बाजार जोखिम के कारण आस्ति गुणवत्ता में गिरावट तथा प्रतिकूल गतिविधियां खराब वित्तीय परिणामों का कारण बने तथा बैंक ने 2002 में हानि दर्शायी तथा 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार बैंक की पूंजी पर्याप्तता 1.95 प्रतिशत तक हो गयी। यह स्पष्ट था कि बैंक के नाजुक दिवालियापन में नये सिरे से पूंजी प्रवाहित करने की आवश्यकता थी जो बैंक के निवल मूल्य में हुई ह्रास के कारण कठिन साबित हुआ। यह मानते हुए कि पूंजी पुनर्संरचना के एक सफल कार्यक्रम से बैंक को पुनरुत्थान हो सकता है और बैंक के भविष्य में उठाये जानेवाले कठोर उपायों से आनेवाली समस्याओं का समाधान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक अंतरिम प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सभी पणधारकों को आश्वस्त करना चाहा कि बैंक परिचालनगत लाभ अर्जित करने में सक्षम है परंतु

बॉक्स VII.2 : भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद समामेलित बैंक

क्र. सं.	अंतरित बैंक का नाम	अंतरिती बैंक का नाम	समामेलन की तारीख
1.	बैंक ऑफ बिहार लि.	भारतीय स्टेट बैंक	8 नवंबर 1969
2.	नेशनल बैंक ऑफ लाहौर	भारतीय स्टेट बैंक	20 फरवरी, 1970
3.	मिराज स्टेट बैंक लि.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	29 जुलाई, 1985
4.	लक्ष्मी कॉमर्शियल बैंक लि.	केनरा बैंक	24 अगस्त, 1985
5.	बैंक ऑफ कोचीन लि.	भारतीय स्टेट बैंक	26 अगस्त, 1985
6	हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक लि.	पंजाब नेशनल बैंक	19 दिसंबर, 1986
7	ट्रेडर्स बैंक लि.	बैंक ऑफ बड़ौदा	13 मई, 1988
8	यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि.	इलाहाबाद बैंक	31 अक्तूबर, 1989
9	बैंक आफ तमिलनाडु लि.	इंडियन ओवरसीज बैंक	20 फरवरी, 1990
10	बैंक ऑफ तंजावूर लि.	इंडियन बैंक	20 फरवरी, 1990
11	पारूर सेंट्रल बैंक लि.	बैंक ऑफ इंडिया	20 फरवरी, 1990
12	पूर्वांचल बैंक लि.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	29 अगस्त, 1990
13	न्यू बैंक ऑफ इंडिया	पंजाब नेशनल बैंक	4 सितंबर 1993
14	काशीनाथ सेठ बैंक लि.	भारतीय स्टेट बैंक	1 जनवरी 1996
15	बारी दोआब बैंक लि.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	8 अप्रैल, 1997
16	पंजाब कोपरेटिव बैंक लि.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	8 अप्रैल, 1997
17	बरेली कॉर्पोरेशन बैंक लि.	बैंक ऑफ बड़ौदा	3 जून, 1999
18	सिक्किम बैंक लि.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	22 दिसंबर 1999
19	टाइम्स बैंक लि.	एचडीएफसी बैंक लि.	26 फरवरी 2000
20	बैंक ऑफ मदुरा लि.	आइसीआइसीआई बैंक लि	10 मार्च, 2001
21	बनारस स्टेट बैंक लि.	बैंक ऑफ बड़ौदा	20 जून, 2002
22	नदुन्गादी बैंक लि.	पंजाब नेशनल बैंक	1 फरवरी, 2003
23	साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लि.	बैंक ऑफ बड़ौदा	25 जून, 2004
24	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	14 अगस्त, 2004

निवल हानि एनपीए के प्रति प्रावधानों हेतु किये गये अतिरिक्त अपेक्षाओं के कारण हुयी है । इस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि रिजर्व बैंक, बैंक को अपने तुलनपत्र को स्पष्ट करने के लिए विधिवत, प्रावधान करने हेतु प्रोत्साहित किया और इस वर्ष 2001-02 के लिए बैंक के वार्षिक परिमाणों के प्रकाशन के साथ इसे जारी किया गया जिसमें निवल हानि दर्शायी गयी थी और इसका असर सौम्य था जिससे बैंकों को नयी पूंजी प्राप्त करने के प्रयासों में मदद मिली।

7.123 अप्रैल 2003 में बैंक को एक निवेशक समूह से घाटे की गणना के लिए पूंजी को कम करने द्वारा पूंजी पुनर्संरचना करने का प्रस्ताव तथा भारतीय परिचालनों से बाहर जाने वाले बैंक से अधिकार निर्गम तथा अतिरिक्त निवेश के माध्यम से नया अभिदान का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। परिणामी हितों की तुलना में इस प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच की गयी तथा संपूर्ण विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इसे स्वीकार्य पाया गया। पुनर्संरचना कार्यक्रम निर्बाध रूप से चली तथा बैंक सितंबर 2004 तक 9 प्रतिशत सीआरएआर प्राप्त करने तथा 8.41 करोड़ रु. का लाभ सूचित करने योग्य बन गया।

7.124 रिज़र्व बैंक ने नयी निजी क्षेत्र बैंक स्थापित करने संबंधी नीति के एक भाग के रूप में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि. (जीटीबी) को सितंबर 1994 में लाइसेंस प्रदान किया। बैंक का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आइएफसी) तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) सहयोगी के रूप में डॉ. जयंता मदहाब तथा श्री रमेश गेली, तत्कालीन वैश्य बैंक लि. के अध्यक्ष द्वारा संचालित व्यवसायी समूह द्वारा समर्थन किया गया । जीटीबी की वित्तीय स्थिति 2002 में पूंजी बाजार के अत्यंत उच्च जोखिम के कारण कमजोर होने लगी जो आस्तियों की समस्या में परिणत हो गया। जब यह बात रिज़र्व बैंक के ध्यान में आयी कि 2002 में बैंक को गंभीर निवल हानि हुई, उसे गहन निगरानी में रखी गयी। बैंक को अनुदेश दिया गया कि वह एनपीए के अधिकतम वसूलियों, विवेकसम्मत सीमा के उच्च पूंजीगत बाजार जोखिम को कम करने, परिचालनगत लाभों में से अनर्जक आस्तियों का प्रावधान, तथा पूंजीवर्धन के लिए तत्काल उपाय करने हेतु जोखिम धारित आस्ति वृद्धि से निहित एक विवेकसम्मत नीति को अपनाएं।

7.125 बैंक ने कुछ वसूलियों के संबंध में प्रगति दर्शायी और साथ ही ईक्विटी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। तथापि, सूचित किये अनुसार वह घरेलू स्रोतों के माध्यम से जून 2004 तक पूंजी संवर्धन कार्यक्रम को अतिम रूप नहीं दे सका। बाद में बैंक ने जुलाई 2004 में, बैंक कपुनः पूंजीकरण के लिए एक विदेशी ईक्विटी निवेशकर्ता से प्राप्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव का रिज़र्व बैंक ने विवेकसम्मत व अन्य विचारों के कारण स्वीकार नहीं किया।

7.126 जैसे जैसे बैंक की वित्तीय स्थिति क्रमिक रूप से गिरने लगी और बैंक का दिवालियापन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ, रिज़र्व बैंक को बैंक के छोटे जमाकर्ताओं के बड़े समूहों की हित की रक्षा के लिए तथा बैंकिंग प्रणाली के हित में बैंक को 24 जुलाई 2004 से प्रतिबंधित करना पड़ा। ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) से विलयन के लिए एक ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुआ। रिज़र्व बैंक ने उसके वित्तीय मानदंडों, रिटेल नेटवर्क तथा सहक्रिया के साथ-साथ अनुकूल लाभों को ध्यान में रखते हुए मामले के संबंध में ओबीसी की जानकारी की जांच की। ओबीसी तथा जीटीबी के जमाकर्ताओं के हितों के साथ-साथ बैंक की क्षमता और कमियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के माध्यम से बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास निहित अधिकारों के अंतर्गत जीटीबी को ओबीसी के साथ 14 अगस्त, 2004 से विलयन किया गया।

हितों के टकराव को कम करना

7.127 वित्तीय क्षेत्र में हितों के टकराव का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बढ़ती चिंता का कारण है। विभिन्न देशों द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि हितों के टकराव से समग्र रूप से पणधारकों तथा पब्लिक के हित के साथ समझौता नहीं करना पड़े इसके लिए विधायी और विनियामक उपायों को अपनाया गया। इन उपायों का आशय निवेशकर्ता के विश्वास, विनियामक संरचना की क्षमता तथा सर्वोपरि वित्तीय सेवाओं से सहबद्ध लोगों की विश्वसनीयता पर अनुकूल प्रभाव डालना था। तदनुसार सेबी और आइआरडीए के अध्यक्षों से परामर्श कर रिज़र्व बैंक ने हितों के टकराव को टालने हेतु एक कार्यकारी दल गठित करने का प्रस्ताव रखा। कार्यकारी दल संभाव्य हितों के टकराव के स्रोत व प्रकृति, इस समस्या का हल करने हेतु उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों, इस संबंध में भारत में विद्यमान तंत्रों का पता लगायेगा तथा इस प्रकार के हितों के टकराव को टालने के संबंध में सिफारिश करेगा।

जमा बीमा

7.128 जब बैंक विफल होता है वित्तीय दृष्टि से कम समझदार जमाकर्ताओं की जमाराशि के संरक्षण के लिए सुदृढ़ वित्त सुरक्षा तंत्र के एक घटक के रूप में जमा बीमा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है तथा इस प्रकार वित्तीय स्थिरता में इसका

अंशदान है। विश्व बैंक अध्ययन के अनुसार प्रायः सभी देशों के पास निश्चित अथवा अन्तर्निर्हित जमा बीमा व्यवस्था है[57]।

7.129 कुछ बैंकों की विफलता के आलोक में भारत, 1961 में जमा बीमा योजना की स्थापना करनेवाला दूसरा देश है। बीमा जमा व्यवस्था उन छोटे बचतकर्ताओं को संरक्षण देने के लिए बनायी गयी है जिनके पास पर्याप्त वित्तीय दक्षता तथा बैंकों की निगरानी करने का साधन नहीं है। चूंकि ऐसे जमाकर्ता अप्रमाणित अफवाहों के आधार पर बैंक में भागदौड़ शुरू कर सकते है, जमा बीमा बैंकों तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में योगदान करती है। भारत में जमा बीमा व्यवस्था अनिवार्य है तथा इसके अंतर्गत सभी वाणिज्यिक बैंक तथा पात्र बैंकों से संबंधित डीआइसीजीसी अधिनियम, 1961 के उपबंधों का पालन न करनेवाले कुछ राज्यों के कतिपय सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी पात्र सहकारी बैंक आते हैं। कुछ सहकारी बैंक कतिपय अधिनियम जो सहकारी संस्था संबंधी नयी नीतियों (जिसमें सहकारी बैंकों के लिए अधिक स्वायत्तता परिकल्पित है) के संदर्भ में अधिनियमित की गयी है, के अंतर्गत पंजीकृत कराने का विकल्प अपनाने के कारण जमा बीमा कवर के लिए अपात्र हो गयी है, जो डीआइसीजीसी अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंड का पालन नहीं करते हैं। कतिपय राज्यों यथा मेघालय, मिज़ोरम, अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नागालैंडतथा तीन संघ क्षेत्रों यथा लक्षद्वीप, चंडीगढ़ तथा दादरा और नगर हवेली में अपर्याप्त विधिक संरचना तथा अन्य औपचारिकताओं सहित कारणों से सहकारी बैंकों को जमा बीमा कवर नहीं दिया गया है।

7.130 जमा बीमा व्यवस्था के अंतर्गत विदेशी सरकारों की जमाराशियों, राज्य /केंद्र सरकारों की जमाराशियों, अंतर-बैंक जमाराशियों तथा विदेशों में धारित जमाराशियों को छोड़कर सभी जमाराशियां डीआइसीजीसी द्वारा बीमित होती हैं। बीमा कवर समान अधिकार तथा समान क्षमता में उपलब्ध कराया जाता है तथा इस समय इसकी सीमा एक लाख रुपया है। बैंकों से कुल निर्धारणीय जमाराशियों पर प्रीमियम लिया जाता है। प्रीमियम छमाही आधार पर लिया जाता है तथा इस समय प्रति 100 रुपए की जमाराशि पर 8 पैसे प्रीमियम है तथा प्रति 100 रुपये की निर्धारणीय राशि पर इस 2005-06 से बढ़ाकर 10 पैसे करना प्रस्तावित है। वर्तमान सीमा के साथ लघु बचतकर्ताओं को उच्च स्तर का संरक्षण उपलब्ध हैं जमा खाता का 95.4 प्रतिशत (1961 के 79 प्रतिशत से बढ़कर) तथा निर्धारणीय जमाराशि का 66 प्रतिशत (1961 के 25 प्रतिशत से बढ़कर पूर्णतः संरक्षित है) यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अनुवंशित सीमा क्रमशः 80-90 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से काफी अधिक है।

7.131 छोटे जमाकर्ताओं को शिक्षित करने की दृष्टि से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने बीमाकृत बैंकों को संबंधित लिखित सामग्री भेजकर सभी शाखाओं में जहां जमाकर्ताओं से परस्पर संपर्क होता है, उन्हें प्रदर्शित कराकर जमा बीमा योजनाओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं। निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम ने जनता को सूचना देने के लिए अपनी वेबसाईट (www.dicgc.org.in) भी बनायी है। निगम, वर्तमान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी अधिनियम 1961 के स्थान पर नया कानून बनाने संबंधी कार्य कर रहा है ताकि भारतीय वित्तीय ढांचे में आपदग्रस्त बैंकों के संबंध में कार्य करने का कारगर साधन बन सके।

9. वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन

7.132 चूंकि वित्तीय स्थिरता एक काफी व्यापक अवधारणा है, अतः, अनुभवमूलक विश्लेषण का कोई सामान्य ढांचा नहीं है। कई केंद्रीय बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने वित्तीय संस्थाओं तथा बाजारों और उनकी कंपनी तथा घरेलू संस्थाओं की अच्छी स्थिति तथा सुदृढ़ता पर निगरानी रखने के लिए वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों का एक सेट संकलित करने का प्रयास किया है। वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों के अंतर्गत अंमुकोष ने संकेतकों के दो सेट बनाये है अर्थात कोर (मुख्य) सेट और प्रोत्साहित सेट। इसमें सबके के लिए एक ही मानवाले दृष्टिकोण टाला गया है तथा देश-विशेष की स्थितियों में अंतिसंवेदनशीलता का मूल्यांकन करने से काफी संबंधित संकेतकों के चयन में लचीलेपन की व्यवस्था है। कुल स्थूल (समष्टि) विवेक-सम्मत संकेतक तथा अन्य संकेतक उल्लेखनीय रूप से स्थूल संकेतक वित्तीय स्थिरता संकेतकों का प्रमुख घटक हैं जिनसे वित्तीय प्रणालियों की स्थिति तथा अतिसंवेदनशीलता का मूल्यांकन करने और उन पर निगरानी रखने में सहायता मिलती है।

7.133 भारत में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर निगरानी रखने के लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं अपनाने के संबंध में रिज़र्व

[57] बार्थ, जे.आर. और लेवाइन, आर. (2001) रेग्युलेशन एण्ड सूपरविजन एराउंड द वर्ल्ड, ए न्यू डेटाबेस, वर्ल्ड बैंक वर्किंग पेपर 2588, वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन, डी.सी.

बैंक की पहलों के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक मार्च 2000[58] के बाद से व्यष्टि-विवेकसम्मत संकेतकों (एमपीआई) संकलित करता रहा है। स्थूल विवेकसम्मत संकेतकों की समीक्षा में पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, जोखिम प्रबंधन, सुदृढ़ प्रबंध तंत्र, अर्जन और लाभप्रदता, चलनिधि, ब्याज दर, आस्ति और देयताओं का परिपक्वता ढांचा और (वृद्धि, मुद्रास्फीति, ब्याज दर, विनिमय दर आदि जैसे) समष्टि आर्थिक संकेतकों के अलावा ऋण, फोरेक्स, पूंजी बाजार क्षेत्र जैसे वित्तीय बाजार के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न संकेतक शामिल होते हैं। स्थूल विवेकसम्मत संकेतकों की समीक्षा के साथ-साथ वैश्विक परिवेश में होनेवाली गतिविधियों की समीक्षा होती है।

7.134 स्थूल विवेकसम्मत संकेतकों पर आधारित समीक्षा छमाही आधार पर तैयार की जाती है । स्थूल विवेकसम्मत संकेतकों की उक्त समीक्षा वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाएं तथा सहकारी संस्थाएं शामिल होती हैं। स्थूल विवेकसम्मत संकेतकों में प्रत्येक वित्तीय संस्था की स्थिति के कुल स्थूल विवेकसम्मत संकेतक (एएमपीआइ) तथा वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता से संबद्ध स्थूल आर्थिक संकेतक (एमईआई) आते हैं । इन वित्तीय स्थिरता संकेतकों का प्रसार करने संबंधी प्रयासों के एक भाग के रूप में रिजर्व बैंक ने अपने विभिन्न प्रकाशनों में संकेतकों का मुख्य कोर (सेट) प्रकाशित करना प्रारंभ किया है। एएमपीआई के प्रति अनुभूतिमूलक दृष्टिकोण में आलोच्य अवधि के दौरान स्थित संकेतकों के पिछली/तुलनीय अवधियों के मुकाबले संकेतकों का विश्लेषण और अल्पावधिक और मध्यावधि संभावनाओं में संतुलन रखने के लिए प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। अंततः, यह नोट किया जाए कि स्थूल विवेकसम्मत संकेतकों की समीक्षा के एक भाग स्वरूप कई संकेतकों की पूर्ववर्ती अध्यायों में पहले ही चर्चा की जा चुकी है[59]। तदनुसार, भारत में वित्तीय बाजारों की संस्थागत संरचना (परिशिष्ट सारणी VII.1) और चुनिंदा स्थूल विवेकसम्मत संकेतकों पर सार रूप विचार (दृष्टिकोण) पर आधारित वित्तीय स्थिरता के अनुभूतिमूलक तथा वैश्विक वित्तीय परिवेश की पृष्ठभूमि नीचे प्रस्तुत है।

भारत में वित्तीय स्थिरता समीक्षा

7.135 वैश्विक वृद्धि गतिमान हो रही है और ऐसे अधिकांश समष्टि आर्थिक जोखिम जो वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा कर सकते है, कम होते जा रहे हैं। अंमुकोष के अनुमान के अनुसार 2004 में विश्व की सकल देशी उत्पाद वृद्धि 30 वर्षों में सर्वाधिक होगी। इसके बावजूद ऐसे कतिपय वैश्विक जोखिम हैं जिन्हें प्रबंधित किये जाने की जरूरत है। चूंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य बड़े पैमाने पर अमेरीकी अर्थव्यवस्था के भावी कार्यनिष्पादन पर निर्भर करता है, अतः अमेरिका में आये निरंतर दो घाटे वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अमेरीकी सरकार के ऋण का बड़ा हिस्सा एशियाई अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से, चीन और जापान के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित है। अतः वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर अमेरीकी और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ी पारस्परिक निर्भरता का गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, ब्रिटेन और जापान के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता संबंधी अनिश्चितता और उभरते बाजारों के प्रति वैश्विक पूंजी प्रवाह के वर्तमान स्वरूप की संवहनीयता वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए संभाव्य जोखिम है (बाक्स VII.3)[60]।

भारतीय संदर्भ

व्यापक आर्थिकपरिवेश

7.136 2003-04 के दौरान देशी आर्थिक दृष्टिकोण वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर 8 प्रतिशत के स्तर को पार करते हुए तथा कृषि, उद्योग और सेवाओं में व्यापक स्तर की वृद्धि के साथ अच्छा रहा। औद्योगिक कार्यनिष्पादन ने भी सभी उप-क्षेत्रों में बेहतर कार्यनिष्पादन प्रदर्शित किया गया, मुद्रा स्फीति की दर नियंत्रण में बनी रही। तथापि उच्च राजकोषीय घाटा चिंता का विषय बना रहा। बाह्य क्षेत्र के व्यापार, प्रारक्षित मंडल के संचयन तथा स्थिर बाह्य ऋण संकेतकों के रूप में बाह्य क्षेत्र में निरंतर सुधार पाया गया। तथापि, उच्च फोरेक्स प्रारक्षित निधि मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बना रहा। इस संदर्भ में, चलनिधि और मौद्रिक प्रबंधन के लिए बाज़ार स्थिरीकरण योजना को कार्यान्वित किये जाने के लिए एक अतिरिक्त साधन प्राप्त हुआ।

वित्तीय बाजार

7.137 वित्तीय बाजारों में निरंतर होनेवाले पूंजी आगमों द्वारा निर्मित सुलभ चलनिधि की स्थिति रही। वित्तीय बाजार के विभिन्न

58 एमपीआइ के लिए संकलन प्रक्रिया विधि व्यापक रूप से वित्तीय प्रणाली स्वस्थता समष्टिगत विवेकसम्मत संकेतकों संबंधी अकेशनल पेपर के अनुरूप है (सं.192, अप्रैल 2000)। एमपीआइ के विस्तार तथा कवरेज को मार्च 2002 को समाप्त अर्ध वार्षिक समीक्षा में वित्तीय स्वास्थता संकेतक : एनएलिटिकल एसपेक्ट्स एण्ड कंट्री प्रेक्टीसेस (अकेशनल पेपर सं. 212, 2002) में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप प्रारंभ किये गये कतिपय अतिरिक्त संकेतकों के अनुसार किया गया है।

59 अध्याय III, अध्याय IV, अध्याय V तथा अध्याय VI भी देखें।

60 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2004) 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट'।

बॉक्स VII.3: वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट - सितंबर 2004

अंमुकोष द्वारा सितंबर 2004 में जारी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वित्तीय प्रणाली, विशेष रूप से, वित्तीय बिचौलियों की स्थिति पिछले छः महीनों में आर्थिक वसूली को व्यापक बनाते हुए और मज़बूत किया गया है। वित्तीय बिचौलियों, बैंकों और गैर-बैंकों ने समान रूप से अपने तुलन पत्र मज़बूत बनाये हैं और वे भविष्य में होनेवाले विशेष आघातों को खपा लेने में सक्षम हैं। रिपोर्ट में सकारात्मक मूल्यांकन किया गया है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अल्प काल में कोई बड़ा सर्वांगीण खतरा प्रतीत नहीं होता है। हाल के वर्षों में दो बड़ी सकारात्मक गतिविधियां अर्थात् एक मज़बूत पूंजी आधार समाप्ति पर आ गया और प्रमुख बैंकों के बीच जोखिम प्रबंधन में दर्शनीय परिवर्तन, हुई हैं। इसने बाजार कार्य करने वालों को मौद्रिक नीति को सख़्त बनाने की चिरप्रतीक्षित स्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया है। साथ ही वैश्विक वित्तीय प्रणाली वित्तीय आघात सहने के लिए सक्षम है। हाल की अवधि में धीरे धीरे मजबूत होती जा रहे विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार तथा एक तीव्र आय वक्र के कारण वित्तीय क्षेत्र की लाभप्रदता तेजी से बढ़ी है और इस प्रकार, वित्तीय स्थिरता बढ़ गयी है। आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप राजस्व बड़ी मात्रा बढ़ गये हैं और साथ ही, कारपोरेट की मूल दरों में तथा गैर निष्पादक ऋणों में तीव्र गिरावट आयी जिससे वित्तीय क्षेत्र को सुरक्षा का मजबूत कुशन प्राप्त होता है। फिलहाल, वित्तीय बाजार निरंतर होते रहे ब्याज दर कसाव के साथ एकरूप होकर समायोजित हो रहे हैं।

तथापि, रिपोर्ट में कुछ मध्यावधिक जोखिमों की प्रत्याशा की गयी है। निकटवर्ती जोखिम यह है कि इस बात को देखते हुए कि उच्चतर नीतिगत दरों के प्रति की गयी प्रारंभिक पहलों के साथ वित्तीय बाजार कितनी सहजता से समायोजित होता है बाजार सहभागियों में आत्मसंतोष की भावना उजागर होगी। बड़े स्टाक और बांड बाजारों में देखी जानेवाली न्यून अस्थिरता में यह प्रतिबिंबित हो सकता है। अतः बाजार सहभागियों में आय प्राप्त करने की आशा में अन्धाधुंद जोखिम व्यवहार में लग जाने की प्रवृत्ति पायी जा सकती है। दूसरे, अमेरीकी कोषागार आय ओर यूरो में बांड आय तथा उदीयमान बाजारों के बीच सहसंबंध उच्चस्तरीय हैं, अतः इन क्षेत्रों में, अमेरीकी आय में किसी कमी का परिणामगत प्रभाव व्यापक रूप से महसूस किया जा सकेगा। इससे बाजार की उच्चतर ब्याज दरों को खपा लेने के लिए क्या अन्य क्षेत्र तैयार है इसमें संदेह उत्पन्न होता है। वैश्विक चालू खाता असंतुलनों ने निरंतर जोखिम खड़ा किया है, हालांकि चालू खाता घाटों का वित्तपोषण था असंतुलनों के समायोजन कैसे और कब अस्तव्यस्त हो जायेंगे इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। विश्वव्यापी राजनीतिक जोखिम बने हुए हैं और वे आस्ति बाजारों के हितों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के बीच तेज़ी से जोखिम से बचाने में सहायता करेंगे, विशेषकर, उनके लिए जिनकी ऋण गुणवत्ता कमजोर है और चलनिधि सीमित है। तेल के मूल्य और बढ़ सकते हैं जिनसे मुद्रास्फीति की चिंताएं होंगी तथा इनसे वित्तीय बाजारों और आर्थिक सुधार को क्षति पहुंचेगी।

चूंकि फेडरल रिज़र्व और केंद्रीय बैंक उच्च ब्याज दर की ओर बढ़ने का पहला चरण सफलतापूर्वक पार किया है अतः, रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि अब उनका कार्य है योजनाबद्ध समायोजन कार्यक्रम निष्पादित करने में बाजार की प्रत्याशाओं को निर्देशित करना। देशों को अपनी संबंधित वित्तीय प्रणालियों की कमजोरियों को दूर करने के लिए वर्तमान आश्वासन आनुमानिक स्थिति का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे देशों में जहां हानि दर्शानेवाला बैंकिंग क्षेत्र है, इसे लाभप्रद रूप से चलने में समेकन प्रक्रिया से सहायता मिलेगी। रिपोर्ट में दीर्घावधिक विषयों जैसे अधिकांश देशों के सामने खड़ी बढ़ते निर्भरता अनुपात से निपटने के लिए पेंशन प्रावधानों की पर्याप्तता में सुधार लाने चुनौती, पर भी बल दिया गया है। चूंकि पेंशन निधियां दीर्घावधिक संस्थागत निवेशक हैं, अतः वित्तीय स्थिरता के समर्थन में उनकी भूमिका पेंशन निधियों की बढ़ती मात्रा तथा उनके आस्ति देयता प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने से शक्तिशाली बन जायेगी। पेंशन निधियों के आस्ति आबंटन में होनेवाले किसी परिवर्तन का विभिन्न आस्ति वर्गों और वित्तीय बाजारों, विशेष रूप से छोटे आकारवाले, पर भारी प्रभाव पड़ेगा।

घटकों में ब्याज दरें कम बनी रही। मुद्रा बाजार दरें स्थिर रहीं जो आवश्यक रूप से उप-रिपो स्तर पर थीं। आय वक्र वर्ष की पहली छमाही के दौरान सपाट रही परंतु बाद में, बढ़ती मुद्रास्फीति, अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरें उंची हो जाने तथा निवेशकों द्वारा लाभ दर्ज किये जाने की पृष्ठभूमि में ऊपर बढ़ गया। विदेशी मुद्रा बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति की स्थिति से अमेरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये पर वर्द्धमान दबाव पड़ा जिससे प्रीमियम एक समान रूप से गिर गया। 2003-04 के दौरान इक्विटी बाजार पुनर्जीवित हुआ जिसमें निवेशकों विदेशी संस्थागत निवेशकों से आगम आकर्षित हुए विशेष रूप से क्योंकि अन्य एशियाई देशों की तुलना में मूल्यांकन आकर्षक बने रहे। देशी बाजारों को अधिकाधिक रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ समेकित किये जाने से एक ब्याज दर जोखिम खड़ा होता है, क्योंकि ऋण देनेवाले कई केंद्रीय बैंक पिछले दो वर्षों के सुलभ मौद्रिक नीतिगत बल में बदलाव लाते हैं। दूसरी चिंता विनिमय दर जोखिम से उभरता हैं जो अमेरीकी स्थूल आर्थिक असंतुलनों को ठीक किये जाने के कारण जरूरी हो गये संभाव्य मुद्रा पुनर्संरेखन के फलस्वरूप हो सकता है।

कारपोरेट लाभप्रदता और ऋण लेने में वृद्धि

7.138 मार्च 2004 के अंत में समाप्त वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 6.5 प्रतिशत के करीब हुई वृद्धि के साथ कारपोरेट क्षेत्र में बिक्री और लाभ में भारी वृद्धि दर्ज हुई। सूचीबद्ध कंपनियों के लाभ जो गिरते ब्याज दरों के कारण बढ़े थे, अच्छे स्तर पर बने रहे क्यों कि 2003-04 के दौरान सभी विनिर्माण कंपनियों के लिए ब्याज लागत घट गयी थी। दिसंबर 2002 तक ब्याज लागत का अंश विनिर्माण कंपनियों के सकल लाभों का लगभग 50 प्रतिशत था तब से, यह अनुपात तेज़ी से गिर गया है और मार्च 2004 में वह 39 प्रतिशत रहा। गिरते ब्याज भार का संकेतक एक ऐसा तथ्य है कि 2003-04 में वास्तविक रूप में कारपोरेट क्षेत्र के कुल ब्याज व्यय में इस

तथ्य के बावजूद कि बिक्री 16 प्रतिशत से बढ़ी थी, वास्तविक अर्थों में 7 प्रतिशत की गिरावट आयी। साथ ही, यह वृद्धि 2002-03 में बिक्री में दर्ज 23 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक थी। बेहतर लागत प्रबंधन और बढ़ती उत्पादकता से उद्योग के लगभग सभी क्षेत्रों में मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप रही। बढ़ते आय स्तर जो 2003 में अच्छे मानसून से लाभान्वित थे, के कारण उपभोक्ता उत्पादों की खरीदारी का वातावरण रहा जिसके कारण मांग धीमी रही। इस प्रवृत्ति को दर्शाते हुए 2003-04 में बैंकिंग प्रणाली से वाणिज्य और उद्योग द्वारा ऋण उठाव मजबूत रहा।

7.139 साथ ही, वाणिज्यिक वित्त के गैर-बैंक स्रोत में वृद्धि हुई थी। पहले 2003-04 के दौरान म्युचुअल फंडों द्वारा वाणिज्यिक पत्रों और डिबेंचरों में अभिदान के जरिये वाणिज्यिक वित्त तेजी से बढ़ा। दूसरे, न्यूनतर अपतटीय ब्याज दरों और अमरीकी डालर की तुलना में रुपया मजबूत हो जाने से प्रेरित कंपनियों द्वारा बाह्य स्रोतों का अधिकाधिक सहारा लिया गया, इनका देश में पूंजी के बढ़े हुए आगमों में आंशिक हिस्सा रहा।

समग्र विवेकसम्मत संकेतक (एएमपीआर)

पूंजी पर्याप्तता

7.140 पूंजी पर्याप्तता विश्लेषण में वाणिज्य बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कुल सीआरआर की प्रवृत्तियां तथा सीआरएआर का बारंबारता वितरण (फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिब्यूशन), सबसे बड़े पांच बैंकों का सीआरएआर तथा न्यूनतम विनियामकों का पालन न करनेवाले बैंकों का सीआरएआर और विभिन्न संस्थाओं की आस्तियों के जोखिम संविभाग का सकल विश्लेषण शामिल है।

7.141 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के अलावा, वित्तीय क्षेत्र पूंजी आवश्यकताओं की दृष्टि से अच्छी स्थिति में है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल पूंजी अनुपात मार्च 2004 के अंत में 12.9 प्रतिशत पर थे (मार्च 2003 के अंत में 12.7 प्रतिशत) जिसने लगातार चौथे वर्ष भी बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शायी। इससे यह क्षेत्र बाजार जोखिम के लिए पूंजी-प्रभार से संबंधित नये दिशानिर्देशों के अंतर्गत वांछित अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ बनते हुए एक अच्छी स्थिति में आ गया है । अधिकांश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सीआरएआर दो बैंकों को छोड़कर विनियामक अपेक्षाओं से काफी उच्च स्तर पर थे ।

7.142 एक समग्र स्तर पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की पूंजी में हुई वृद्धि मार्च 2004 को समाप्त हुई लगातार सातवीं छमाही के लिए बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों की वृद्धि से अधिक बनी हुई है। उच्च जोखिमवाली आस्तियों की तुलना में जोखिम भारित आस्तियों का अंश मार्च 2003 के 41.7 प्रतिशत से घटकर मार्च 2004 में कुल जोखिम भारित आस्तियों का 40.2 प्रतिशत रह गया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों के और तुलनपत्रेतर जोखिम संविभाग के ब्यौरे परिशिष्ट सारणी VII.2, VII.3 और VII.4 में दिये गये हैं।

7.143 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात एक चिंता का कारण है। 9 प्रतिशत के निर्धारित अनुपात की तुलना में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का (जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात) मार्च 2003 के अंत के 5.3 प्रतिशत का सीआरएआर है। मार्च 2004 के अंत में गिरकर 3.0 प्रतिशत रह गया। जहां तक वित्तीय संस्थाओं का संबंध है, उनका कुल सीआरएआर मार्च 2004 के अंत में उच्च अर्थात 22.0 प्रतिशत रहा, जो कि मार्च 2003 के अंत के 22.4 प्रतिशत के लगभग समान स्तर पर था । दो बड़ी मियादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं (आइआइबीआइ और आइएफसीआइ) की उच्च स्तर की गैर-निष्पादक आस्तियां तथा बार-बार होनेवाली वित्तीय हानियों के कारण जिनसे कि उनका सीआरएआर ऋणात्मक बन गया, उनकी पूंजी का ह्रास चिंता का विषय है।

7.144 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (10 करोड़ रुपयों से अधिक की आस्ति वाली का सीआरएआर सितंबर 2003 में 19.2 प्रतिशत था, जो 12.0 प्रतिशत के न्यूनतम विनियामक से काफी अधिक था। इस स्तर पर उक्त सीआरएआर मार्च 2003 के 21.9 प्रतिशत की तुलना में कुछ न्यूनतर था परंतु वह सितंबर 2002 के 14.8 प्रतिशत से उच्चतर था। प्राथमिक व्यापारियों के सीआरएआर में वृद्धि की प्रवृत्तियां पायी गयीं और वह मार्च 2003 के 29.8 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2004 में 42.7 प्रतिशत था।

आस्ति गुणवत्ता

7.145 आस्ति गुणवत्ता का विश्लेषण कई संकेतकों जिनमें क्षेत्रगत और औद्योगिक ऋण संकेंद्रण ऋण खपत अनुपात, संवेदनशील क्षेत्र को ऋण, खुदरा ऋण, रुग्ण और कमजोर उद्योगों को ऋण प्रदान, संबद्ध ऋण, लिवरेज अनुपात, तुलनपत्रेतर जोखिम और कारपोरेट लाभप्रदता के संदर्भ में किया जाता है।

7.146 वाणिज्य बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों में 2002-03 में आयी 3.3 प्रतिशत की तुलना में 2003-04 में 2.6 प्रतिशत की गिरावट आयी। निवल गैर-निष्पादक आस्तियां 2003-04 में

12.8 प्रतिशत गिर गयी जबकि 2002-03 में उक्त गिरावट 9.3 प्रतिशत था। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल और निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में 90 दिन के मानदंड के परिवर्तन के बावजूद गिरावट आई जो कि की गयी कई कार्रवाईयों का परिचायक है। यह उच्च लाभों का भी संकेत है जिसके परिणामस्वरूप उच्च प्रावधानीकरण और बट्टे खाते डाले जाने के कई मामले हुए।

7.147 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का आस्तियों की तुलना में सकल गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात मार्च 2003 के 9.3 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2004 में 7.6 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों की तुलना में निवल गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात मार्च 2003 के 4.6 प्रतिशत से घटकर मार्च 2004 में 2.95 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के सकल और निवल गैर-निष्पादक अनुपात मार्च 2003 के 30.5 प्रतिशत और 24 प्रतिशत से घटकर मार्च 2004 के अंत में क्रमशः 27.4 प्रतिशत और 16 प्रतिशत हो गया। तथापि चिंता का कारण वित्तीय संस्थाएं या जिनकी आस्ति गुणवत्ता खराब और घटती जा रही थी। जहां सकल गैर-निष्पादक आस्तियां मार्च 2003 के 14.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2004 में 16.4 प्रतिशत हो गयी, वहीं निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का अनुपात मार्च 2003 के 9.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2004 में 10.5 प्रतिशत हो गया। खराब औसत गुणवत्ता का मुख्य कारण मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के गैर-निष्पादक आस्तियों के काफी उच्च अनुपात था। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का सकल गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात मार्च 2002 के 10.6 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2003 में 8.8 प्रतिशत प्रतिशत रहा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का सकल गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात सितंबर 2003 में और घटकर 8.2 प्रतिशत हो गया। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निवल गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात मार्च 2002 के 3.9 प्रतिशत से घटकर मार्च 2003 में 2.7 प्रतिशत हो गया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निवल गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात सितंबर 2003 में और घटकर 2.6 प्रतिशत हो गया।

लिवरेज अनुपात

7.148 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का लिवरेज अनुपात (अर्थात इक्विटी की तुलना में आस्ति अनुपात) 2002-03 के 17.4 की तुलना में घटकर 16.9 प्रतिशत रह गया। वित्तीय संस्थाओं का लिवरेज अनुपात मार्च 2003 के 4.7 से बढ़कर मार्च 2004 में 5.2 प्रतिशत हो गया। उक्त वृद्धि मुख्यतः पूंजी और प्रारक्षित निधि में ह्रास तथा कुछ वित्तीय संस्थाओं का आस्ति आधार बढ़ जाने के कारण था। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का लिवरेज अनुपात सितंबर 2003 के अंत में मामूली बढ़कर 10.1 हो जाने से पहले सितंबर 2002 के 10.0 गिरकर मार्च 2003 में 9.5 हो गया। प्राथमिक व्यापारियों का लिवरेज अनुपात मार्च 2003 के 2.9 की तुलना में मार्च 2004 में मामूली घटकर 2.5 रह गया।

अर्जन और लाभप्रदता

7.149 अर्जन और लाभप्रदता के विश्लेषण में स्थूल विवेकसम्मत संकेतक समीक्षा में आस्ति पर प्रतिलाभ, इक्विटी पर प्रतिलाभ, लाभ मार्जिन, परिचालन लागत और ब्याज दायरा जैसे संरचनागत लाभप्रदता संकेतक देखे जाते हैं। अर्जन और लाभप्रदता के संकेतकों ने सभी वित्तीय प्रणाली के लिए सकारात्मक गतिविधियों के संकेत दिये, परंतु वित्तीय संस्थाओं और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक इसके अपवाद है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ मार्च 2003 के 1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2004 में 1.2 प्रतिशत हो गया। वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली की इक्विटी पर 19.8 प्रतिशत पर स्थित प्रतिलाभ मार्च 2003 के 17.6 प्रतिशत से उच्चतर था। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ मार्च 2003 के अंत के ऋणात्मक 0.1 प्रतिशत के मुकाबले मार्च 2004 के अंत में ऋणात्मक अर्थात 3.6 प्रतिशत था। मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के न्यून लागतवाली निधियों का कम सहारा लेने के साथ लगातार ऋणात्मक प्रतिलाभों के कारण वित्तीय संस्थाओं की कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ गिरकर ऋणात्मक स्तर पर आ पहुंचा है। कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ मार्च 2003 के 0.8 प्रतिशत के सकारात्मक कार्य-निष्पादन के मुकाबले मार्च 2004 में 0.2 प्रतिशत पर ऋणात्मक रहा। इक्विटी पर प्रतिलाभ भी मार्च 2003 के 3.8 प्रतिशत के सकारात्मक कार्य-निष्पादन के मुकाबले मार्च 2004 में 1.2 प्रतिशत पर ऋणात्मक रहा। प्राथमिक व्यापारियों की कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ प्रतिभूति बाजार की बढ़ी हुई अस्थिरता के कारण मार्च 2003 के 6.6 प्रतिशत से घटकर मार्च 2004 में 5.9 प्रतिशत हो गया।

जोखिम प्रबंधन

7.150 बाजार जोखिमों के विश्लेषण में ब्याज दर जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिमों और पण्यों और पूंजी बाजार को दिये जानेवाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋणों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों का पता चलता है।

ब्याज दर जोखिम

7.151 वाणिज्य बैंकों की आस्तियों में निवेशों, विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का महत्त्वपूर्ण अंश होता है, इस बात के होते हुए भी उनके तुलनपत्रों में ब्याज दर अस्थिरता महत्त्वपूर्ण है। रिज़र्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा सुझाए गए मानकीकृत मीयाद दृष्टिकोण के आधार पर आवधिक रूप से बैंकों के निवेश संविभाग का संवेदनशीलता विश्लेषण करता है । साथ ही साथ रिज़र्व बैंक बैंकों के निवेश संविभाग पर पाये न गये लाभों की दृष्टि से उपलब्ध कुशन (मार्जिन) का भी अनुमान लगाता है और उनके तुलनपत्रों पर बढ़ती आय के पड़नेवाले प्रभाव को खपाने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन करता है । बैंकों को अपने संविभाग की ब्याज दर अस्थिरता को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने के बारे में सतर्क बनाया गया ।

मुद्रा जोखिम

7.152 रिज़र्व बैंक की वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य और मध्यावधिक समीक्षा ने कम्पनियों द्वारा ली गयी विदेशी मुद्रा की असुरक्षित उधारियों के प्रति चिंता व्यक्त करना जारी रखा, जो कि उनके समग्र वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। जिससे वित्तीय प्रणाली में स्थिरता भारी अनिश्चतताओं में जा सकती है। इस प्रकार के सम्भावित जोखिमों को मानते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधिक समीक्षा में अक्तूबर 2001 में कम्पनियों के असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋणों के जोखिमों की निगरानी करने के लिए बैंकों की महत्ता पर जोर दिया है। इसके अलावा, नवम्बर 2003 में मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधिक समीक्षा में बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ऐसी नीति अपनाये जो स्पष्ट रूप से उनके ग्राहकों की विदेशी मुद्रा संबंधी ऋण / निवेशों से उठनेवाले जोखिमों को माने और उसका ध्यान रखें। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया है कि 10 मिलि.अम.डालर से ऊपर अथवा उससे नीचे की सीमावाले ऐसे सभी विदेशी मुद्रा के ऋण जो कि बैंकों के संविभागों के ऊपर के निवेश जोखिम की तुलना में उपयुक्त समझे जाये, वे अपने बोडों द्वारा विधिवत बनायी गयी नीतियों के आधार पर उनके द्वारा दिये जा सकते हैं।इसका अपवाद निर्यात वित्त और ऋणों के उन मामलों में होगा जो विदेशी मुद्रा व्यय को पूरा करने के लिए किये जाये। बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे उनके विदेशी मुद्रा ऋण / निवेश के कारण कम्पनियों के तुलनपत्रों में अनिवार्य जोखिम के उल्लेखनीय अंश को सुरक्षित करना सुनिश्चित करें जो बैंकों की आस्ति-गुणवत्ता पर भी सम्भावित प्रभाव डाल सकती है।

7.153 2003-04 के दौरान यू.एस.अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये की मूल्य वृद्धि और साथ ही नरम वैश्विक ब्याज दरों ने भारतीय कम्पनी क्षेत्र को बाह्य वाणिज्यिक उधार का अधिकाधिक सहारा लेने के लिए प्रेरित किया, साथ ही अत्यधिक आपूर्ति की स्थितियां और विदेशी मुद्रा बाजार में उनसे संबंधित अपेक्षाओं ने रुपया डालर के वायदा प्रीमियम को गिरा दिया, इस परिदृश्य में आयातों और अन्य परिचालकों की विदेशी मुद्रा स्थिति जो बाह्य वाणिज्यिक उधारों की ओर बढ़ रही थी, अधिकाधिक रूप से असुरक्षित रही। विदेशी ब्याज दरों के बढ़ने की वर्तमान स्थिति में विदेशी मुद्रा विनियम दर पर उसके प्रभाव के फलस्वरूप कम्पनियों के तुलनपत्र प्रभावित हो सकते है और बैंकिंग क्षेत्र उनके ग्राहकों के असुरक्षित निवेश / ऋण के जोखिम के कारण ऋण जोखिमों का निशाना बन सकते हैं। इसके अलावा, सर्वांगीर्ण जोखिम को देखते हुए बैंकों को अपने बड़े-बड़े उधारकर्ताओं से उनकी असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया है ताकि उसके बदले में बैंक ऐसी कम्पनियों के प्रति अपने स्वयं के जोखिमों को निरंतर आधार पर आकलन कर सकते हैं।

पण्य जोखिम

7.154 भारत में बैंक आम तौर पर पण्यों में लेनदेन नहीं करते हैं, तथापि, कुछ बैंकों को कुछ विशिष्ट विवेकसम्मत मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर कीमती धातु में व्यापार करने की अनुमति दी गयी है। बहुमूल्य धातु में बैंकिंग प्रणाली का निवेश जोखिम अत्यधिक अल्प है और वह सर्वांगिण प्रणाली के प्रति चिंता का कोई कारण नहीं है।

इक्विटी जोखिम

7.155 पूंजी बाजार में बैंक का जोखिम (निवेश) कुल अग्रिम का 1.8 प्रतिशत था जो 5 प्रतिशत की नियत सीमा से काफी कम था। तथापि, 17 मई 2004 की स्टॉक बाजार की गतिविधियों विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र के सूचकों में तीव्र गिरावट के कारण विनियामक कार्रवाई की गयी। 17 मई 2004 को भारत के स्टॉक बाजार में उथल-पुथल केन्द्र मे नयी सरकार के गढन से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण

देखी गयी। तेल की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय कीमते तथा अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरो में वृद्धि की आशंका ने भी बाज़ार के रुख में आकस्मिक विपर्यण में योगदान दिया। पिछले दिन की समाप्ति की तुलना में बाजार पूंजीकरण में11 प्रतिशत की निवल हानि के साथ बाजार बंद हुआ। तथापि, शीघ्र ही सुव्यवस्था कायम की गयी तथा रिज़र्व बैंक ने स्थिति पर इसतरह सक्रियतापूर्वक निगरानी रखी कि इक्विटी बाजार की त्रय की स्थिति अन्य बाज़ारों तक नयी गयी। रिज़र्व बैंकने विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के जरिए स्थिति संभाली। एक बार जब यह सुनिश्चित हो गया कि अन्य बाज़ारों पर इसका प्रभाव नहीं फैलेगा तो यह सुनिश्चित किया गया कि भुगतान और निपटान व्यवस्था प्रभावित न हो। रिज़र्व बैंक ने तीन विभिन्न स्तरों पर काम किया। पहला रिज़र्व बैंक ने निपटान बैंको को बैकस्टॉप सुविधा सुनिश्चित की। दूसरा, रिजर्व बैंक ने एक वक्तव्य जारी किया जिसमे यह उल्लेख किया गया था कि रुपया और विदेशी मुद्रा बाजार में चलनिधि की पर्याप्त उपलब्धता है। तीसरा, बैंकों द्वारा शेयरों की जमानत पर सभी अग्रिमों/आइपीओ के वित्तपोषण/गारंटी देने पर मार्जिन अपेक्षा 50 प्रतिशत से कम कर 40 प्रतिशत कर दी गयी। इन उपायों का बाजारो पर शमनकारी प्रभाव पडा तथा वित्तीय स्थिरता बनायी रखी गयी।

चल निधि

7.156 संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में अत्यधिक चल निधि की विद्यमानता सारे वर्ष भर रिपो के माध्यम से चल निधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत उच्च मात्रा में चल निधि की अवशोषण से देखी जा सकती है। वर्ष 2003-04 के लिए दैनिक रिपो का औसत स्तर 36,235 करोड़ रुपये का था । कुल आस्तियों के प्रति तरल आस्तियों का अनुपात मार्च 2003 की समाप्ति के 41.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2004 में 42.7 प्रतिशत हो गया। वित्तीय संस्थाओं के लिए कुल उधार के प्रति अल्पावधि उधारों का अंश मार्च 2003 के 6.9 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2004 में 5.9 प्रतिशत रह गया जो सुविधाजनक चल निधि को दर्शाता है।

निष्कर्ष :

7.157 भारत में नब्बे के दशक में अपनाये गये वित्तीय क्षेत्र सुधार से बैंकों और वित्तीय संस्थाएं सुदृढ हो गयी हैं। अपनाये गये सुधार के उपायों से यह सुनिश्चित हुआ है कि उनकी आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में सुधार हुआ है। इन संस्थाओं की सुदृढ़ता का एक प्रमुख पहलू देशी और विदेशी परिवेश में होनेवाली विभिन्न गतिविधियों के प्रति उनकी उर्जास्विता में निहित है।

7.158 विकासशील देश अपने आकार, स्वरूप और अर्थव्यवस्था की संरचना, विकास के स्तर और सामाजिक, राजनीतिक स्थिति में इतने भिन्न है वित्तीय स्थिरता के संबंध में सुपरिभाषित संरचनागत पहलु निर्धारित करना सम्भव नहीं। भारत में वास्तविक क्षेत्र के आघातों के प्रति संवेदनशीलता वित्तीय स्थिरता को काफी सीमा तक प्रभावित कर सकने की सम्भावना है। भारत में वास्तविक क्षेत्र के आघातों की असुरक्षितता से वित्तीय स्थिरता काफी मात्रा में प्रभावित हो जाने की संभावना है। भारत में ऐसे आघातों का प्रमुख स्रोत तेल मूल्यों में बहुत तेज वृद्धि तथा मानसून की असाधारण सफलता है तो कृषि क्षेत्र को प्रभावित करता है। संक्षेप में बेहतर वित्तीय स्थिरता के लिए भारत में वित्तीय स्थिरता को दिया गया बल अन्य कई देशों में दिये गये बल से अधिक प्रतित होता है।

अनुबंध -VII.1: विभिन्न केन्द्रीय बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय स्थिरता संबंधी रिपोर्ट *(जारी)*

बैंक का नाम	आवधिकता	शामिल व्यापक मुद्दे
बैंक ऑफ इंग्लैंड	अर्ध-वार्षिक, 1997 से प्रारंभ	वित्तीय स्थिरता अनुमान और संभावना :वित्तीय मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण : वित्तीय स्थिरता और समिष्टिगत अर्थव्यवस्था : उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के मुद्दे ; यूके में वित्तीय बाजार गतिविधियों; लेखांकन और वित्तीय स्थिरता; परिचालनगत जोखिमों का आकलन; विभिन्न विषय - आधारित लेख
स्वेरिग्स रिक्स बैंक, स्वीडन	अर्धवार्षिक 1997 से प्रारंभ	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता का आकलन, प्रमुख बैंकिंग समूहों का निष्पादन, वित्तीय मूलभूत सुविधाओं की गतिविधियों का विश्लेषण- लिखतों की व्यवस्था और तकनीकी तथा प्रशासनिक व्यवस्थाएं, वित्तीय स्थिरता संबंधी विभिन्न विषयों या मुद्दों पर शोध लेख - जहां रिकस बैंक अपनी नीति स्पष्ट करना चाहता है।
नॉर्जस बैंक, नॉर्वे	अर्ध वार्षिक 2002 से प्रारंभ । मुद्रास्फीति रिपोर्ट के साथ प्रकाशित	अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा नॉर्वेजियन प्रतिभूति बाजार; समिष्टिगत अर्थव्यवस्था संबंधी गतिविधियां, घरेलू और उद्यम; वित्तीय संस्थाएं; सांख्यिकी ; वित्तीय स्थिरता के संबंध में नॉर्जस बैंक में वर्तमान शोध।
आस्ट्रिच नेशनल बैंक (ओईएनबी) ऑस्ट्रिया	2000 से प्रारंभ, अर्धवार्षिक	वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव डालते हुए ऑस्ट्रियन वित्तीय व्यवस्था संबंधी गतिविधियां और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का नियमित विश्लेषण, वित्तीय स्थिरता से संबंधित विशिष्ट विषयों में पूरी जानकारी देने वाला गहरा अध्ययन
बैंको डे एस्पाना, स्पेन	अर्धवार्षिक 2002 से प्रारंभ	वित्तीय स्थिरता के संबंध में बैंकिंग जोखिम, निक्षेप संस्थाओं की लाभप्रदता, दिवालियापन और शोध पर लेख
बैंकों सेंट्रल, डो ब्रेसिल ब्राजिल	2002 से प्रारंभ, वार्षिक, प्रथम 2003 से वार्षिक	वित्तीय बाजार विकास (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार की गतिविधियों का विश्लेषण); राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था पर्यवेक्षण; भुगतान प्रणाली; वित्तीय प्रणाली संगठन विवेकसम्मत विनियमन तथा चयनित अध्ययन
बैंक ऑफ इजराइल, इजराइल	जून 2003 से प्रारंभ, वार्षिक	भावी चुनौतियां और जोखिम; उस वातावरण की गतिविधियां जहां वित्तीय प्रणाली इजराइल और विश्व भर में प्रवर्तित है; वित्तीय प्रणाली के प्रमुख घटकों की स्थिरता से संबंधित गतिविधियां - वित्तीय बाजार, बैंकिंग प्रणाली और संस्थागत निवेशक और ऋण और जनता के वित्तीय आस्तियों की गतिविधियां; वित्तीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं; वित्तीय क्षेत्र की संरचना - बैंक और संस्थागत निवेश और वित्तीय मूलभूत सुविधाओं में प्रमुख परिवर्तन
स्विस नेशनल बैंक, स्विटजरलैण्ड	2003 से प्रारंभ, अर्धवार्षिक	प्रणाली के दो महत्त्वपूर्ण घटकों बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय बाजार की मूलभूत संरचना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालना